संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

"कचनार", ई–5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्रमांक–1897–अमृत–वि.यो.–34–कटनी–नग्रानि–2021 भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2021

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कटनी निवेश क्षेत्र के लिए कटनी विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट– http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Katni/Katni2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं –

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2. कलेक्टर, जिला कटनी
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप कटनी विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, कटनी या ई–मेल आईडी obj-sugg-katni@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त–सह–संचालक.

No-1897-Amrut-D.P.-34-Katni-TCP-2021 Bhopal, the 24th March 2021

NOTICE

Notice is hereby given that the Katni Development Plan, 2035 for Katni Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub section (2) of section 23 read with sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website—http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Katni/Katni2035.pdf and at following offices during office hours namely -

1- Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur
2- Collector, District- Katni
3- Commissioner, Nagar Palik Nigam, Katni
4- Assistant Director, Town and Country Planning, District office, katni

If there be any objection or suggestion with respect to the said - katni Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, katni or mail on Email-id- obj-sugg-katni@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

कटनी
विकास योजना 2035
(प्रारूप)

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश

कटनी

विकास योजना 2035

(प्रारूप)

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल,
मध्य प्रदेश

प्रस्तावना

कटनी नगर, महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय तथा "वन संपदा परिक्षेत्र" का प्रमुख औद्योगिक एवं वाणिज्यिक नगर है। यहां से आयुध, पीतल एवं कांस्य सामग्री तैयार कर निर्यात की जाती है तथा बाक्साइट, डोलोमाइट एवं चूना जैसी विपुल खनिज संपदा इस परिक्षेत्र में उपलब्ध है। भौगोलिक दृष्टि से यह नगर 23°50' उत्तरी अक्षांश एवं 80°24' पूर्वी देशान्तर रेखा पर समुद्र सतह से लगभग 381.25 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कटनी से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 एवं 43 गुजरते हैं। कटनी एक महत्वपूर्ण रेल जंक्शन है, जो की हावड़ा–मुंबई एवं बिलासपुर–नई दिल्ली रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है।

कटनी विकास योजना 2021 की अवधि वर्ष 2021 में पूर्ण हो रही है। नगर का बहुआयामी विकास करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप) 4.50 लाख की जनसंख्या हेतु तैयार की गई है। नगर के इतिहास, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर विकसित होने वाले कटनी नगर की विकास योजना में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद–प्रमोद, परिवहन, मिश्रित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं।

कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप) घोषित निवेश क्षेत्र में प्रभावशील होगी। इस विकास योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर अमृत (AMRUT) योजना के अंतर्गत निर्धारित मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली की मदद से यह विकास योजना वर्तमान विकास की प्रकृति के आधार पर क्षेत्रों की पहचान करती है तथा नगर एवं नागरिकों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करती है।

इस कार्य में कटनी के कलेक्टर कार्यालय, नगर पालिक निगम, विकास प्राधिकरण, गृह निर्माण मंडल, लोक निर्माण विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों का भी सहयोग रहा है। उक्त विभागों के साथ–साथ जनप्रतिनिधियों एवं आमजन के सुझावों को भी इस विकास योजना को तैयार करने में सम्मिलित किया गया है।

उपांतरित कटनी विकास योजना म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत जनसामान्य एवं संस्थाओं से सुझाव/आपत्ति आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है। प्राप्त सुझाव न केवल विकास योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में सहायक होंगे, बल्कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप नगर को सुनियोजित रूप देने में भी सहायक होंगे।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल

कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप) : योजना दल

संयुक्त संचालक

राजेश नागल — आर. के. पाण्डेय — डॉ. अमित कुमार गजभिये

सहायक संचालक

विपुल माहुले — अपूर्वा गंगराड़े — इन्दु त्रिपाठी

कर्मचारीगण

अजय पटवा
नवल किशोर मौर्य
अभिषेक आरख
मेनका चौरसिया

जयंत शील
अनिल सक्सेना
अरविंद सक्सेना
सर्वेश पिड़िहा
सरिता ठाकुर
मानसी गुज्जेवार

राज्य नगर नियोजन संस्थान, भोपाल का दल
संचालक समन्वय

एस. एस. राठौर

कर्मचारीगण

एस. पी. द्विवेदी
डॉ. कमलेश प्रसाद
शैलेन्द्र सिरवार

योगेश पाठक
शिमिलेश कुमार सिंह
संतोष कहार

विषय सूची

प्रस्तावना	**i**
कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप): नियोजन दल	**iii**
विषय सूची	**v**
सारणी सूची	**xi**
मानचित्र सूची	**xv**
अध्याय–1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ	**1**
1.1 नगर परिचय	**1**
1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
1.1.2 स्थिति	1
1.1.3 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संदर्भ	1
1.1.4 दर्शनीय स्थल	2
1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति	**3**
1.2.1 भौतिक स्वरूप	3
1.3 नियोजन हेतु प्रयास	**3**
1.3.1 कटनी विकास योजना 2021 के उद्देश्य	4
1.4 नियोजन प्रस्ताव	**5**
1.5 निवेश क्षेत्र	**5**
1.5.1 कटनी निवेश क्षेत्र	5
1.5.2 कटनी नगर पालिक निगम	7
अध्याय–2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण	**9**
2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग	**9**
2.1.1 अमृत योजना के उद्देश्य	10
2.1.2 सुदूर संवेदन	10
2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली	12
2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली	**13**
2.2.1 उद्देश्य	14
2.2.2 कार्यप्रणाली	15

2.3 अमूत मानकों की व्याख्या	**17**
2.3.1 थीमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping)	17
2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता	**30**
2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प	31
2.5 भूमि उपयोग का आवंटन	**39**
अध्याय–3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण	**41**
3.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन	**41**
3.1.1 आवासीय	43
3.1.2 वाणिज्यिक	43
3.1.3 औद्योगिक	44
3.1.4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें	44
3.1.5 आमोद–प्रमोद	45
3.1.6 यातायात एवं परिवहन	45
3.2 विकास योजना में उपान्तरण	**47**
3.3 असंगत भूमि उपयोग	**49**
3.4 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण	**52**
3.4.1 जनसंख्या विश्लेषण	52
3.4.2 जनसंख्या लिंगानुपात	56
3.4.3 शिशु जनसंख्या	56
3.4.4 शिशु लिंगानुपात	57
3.4.5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	58
3.4.6 साक्षरता	58
3.4.7 कार्यशील जनसंख्या	59
3.4.8 जनसंख्या घनत्व	59
3.4.9 जनसंख्या परिवर्तन	62
3.5 नगर के मुख्य कार्यकलाप	**64**
3.6 नगरीय विस्तार	**64**
3.7 अनुमानित जनसंख्या	**65**
3.7.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या	65
3.7.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या	66
3.7.3 कटनी निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या	67

3.8	**गंदी बस्तियाँ**	**68**
3.9	**आवास की आवश्यकता**	**72**
3.10	**भौतिक अधोसंरचना**	**74**
	3.10.1 जल प्रदाय	74
	3.10.2 नालियां तथा मल उपचार	76
	3.10.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	78
	3.10.4 विद्युत प्रदाय	78
3.11	**सामाजिक अधोसंरचना**	**79**
	3.11.1 शासकीय कार्यालय	79
	3.11.2 शैक्षणिक	79
	3.11.3 स्वास्थ्य	80
	3.11.4 अग्निशमन	81
	3.11.5 पुलिस कार्यालय	81
	3.11.6 वाचनालय	81
	3.11.7 इलेक्ट्रिक चार्जिंग/बेटरी चार्जिंग स्टेशन	82
	3.11.8 श्मशान घाट /कब्रिस्तान	82
	3.11.9 धोबी घाट	82
	3.11.10 दूरसंचार	82
	3.11.11 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं	82
	3.11.12 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा	82
	3.11.13 सामाजिक एवं सांस्कृतिक	82
अध्याय–4	**विकास योजना 2035 के प्रस्ताव**	**85**
4.1	**विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन**	**85**
4.2	**योजना अवधारणा**	**85**
4.3	**विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता**	**86**
4.4	**भूमि उपयोग 2035**	**86**
	4.4.1 आवासीय	87
	4.4.2 वाणिज्यिक	87
	4.4.3 मिश्रित	88
	4.4.4 औद्योगिक	88
	4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	88
	4.4.6 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं	88
	4.4.7 आमोद–प्रमोद	88
	4.4.8 यातायात एवं परिवहन	89

4.5 निवेश इकाईयाँ	89
4.6 मध्यवर्ती क्षेत्र	90
4.7 अनौपचारिक सेक्टर	90
4.8 गंदी बस्ती क्षेत्र	91
4.9 आमोद–प्रमोद स्थल	92
4.9.1 खुला स्थल प्रणाली	92
4.9.2 नगर उद्यान	92
4.9.3 स्टेडियम तथा खेल परिसर	92
4.10 पुनर्विकास नीति	92
4.11 ग्राम आबादी विस्तार	93
4.12 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान	93
4.13 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना	93
4.13.1 कार्यकेन्द्र	95
4.13.2 व्यापार एवं वाणिज्यिक	95
4.13.3 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र	96
4.13.4 कार्यालय	96
अध्याय–5 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना	97
5.1 प्रस्तावित परिवाहन संरचना	97
5.2 अंतर्नगरीय यातायात	97
5.2.1 रेल यातायात	97
5.2.2 सड़क मार्ग	97
5.2.3 हवाई मार्ग	98
5.3 नगरीय यातयात	98
5.3.1 मार्गों की श्रेणी	98
5.4 मार्गों की चौड़ाई	99
5.5 यातायात प्रणाली में सुधार	105
5.5.1 मार्ग संगमों में सुधार	105
5.6 यातायात अवसान केन्द्र	105
5.6.1 बस स्थानक	105
5.6.2 पिकअप स्टेशन	105
5.6.3 यातायात नगर	106

5.6.4 ओवर ब्रिज 106
5.6.5 वाहन विराम स्थल 106

अध्याय–6 विकास नियमन 107

6.1 प्रवृत्तशीलता 107
6.2 क्षेत्राधिकार 107
6.3 परिभाषायें 110
6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र 112

6.4.1 आवासीय 115
6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र 118
6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र 123
6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र 123
6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक 125
6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड 125

6.5 अन्य नियमन 128

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन 128
6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण 128
6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा 128
6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान 128
6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह–सेवा केन्द्र के मानक 129
6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर/लॉजिस्टिक हब/निजी बस स्थानक 129
6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल 130
6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन 130
6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग 130
6.5.10 मैरिज गार्डन 130
6.5.11 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल 131
6.5.12 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण 131
6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड 131
6.5.14 मल्टीप्लेक्स 132
6.5.15 उद्यान 132

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन 132
6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां 134
6.8 अन्य सुविधाएँ 139
6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया 139

अध्याय–7 विकास योजना क्रियान्वयन	**141**
7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन	**141**
7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति	**142**
7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम	**143**
7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना	**143**
7.4.1 नियंत्रित विकास	144
7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन	144
7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना	144
7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण	**145**
7.6 योजना एवं कार्यक्रम	**145**
7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व	147
7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम	**147**
7.8 संसाधन गतिशीलता	**148**
7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र	**149**
7.9.1 पर्यवेक्षण समिति का गठन	150
7.9.2 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	150
7.10 योजना की व्याख्या	**150**
7.10.1 योजना कालावधि	151
परिभाषाएँ	**153**
परिशिष्ट–1	**167**
परिशिष्ट–2	**168**
परिशिष्ट–3	**169**
परिशिष्ट–4	**170**
परिशिष्ट–5	**171**
परिशिष्ट–6	**172**
परिशिष्ट–7	**173**
परिशिष्ट–8	**174**
परिशिष्ट–9	**175**
परिशिष्ट–10	**177**

सारणी सूची

सारणी क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्र.
सारणी 1–सा–1	कटनी से अन्य नगरों की दूरी	2
सारणी 1–सा–2	कटनी निवेश क्षेत्र	6
सारणी 2–सा–1	उपग्रह चित्रों के मानक	11
सारणी 2–सा–2	स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब–क्लासेस	12
सारणी 2–सा–3	यातायात एवं जियो–स्पेशियल डाटा	18
सारणी 2–सा–4	बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो–स्पेशियल डाटा	19
सारणी 2–सा–5	सीमाओं का वर्गीकरण	22
सारणी 2–सा–6	ढलान की विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रफल	23
सारणी 2–सा–7	मृदा विश्लेषण	24
सारणी 2–सा–8	जलाशयों का वर्गीकरण	24
सारणी 2–सा–9	भूमि मूल्य	26
सारणी 2–सा–10	भू–आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल	28
सारणी 2–सा–11	जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल	28
सारणी 2–सा–12	भूमि अवक्रमण	29
सारणी 2–सा–13	मार्ग संरचना बफर	29
सारणी 2–सा–14	संयुक्त भूमि उपयुक्तता (Weighted Index For Composite Land Suitability)	32
सारणी 2–सा–15	भूमि उपयुक्तता क्षेत्र (Land Suitability Area)	38
सारणी 3–सा–1	विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन	41
सारणी 3–सा–2	विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)	42
सारणी 3–सा–3	वाणिज्यिक विकास	43
सारणी 3–सा–4	औद्योगिक विकास	44
सारणी 3–सा–5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक विकास	45
सारणी 3–सा–6	अमोद प्रमोद विकास	45
सारणी 3–सा–7	यातायात एवं परिवहन विकास	46
सारणी 3–सा–8	भूमि उपयोग उपांतरण	48
सारणी 3–सा–9	असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग	50
सारणी 3–सा–10	राज्य में जनसंख्या विवरण एवं लिंग अनुपात (जिला)	52
सारणी 3–सा–11	वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण	53
सारणी 3–सा–12	वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात	56
सारणी 3–सा–13	शिशु जनसंख्या प्रतिशत	57

सारणी क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्र.
सारणी 3–सा–14	वार्डवार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात	57
सारणी 3–सा–15	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	58
सारणी 3–सा–16	साक्षरता प्रतिशत	58
सारणी 3–सा–17	कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत	59
सारणी 3–सा–18	वार्ड वार जनसंख्या घनत्व	60
सारणी 3–सा–19	जनसंख्या घनत्व	62
सारणी 3–सा–20	वर्ष 2011 अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या	62
सारणी 3–सा–21	नगरीय क्षेत्र दशक वृद्धि दर	63
सारणी 3–सा–22	ग्रामीण क्षेत्र दशक वृद्धि दर	64
सारणी 3–सा–23	नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल	65
सारणी 3–सा–24	नगरीय क्षेत्र जनसंख्या का आकलन	65
सारणी 3–सा–25	नगरीय जनसंख्या का आकलन (वर्ष 2035)	66
सारणी 3–सा–26	ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आकलन	66
सारणी 3–सा–27	ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्याका आकलन (वर्ष 2035)	67
सारणी 3–सा–28	कटनी निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)	67
सारणी 3–सा–29	गंदी बस्ती विवरण	69
सारणी 3–सा–30	आवासीय इकाइयों की कमी (वर्ष 2011)	72
सारणी 3–सा–31	अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता	73
सारणी 3–सा–32	जल आपूर्ति आकलन	75
सारणी 3–सा–33	जनसंख्या अनुसार जल आपूर्ति की मांग का आकलन एवं उपलब्धता	76
सारणी 3–सा–34	वर्तमान कार्यालय	79
सारणी 3–सा–35	शैक्षणिक सुविधाएं	80
सारणी 3–सा–36	स्वास्थ्य सुविधाएं	81
सारणी 3–सा–37	मेले एवं उर्स	83
सारणी 4–सा–1	प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035	87
सारणी 4–सा–2	निवेश इकाईयां	89
सारणी 4–सा–3	असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग	94
सारणी 5–सा–1	मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	100
सारणी 5–सा–2	क्षेत्रीय/नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	103
सारणी 6–सा–1	भू उपयोग परिक्षेत्र	113
सारणी 6–सा–2	आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड	116
सारणी 6–सा–3	आवासीय विकास हेतु भू–खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	118
सारणी 6–सा–4	वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड	118
सारणी 6–सा–5	वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक	120
सारणी 6–सा–6	वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात	122
सारणी 6–सा–7	सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड	125
सारणी 6–सा–8	सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन	127
सारणी 6–सा–9	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान	129
सारणी 6–सा–10	उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां	134
सारणी 7–सा–1	कटनी विकास योजना क्रियान्वयन की लागत	142
सारणी 7–सा–2	प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक	147
सारणी 7–सा–3	कटनी प्रथम चरण लागत	148

मानचित्र सूची

मा. क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
1.1	Regional Setting	2A
1.2	Location Map of Planning Area	2B
1.3	Planning Area	6A
2.1	Satellite Images	10A
2.2	Digital Elevation Model	10B
2.3	Building Footprint	18A
2.4	Contour	22A
2.5	Slope	22B
2.6	Lithology	24A
2.7	Soil Texture	24B
2.8	Water Body and Natural Drainage	24C
2.9	Groundwater Prospects	24D
2.10	Earthquakes Zones	24E
2.11	Land Value	26A
2.12	Geomorphology	28A
2.13	Waterbody Buffer	28B
2.14	Land Degradation	28C
2.15	Road Buffer	28D
2.16	Land Suitability (Model-1)	38A
2.17	Land Suitability (Model-2)	38B
2.18	Land Suitability (Model-3)	38C
3.1	Existing Landuse	42A
3.2	Ward Map	52A
3.3	Ward Wise Sex Ratio	56A
3.4	Ward Wise Child Population (0-6)	56B
3.5	Ward Wise Child Sex Ratio	56C
3.6	Ward Wise SC/ST Population	58A
3.7	Ward Wise Literacy	58B
3.8	Ward Wise Work Participation	58C
3.9	Ward Wise Population Density	60A
3.10	Urban Sprawl	64A
3.11	Water Supply Network	74A
3.12	Power Supply Network	78A
3.13	Existing ATM	82A
3.14	Existing Community Toilet	82B
4.1	Proposed Landuse	86A
4.2	Planning Units	88A
5.1	Existing Transport Network	98A
5.2	Proposed Transport Network	98B
7.1	First Phase Implementation	146A

अध्याय–1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सन 1998 में जबलपुर जिले के पुनर्गठन के पश्चात कटनी जिला अस्तित्व में आया। कटनी तीन अलग–अलग सांस्कृतिक प्रक्षेत्रों; महाकौशल, बुंदेलखण्ड एवं बघेलखण्ड की संस्कृति का समूह माना जाता है। कटनी, महाकौशल क्षेत्र का एक प्रमुख नगर तथा जिला मुख्यालय है। यह नगर पूर्व में मुड़वारा नाम से जाना जाता था। कटनी नदी एवं कटनी रेल्वे स्टेशन बनने तथा इसके चारों दिशाओं में रेल्वे लाईन होने से मुड़वारा ग्राम कई भागों में विभक्त हो जाने के कारण, इसका नया नाम मुड़वारा से कटनी किया गया।

कटनी (मुड़वारा) नगर का नाम "मुन्ड" शब्द से पड़ा है जिसका तात्पर्य सिर से है। यह गाथा प्रचलित है कि यहां के पूर्व शासकों के परिवार के एक सदस्य का सिर लड़ाई में कट गया था। इस घटना की याद में इसे "मुड़वारा" नाम दिया गया। सन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश शासकों ने विजयराघवगढ़ के स्थान पर मुड़वारा को महत्व देना शुरू किया। वर्ष 1867 में जबलपुर–प्रयागराज रेल मार्ग प्रारंभ होने के फलस्वरूप मुड़वारा को एक लघु बसाहट से नगर का स्वरूप प्राप्त हुआ। पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7 के समानान्तर स्थित ग्राम झिंझरी में चट्टानों पर शिलालेख अवशेष स्थापित है, जो पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थान है।

1.1.2 स्थिति

कटनी नगर, मध्य प्रदेश के उत्तर–पूर्व में 23°50' उत्तरी अक्षांश एवं 80°24' पूर्वी देशान्तर पर तथा समुद्री तल से 381.25 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

कटनी जिला उत्तर में पन्ना एवं सतना, पूर्व में उमरिया, पश्चिम में दमोह एवं दक्षिण–पश्चिम में जबलपुर जिले से घिरा हुआ है।

1.1.3 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संदर्भ

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत घोषित वन संपदा परिक्षेत्र में मध्य प्रदेश के जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर जिले समाहित हैं। यह परिक्षेत्र सड़क मार्ग एवं रेलमार्ग द्वारा मध्यप्रदेश के साथ–साथ छत्तीसगढ़ एवं उत्तरप्रदेश से भी जुड़ा है।

कटनी निवेश क्षेत्र वन संपदा परिक्षेत्र के कटनी जिले में स्थित है। कटनी नगर से 33 किलोमीटर की दूरी पर विजयराघवगढ किला पुरातात्विक पर्यटन स्थल स्थित है।

कटनी नगर भारतीय पूर्व रेलवे, बंगाल–नागपुर रेलवे एवं ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेलवे (विशाल भारतीय प्रायद्वीप रेलवे) का जंक्शन है जो ऐतिहासिक दृष्टि से आवागमन एवं माल परिवहन हेतु एक महत्वपूर्ण रेल जंक्शन रहा है। यह मध्य रेल्वे के प्रयागराज–इटारसी लाईन का महत्वपूर्ण जंक्शन है जो कि हावड़ा–मुंबई–बिलासपुर–नई दिल्ली से भी जुड़ा है। यह देश की राजधानी नई दिल्ली एवं मुंबई नगरों के साथ–साथ दक्षिण–पूर्व रेलमार्ग सिंगरौली एवं मिर्ज़ापुर नगरों से भी जुड़ा हुआ है। कटनी नगर, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 द्वारा प्रयागराज एवं नागपुर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है तथा राज्य राजमार्ग क्रमांक 10 द्वारा राज्य के अन्य जिलों से जुड़ा है। कटनी नगर से समीपस्थ नगरों की दूरी सारणी 1–सा–1 में दर्शायी गई है।

कटनी नगर 104 किलोमीटर की दूरी पर जबलपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 द्वारा जुड़ा हुआ है एवं 110 किलोमीटर की दूरी पर सतना से सड़क मार्ग द्वारा सीधा सम्पर्क है। कटनी नगर रेलमार्ग द्वारा प्रदेश एवं देश के विभिन्न मुख्य नगरों से जुड़ा है। नगर का निकटतम हवाई अड्डा 104 किलोमीटर की दूरी पर जबलपुर में है।

कटनी से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 1–सा–1

क्रमांक	समीपस्त नगर	दूरी (कि.मी)
1	2	3
1.	जबलपुर	104
2.	सतना	110
3.	पन्ना	121
4.	शहडोल	134
5.	रीवा	136
6.	सागर	168
7.	भोपाल	355

1.1.4 दर्शनीय स्थल

कटनी नगर में अनेक पुराने तथा नये मंदिर है। नगर में स्थित जागृति उद्यान बच्चों व नागरिकों के लिए खेल–कूद एवं विश्राम का आकर्षक केंद्र होने के साथ–साथ पिकनिक स्थल भी है। कटनी नगर के आसपास अनेक ऐतिहासिक स्थल, मंदिर एवं दर्शनीय स्थल है। कटनी नगर से लगभग 33 कि.मी. की दूरी पर विजयराघवगढ़ किला स्थित है। नगर के समीप झिंझरी में प्राचीन चित्रकारी के दर्शन किये जा सकते है।

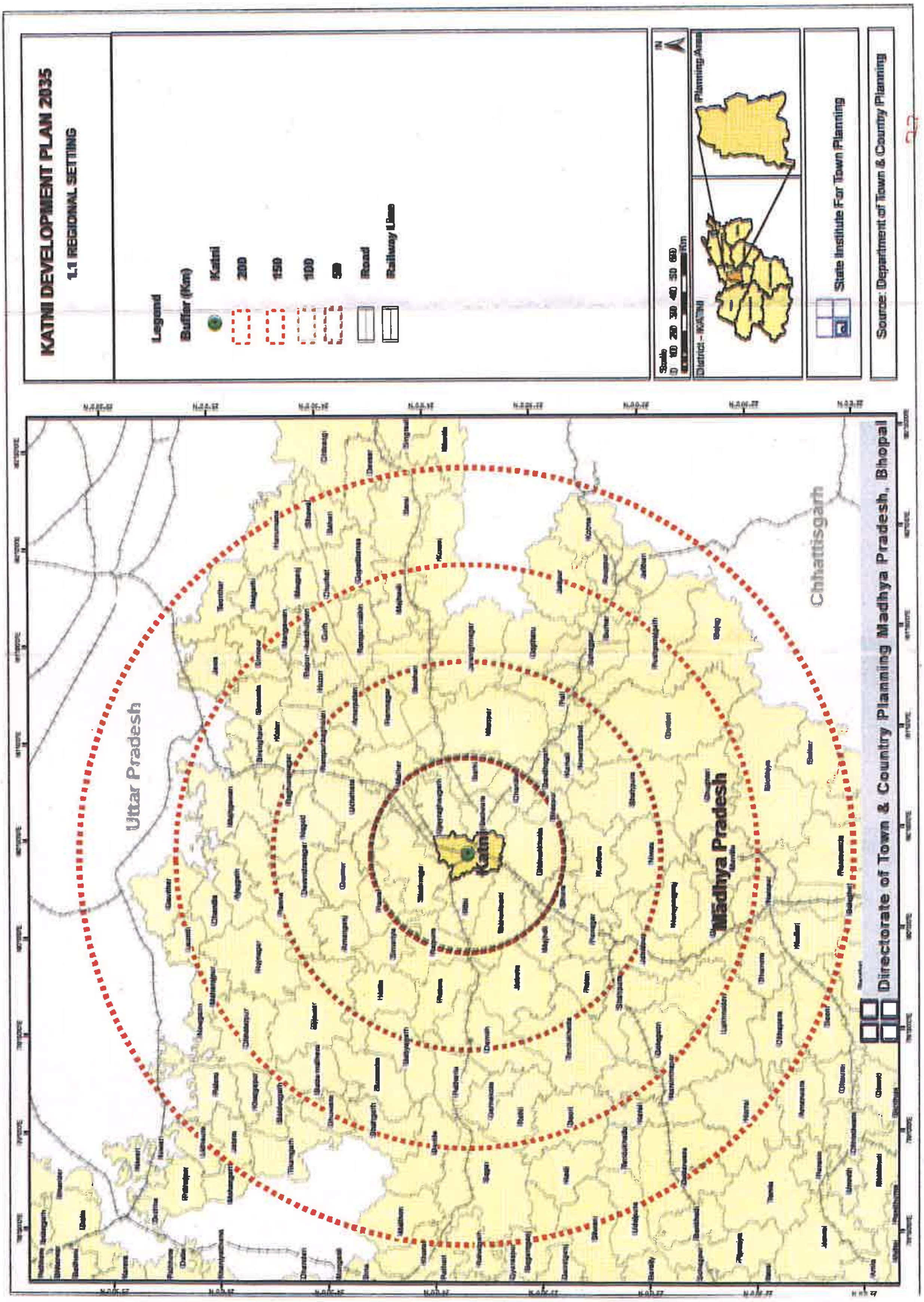
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
1.1 REGIONAL SETTING
Legend
Buffer (Km)
Katni
200
150
100
50
Road
Railway Line
District - KATNI
Km
Planning Area
State Institute For Town Planning
Source: Department of Town & Country Planning
Uttar Pradesh
Madhya Pradesh
Chhattisgarh
Katni
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

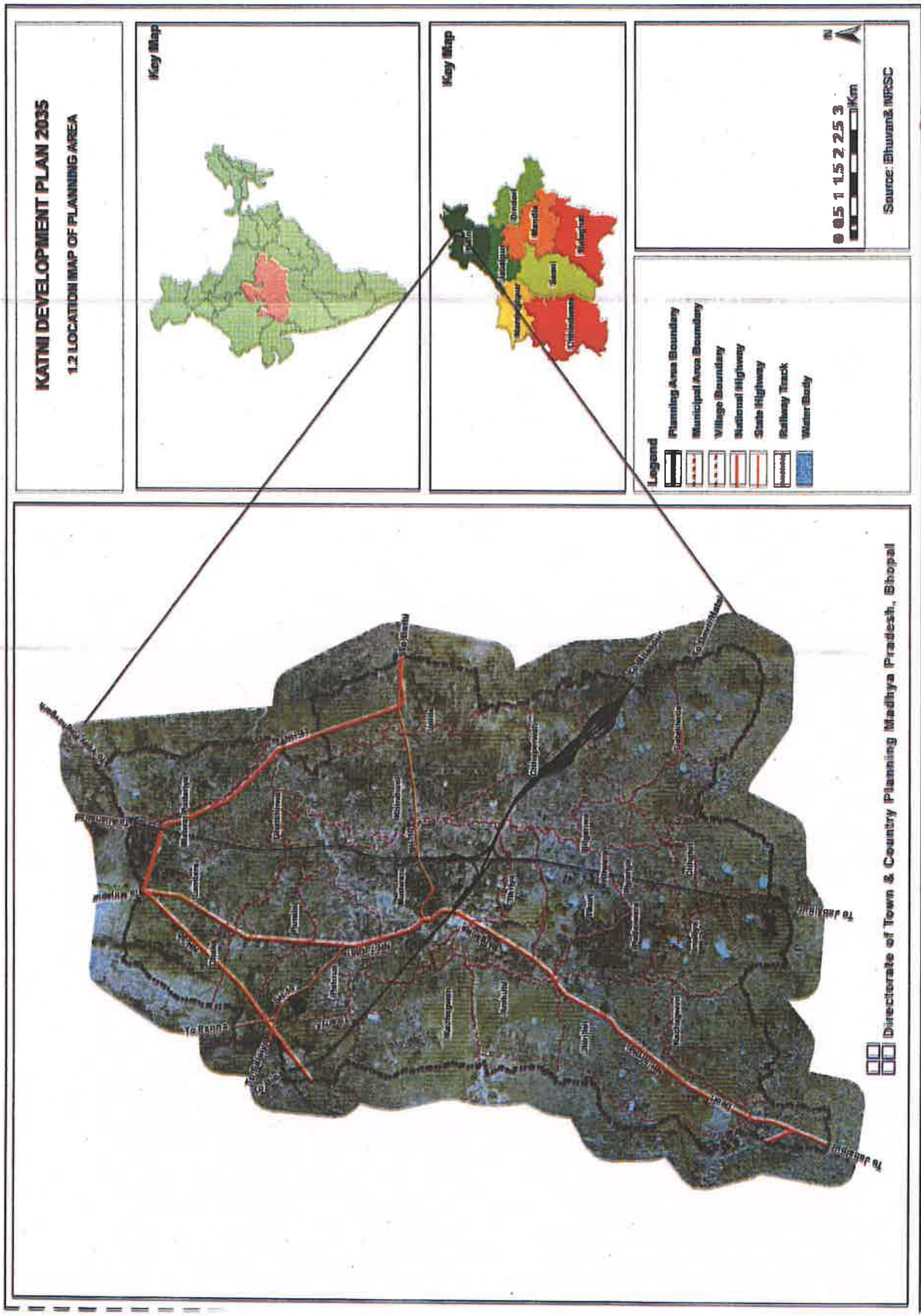
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
1.2 LOCATION MAP OF PLANNING AREA
Key Map
Key Map
Legend
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Village Boundary
National Highway
State Highway
Railway Track
Water Body
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
N
Source: Bhuvan & NRSC
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

इसके अलावा कटनी नगर के आसपास के दर्शनीय स्थल जैसे बहोरीबंद पुरातत्व स्थल, प्राचीन तिग्वान मंदिर, रूपनाथ पंचलिंगी मंदिर, वराह मंदिर एवं कामकंदला किला पर्यटकों को आकर्षित करते है।

1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति

1.2.1 भौतिक स्वरूप

भू–आकृति

कटनी नगर प्रमुख रूप से समतल भू–भाग पर स्थित है। यह कटनी एवं मुड़वारा क्षेत्र को सम्मिलित कर बना है। कटनी जिला दो नदियों के बेसिन के अंतर्गत आता है; गंगा एवं नर्मदा बेसिन। यहाँ दो छोटी नदियां; सिमरार एवं निवार प्रवाहित है, जिसका बहाव दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है, यह नदियां कटनी नदी में मिलती हैं। वर्षा का जल इन्हीं के द्वारा बहता हुआ पूर्व की ओर बाहर निकल जाता है।

जलवायु

विन्ध्य क्षेत्र में होने से यहां की जलवायु सौम्य है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 41 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अधिकतम तापमान मार्च से जून माह तक रहता है। शीतकाल में न्यूनतम तापमान 8 सेल्सियस तक हो जाता है। सर्वाधिक ठंड दिसम्बर एवं जनवरी माह में रहती है। नगर में औसत वर्षा 200 मि.मी. होती है, अधिकांश वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है।

बदलते दबाव से कटिबंधों द्वारा हवा में बदलाव नियंत्रित होता है। मौसम कार्यालय नागपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार कटनी नगर में वायु की दिशा जबलपुर नगर की भांति ही प्रवाहित होती है। मानसून अवधि में वायु की दिशा दक्षिण–पश्चिम और पूर्व की ओर से प्रवाहित होती है। मानसून के पश्चात तथा शीतकाल में प्रातःकाल वायु की दिशा दक्षिण–पूर्व रहती है। जबकि सायंकाल में वायु प्रवाह की दिशा पूर्व तथा उत्तर के मध्य से रहती है। ग्रीष्मकाल में वायु प्रवाह की दिशा दक्षिण–पूर्व एवं उत्तर पश्चिम में रहती है।

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

नगर के सुनियोजित एवं समन्वित विकास हेतु प्रथम अंगीकृत कटनी विकास योजना 2021 वर्ष 2006 में तैयार की जाकर 2009 से प्रभावशाली की गई, जिसमें वर्ष 2021 की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये नियोजन प्रस्ताव दिये गये। उक्त विकास योजना अवधि में हुये अधोसंरचना विकास एवं जनसंख्या वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में तथा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त "अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT)" योजना की उप–योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार कटनी विकास योजना 2021 के पुनर्विलोकन की

आवश्यकता है। अतः कटनी निवेश क्षेत्र अंतर्गत सुनियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप) तैयार की गई है। कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप) तैयार करने हेतु, स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं शासकीय विभागों के माध्यम से प्राप्त सुझाव/आपत्ति प्राप्त कर, उक्त का गुणदोष के आधार पर इस विकास योजना में समावेश किया गया है।

विकास योजना में निहित प्रस्तावों के अंतर्गत नगर का विस्तार, विकास योजना, क्रियान्वयन की पद्धति जो नागरिकों के सक्रिय सहभागिता पर आधारित है, एवं नियोजित विकास प्रक्रिया को समाहित किया गया है। विकास योजना में अन्य विभागों के स्वीकृत विकास के प्रस्तावों को भी समायोजित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा **"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT)** योजना की उपयोजना के अन्तर्गत देश के 500 चयनित शहरों की विकास योजनाओं में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है। इन 500 शहरों में मध्य प्रदेश के 34 शहरों का चयन किया गया है, जिनमें कटनी शहर भी सम्मिलित है। तदनुसार कटनी नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं। इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताऐं एवं सेवाएँ, आमोद–प्रमोद, मिश्रित उपयोग, यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं। यह योजना वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 4.50 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है एवं तदनुसार ही यातायात एवं अधोसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है।

1.3.1 कटनी विकास योजना 2021 के उद्देश्य

कटनी नगर के लिए कटनी विकास योजना 2021 तैयार करते समय निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखा गयाः–

1. भूमि का समुचित एवं उपयुक्त उपयोग।
2. वर्तमान आवासीय क्षेत्रों को अतिक्रमण एवं अवांछित भूमि उपयोग से मुक्त रखना।
3. झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्रों का पर्यावरण सुधार एवं उन्नयन करना।
4. नागरिकों एवं माल (goods) के सुरक्षा हेतु बायपास मार्ग का निर्माण किया जाकर क्षेत्रीय यातायात को सुगम बनाना।
5. भारी वाहनों के अनियंत्रित विराम स्थल एवं मरम्मत हेतु यातायात नगर का विकास।
6. मध्य क्षेत्र की भीड़–भाड़ को कम करने हेतु नगर की प्रमुख धूरियों पर वाणिज्यिक केन्द्रों का विकास करना।
7. औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान करना।

8. जल प्रदाय, जल–मल निकास, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का समुचित प्रावधान।

1.4 नियोजन प्रस्ताव

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है, विकास योजना तैयार करना अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है। कटनी विकास योजना 2035 तैयार करते समय अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिये गये हैं। कटनी विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है:

1. भूमि का समुचित एवं उपयुक्त उपयोग।
2. सघन विकास।
3. नगरीय प्रबंधन में जन–यातायात व्यवस्था, सरल एवं सामान्य पहुँच के साथ।
4. नगरीय परिवेश का संरक्षण।
5. नगरीय जीवन स्तर में उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार एवं स्वास्थ्य में वृद्धि।
6. नगर की भौतिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिमार्जन।
7. नगर नियोजन में नागरिकों की अधिकतम सहभागिता को प्रोत्साहन।
8. नगर के भौतिक एवं आर्थिक स्वरुप की गतिशीलता में तीव्रता लाना।
9. मूलभूत जीवन आधार प्रणाली के संसाधनों को अनुरक्षित करना।

1.5 निवेश क्षेत्र

1.5.1 कटनी निवेश क्षेत्र

नगरीय बसाहट की सामान्य वृद्धि के समय उसके समीपस्थ स्थित ग्रामीण बसाहट का नगरीय क्षेत्र में समाहित होना एक निरंतर प्रक्रिया है। इस बसाहट के आस–पास के विकास का नियंत्रण नगर की भविष्य में होने वाली वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में किया जाना नितान्त आवश्यक है। नगरीय एवं ग्रामीण केन्द्रों में उचित जन–सुविधायें प्रदान कराने की दृष्टि से इन दोनों के मध्य समन्वय होना चाहिए इस हेतु निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कटनी नगर के आसपास के 14 ग्रामों को निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, ताकि विकास पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 क्रमांक 23 सन् 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक 3195–एफ–1–88 तैतीस–73 दिनांक 14–10–1973 के द्वारा निवेश क्षेत्र गठित किया गया तथा पुनः अधिसूचना क्रमांक एफ–3–133–32 दिनांक 26 नवम्बर 1998 के द्वारा निवेश क्षेत्र की सीमा को पुनरीक्षित किया गया। निवेश क्षेत्र का कुल

क्षेत्रफल 12885 हेक्टेयर है, जिसमें आर्डिनेंस फैक्ट्री का 953 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित रखा गया है। इस प्रकार निवेश क्षेत्र के अंतर्गत 11932 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है।

कटनी निवेश क्षेत्र

सारणी 1–सा–2

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	जनसंख्या		
			1991	2001	2011
1	2	3	4	5	6
1	मतवार पडरिया	463.00	731	966	1342
2	पिपरिया	268.00	800	843	967
3	गाताखेडा	423.00	822	1133	1422
4	छहरी	331.00	638	729	913
5	देवरी	177.00	562	660	796
6	कछगवां	483.00	1063	1254	1749
7	टिकरिया मझगवां	241.00	171	244	540
8	कैलवारा खुर्द	676.00	1917	2850	3336
9	चाका	828.00	1404	2315	2710
10	लमतरा	301.00	331	662	804
11	जोहला	560.00	1293	1417	2025
12	हिरवारा	611.00	1833	3005	4224
13	घटखिरवा	239.00	321	445	577
14	इमलिया	291.00	738	1408	1785
योग		5892.00	12624	17929	23190
15	कटनी नगर निगम क्षेत्र	6993.00	155424	186738	221875
कुल योग		12885.00	168048	204667	245065

टीपः कटनी निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना 2021 भौतिक सर्वेक्षण से तैयार की गई थी। कटनी विकास योजना 2021 हेतु निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 5892 हेक्टेयर अंकित किया गया था। कटनी विकास योजना 2035 हेतु निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल राजस्व अभिलेख अनुसार 12885 हेक्टेयर है। वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 13101.87 हेक्टेयर होता है जिसमें ग्रामों का क्षेत्रफल

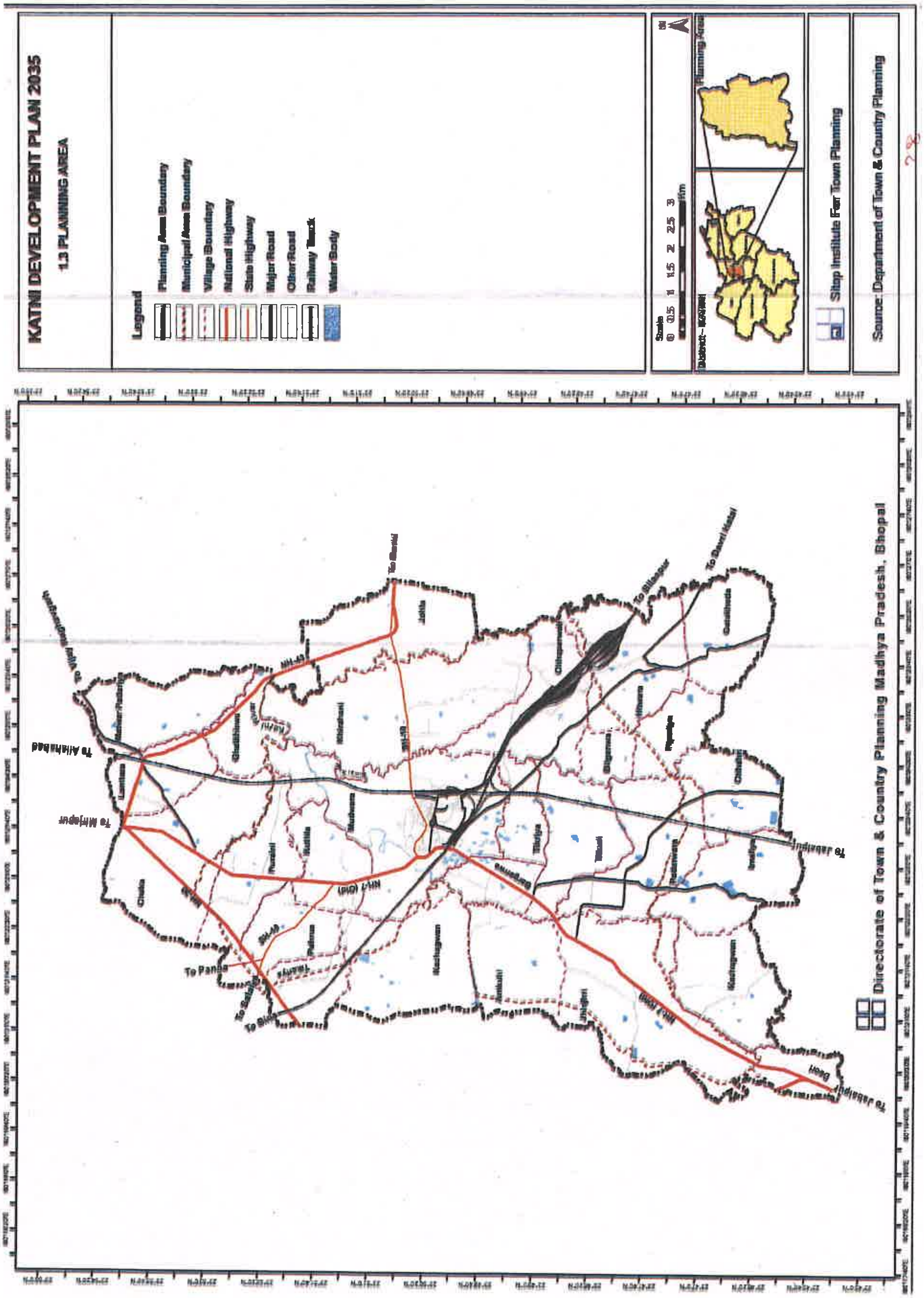
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
1.3 PLANNING AREA
Legend
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Village Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Other Road
Railway Track
Water Body
Scale
Sitap Institute For Town Planning
Source: Department of Town & Country Planning
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

6116.2 हेक्टेयर है। यह विकास योजना जी.आई.एस. (GIS) पद्धति पर स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की गई है, अतः विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 13101.87 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं।

1.5.2 कटनी नगर पालिक निगम

कटनी नगर पालिका का गठन 6 जुलाई 1874 में हुआ। वर्तमान नगर पालिक निगम का गठन मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 1980 में हुआ। वर्तमान में सम्पूर्ण क्षेत्र को 45 वार्डों में विभक्त किया गया है। कटनी नगर निगम की वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या 221883 है। नगर पालिक निगम कटनी जिला कटनी को 45 वार्डों में विभाजित किया गया है।

अध्याय–2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

भूमि, सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। जिस भूमि पर नगर की बसाहट है, उसका संलग्न भूमि पर हुआ प्रभाव, जो भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् भूमि का उपयोग मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से किया गया है अथवा नहीं।

कटनी नगर खनन एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का गढ़ है। कटनी नगर में रेलवे स्टेशन की स्थापना होने से एवं कटनी नगर राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा विभिन्न नगरों से जुड़ा होने के कारण एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र एवं मध्यम श्रेणी के नगर के रूप में तेजी से उभर रहा है। नगर में नवीन उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना से सामाजिक अधोसंरचना को एक नया आयाम मिला है। इन्हीं कारणों से नगर विकास की गत् वर्षों में संभावनायें बढ़ी हैं, फलस्वरूप नगर की विकास योजना के पुनर्विलोकन की आवश्यकता है।

पर्यावरण की दृष्टि से नगर नियोजन, भूमि का उपयोग सुसंगत आधार पर किया जाना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में कटनी नगर की कटनी विकास योजना के पुनरीक्षण के समय आवश्यकता अनुसार संशोधन, जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है।

नगर का विकास, उसके भौतिक स्वरूप एवं मानवीय प्रयासों पर निर्धारित होता है। कटनी नगर की वर्तमान आकृति एवं आकार निर्धारित करने में नगर में स्थित जल निकायों, तालाबों, पहाड़ी, खदान क्षेत्र तथा रेल मार्गो की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास योजना में विद्यमान पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण, भू–दृश्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण तथा जल निकायों व तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास, यातायात स्वरूप का उन्नयन एवं अधोसंरचना विकास के प्रभाव भी इस विकास योजना में दिये गए हैं, जिससे कि वर्तमान जनसंख्या के साथ–साथ भावी पीढ़ी को भी स्वच्छ वातावरण तथा सामंजस्य स्थापित करने योग्य अधोसंरचना उपलब्ध हो सके।

भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा **"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation"** **(AMRUT)** योजना की शुरूआत जून 2015 में हुई। अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात जल–आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख–सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से

अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत् मध्यप्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड (Design & Standards) दिये गये हैं।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।

2.1.1 अमृत योजना के उद्देश्य

"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य है:

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना।
2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना।
3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना।

2.1.2 सुदूर संवेदन

सुदूर संवेदन तकनीक के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद (National Remote Sensing Centre - NRSC) से प्राप्त वर्ल्ड व्यू II (World View II) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अन्तर्गत 1:4000 पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक, सारणी 2–सा–1 में दर्शाये गये हैं।

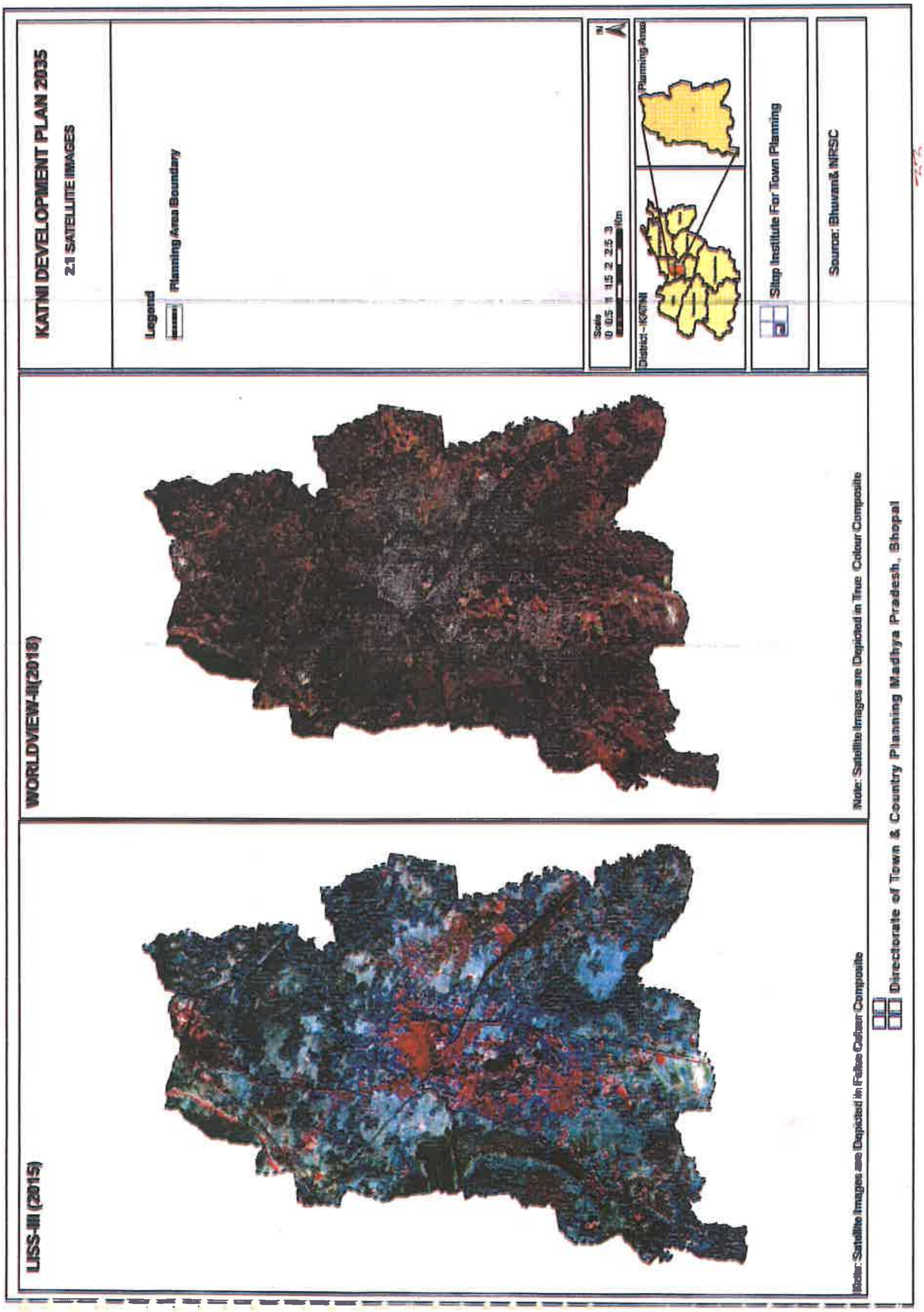
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.1 SATELLITE IMAGES
Legend
Planning Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
N
District - KATNI
Planning Area
Sitap Institute For Town Planning
Source: Bhuvan& NRSC
WORLDVIEW-II(2018)
LISS-III (2015)
Note: Satellite Images are Depicted in True Colour Composite
Note: Satellite Images are Depicted in False Colour Composite
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

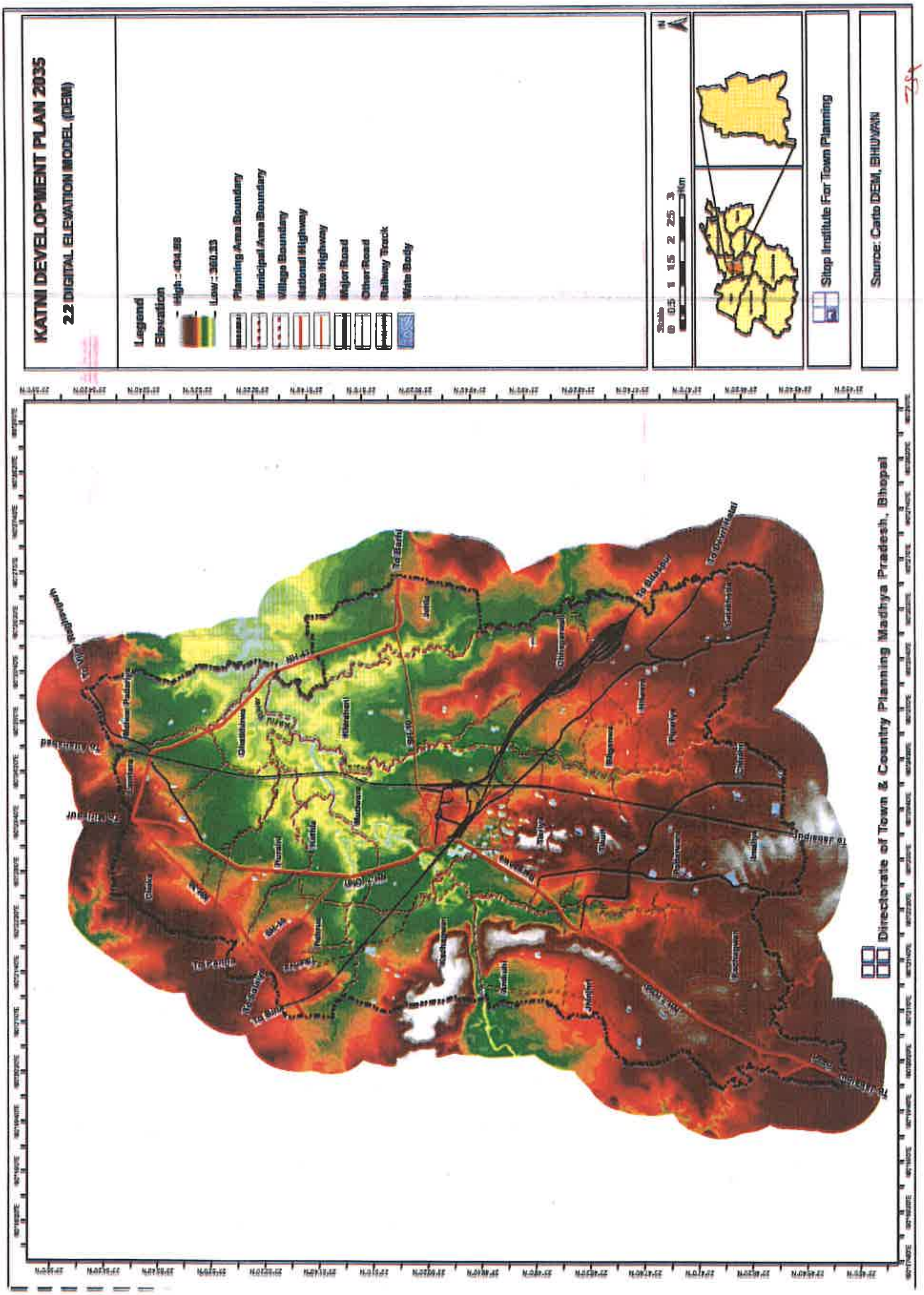
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.2 DIGITAL ELEVATION MODEL (DEM)
Legend
Elevation
High : 434.88
Low : 360.33
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Village Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Other Road
Railway Track
Water Body
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
Sitap Institute For Town Planning
Source: Carto DEM, BHUVAN
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2–सा–1

S.No.	Description	Value	Remarks
1	2	3	4
1	Spatial Resolution	0.5 meters or better	
2	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3	Band to Band registration	Less than 1/4th of pixel size	-
4	Radiometry	10 bit or better	-
5	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	-
6	Monoscopic / Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.
	Monoscopic data view angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases, maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed
	Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height (B/H) ratio: $0.6 < B/H < 0.8$
7	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)	Ortho-kit data with RPCs

स्त्रोत:– एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

भौगोलिक प्रणाली कम्प्यूटराईज्ड पद्धति नगर की सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाकर निर्णय लिया जाता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है। अमृत योजना में विभिन्न स्थानिक लेयर्स (spatial layers) को वर्ग तथा उप–वर्ग (classes and sub classes) में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है, जो कि सारणी 2–सा–2 में दर्शाया गया है।

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब–क्लासेस

सारणी 2–सा–2

S. No.	Spatial Layers	Source for Spatial data generation	Classification based on Use & Attributes	
			Classes	Sub Classes
1	2	3	4	5
1	Base layers 1. Road 2. Bridges 3. Water Bodies	Very high resolution satellite data	3	16
2	Urban Land use/Land cover	Very high resolution satellite data	22	48
3	Building Footprints	Very high Resolution satellite data	16	46
4	Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model (DTM)	CARTO DEM – NRSC, ISRO	1	1
5	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	-
6	Boundaries			
	1. Planning Boundaries	Town & Country Planning	1	1
	2. Municipal Boundaries	Urban Local Bodies	1	1

स्त्रोतः–एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

कटनी विकास योजना 2035 के प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है–संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा स्थायी एवं पूर्ण क्षमतायुक्त उपलब्ध नगरीय क्षेत्र का विकास करना। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया गया है जो आज विद्यमान है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट जो अत्यावश्यक है। भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, आर्थिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये। इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो। एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है–

- **धरातल विशेषताएँ**

भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएं एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत, खनन क्षेत्र, जलप्लवित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग।

- **भूमि उपयोग वितरण**

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू–दृश्यीकरण, स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता ।

- **जनसंख्या विशेषताएँ**

आयु समूह, लिंगानुपात, आब्रजन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर तथा व्यवसायिक संरचना।

- **आर्थिक गतिविधियाँ**

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएं एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएं।

- **यातायात विशेषताएँ**

  वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पदचारी पथ, जलाशय, रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना।

- **आवास विशेषताएँ**

  उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ, एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति।

- **सार्वजनिक सेवाएँ**

  पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएँ।

- **सार्वजनिक सुविधाएँ**

  शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्यिक क्षेत्र।

अतः एकत्रित की गयी जानकारी व एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ल्ड व्यू II (World View II) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजना निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित है, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाइन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है।

2.2.1 उद्देश्य

- **भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना**

  वर्ल्डव्यू–II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी–II को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिता आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो।

- **बसाहट के विस्तार का मानचित्र तैयार करना**

  विभिन्न स्थितियों पर, उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास, क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना ।

1. संपूर्ण कटनी नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना।
2. नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना।

3. जल स्त्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना।
4. नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का संरक्षण करना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना ।
5. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना।

- **जनगणना के आँकड़े**

अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु, जनगणना वर्ष 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एवं 2011 के आँकड़ों को विकास योजना में उपयोग किया गया है।

2.2.2 कार्यप्रणाली

कटनी नगर की अमृत योजना के अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली प्रस्तुत है। अमृत योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया। विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है–

उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

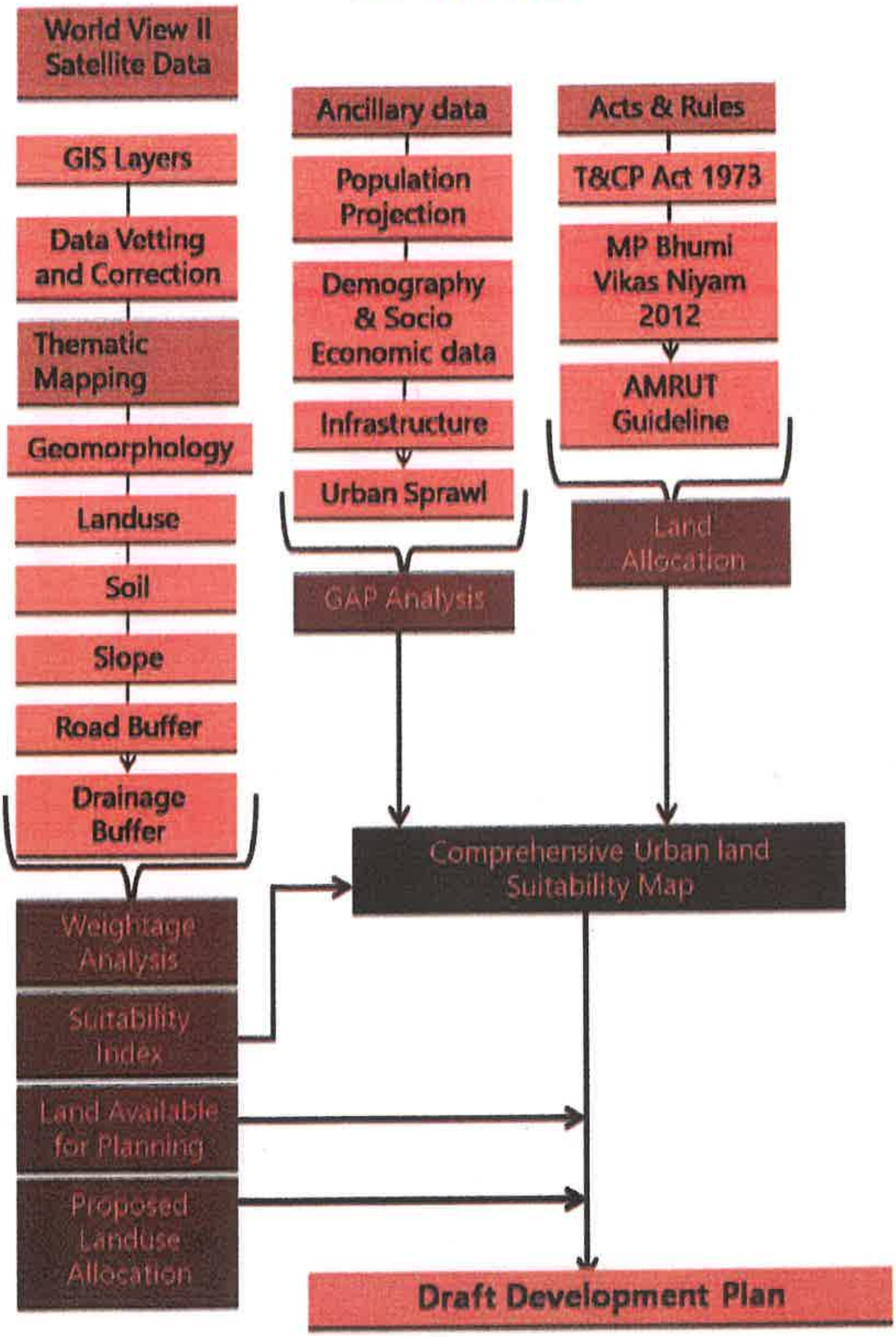

2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अुनसार, कटनी जिले के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किये गये हैं। इन आंकड़ों में नगर की भौगोलिक जानकारी, जनसांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलु, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, इत्यादि सम्मिलित हैं। जल प्रदाय, जल–मलनिकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पर्यटन एवं राजस्व से संबधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है।

2.3.1 थीमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थीमेटिक मानचित्र तैयार किए गये हैं, जिनकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में स्पष्ट की गई है।

यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया, जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी 2–सा–3 में दर्शाया गया है।

यातायात एवं जियो–स्पेशियल डाटा

सारणी 2–सा–3

S.NO	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	01-01	Road	National Highway
	01-02		State Highway
	01-06		Bypass
	01-07		Ring Road
	01-08		Service Road
	01-09		Major City Road
	01-10		Minor City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village road
	01-16		Foot path
	01-17		Cart Track
2	03-01	Bridges	Culvert
	03-03		Bridge across river
	03-05		Under Pass
	03-06		Road Bridge across rail
	03-08		Foot over bridge
3	04-01	Flyovers	Flyover

भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, कटनी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2–सा–4 में दर्शायी गई है।

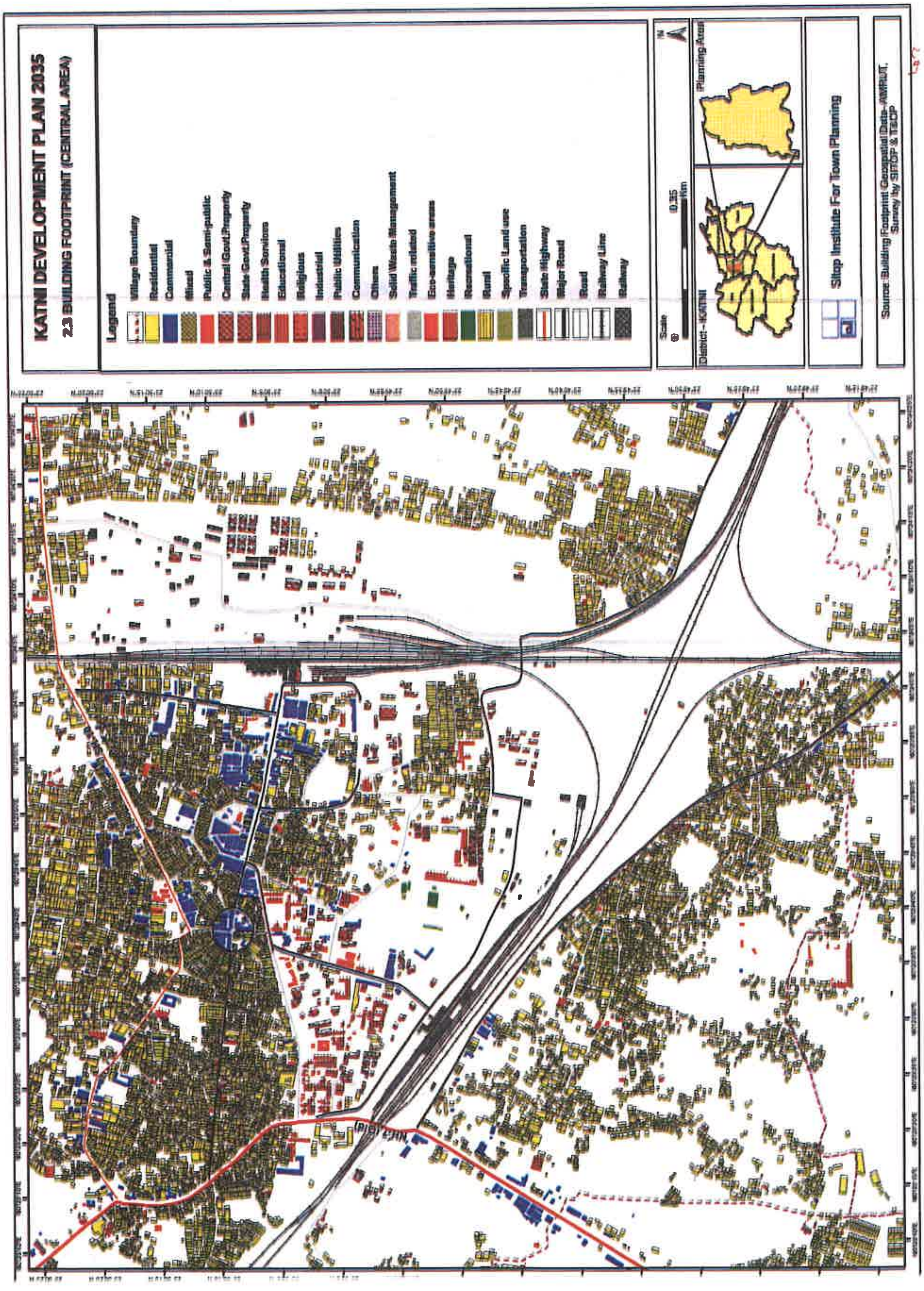
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.3 BUILDING FOOTPRINT (CENTRAL AREA)
Legend
Village Boundary
Residential
Commercial
Mixed
Public & Semi-public
Central Govt Property
State Govt Property
Health Services
Educational
Religious
Industrial
Public Utilities
Communication
Others
Solid Waste Management
Traffic related
Eco-sensitive areas
Nullah
Recreational
Rural
Specific Land use
Transportation
State Highway
Major Road
Road
Railway Line
Railway
Scale
0
0.35
Km
District - KATNI
Planning Area
Shilp Institute For Town Planning
Source: Building Footprint Geospatial Data-AMRUT, Survey by SITOP & T&CP

बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो–स्पेशियल डाटा

सारणी 2–सा–4

S.NO	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	06-04	Residential	House
	06-05		Group of Houses
	06-06		Apartment
2	07-01	Commercial	Retail
	07-02		Wholesale
	07-03		General Business
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant
	07-05		Shopping Centre /Mall
	07-06		Multiplex / Cinema
	07-07		Function Hall / Marriage Garden
	07-08		Warehouse
	07-09		Storage Godown
	07-11		Petrol Pump / LPG filling station
	07-13		Hostel
	07-14		Market (Daily & Weekly) / Mandi
	07-15		Garrage
3	08-01	Industries	Manufacturing
	08-03		Chemical
	08-04		Pharmaceutical
	08-05		Textile
	08-08		Agro based & Food Processing
	08-10		Cottage and Household
	08-11		Other Industries
4	09-01	Mixed	Residential & Commercial
	09-02		Residential & Household Industry
	09-03		Residential & Educational
	09-04		Residential & Health Services
	09-09		Residential & Commercial & Institutional
	09-10		Residential & Commercial & Health Services
5	10-01	Educational	School
	10-02		College
	10-04		Vocational Institute
	10-05		Anganwari
	10-06		Training Institute

कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप)

S.NO	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
6	11-01	Health Services	Govt. Hospital
	11-02		Private Hospital
	11-04		Clinic/Dispensary
	11-06		Primary/Community Health Centre
7	12-01	Central Govt. Property	CG_Office
	12-02		CG_Quarter
8	13-01	State Govt. Property	SG_Office
	13-02		SG_Quarter
9	14-01	Railway	Railway Property
10	15-01	Public & Semi- public	Private Office
	15-02		Banks
	15-05		Police Station
	15-07		Jail
	15-08		Crematorium Burial Groun /Grave Yard
	15-09		Guest-house/Rest-house
	15-10		Community Hall
	15-11		Dharmashala
	15-13		Auditorium
	15-14		Convention Centre
	15-15		Museum
	15-16		Public Library
	15-17		Art Gallery & Cultural Centre
	15-18		LPG/CNG Gas Booking Office
	15-25		Public/Community Toilet
	15-26		Social Welfare Centre
	15-29		Night Shelter
	15-30		Fire Station
	15-31		ATM
11	16-01	Religious	Temple
	16-02		Mosque
	16-03		Idgah
	16-04		Church
	16-05		Gurudwara
	16-06		Monastery
	16-07		Synagogue
	16-08		Chhatri
	16-09		Aashram/Math/Bhojanshala
12	17-01	Recreational	Garden

कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप)

S.NO	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
	17-02		Park
	17-04		Club
	17-05		Sports Centre
	17-06		Gymnasium
	17-08		Stadium
	17-11		Open Air Theatre
	17-14		Exhibition Ground
13	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-01-09		Over Head Tank
	18-03-01		Sewage Treatment Plant
	18-03-02		Sewage Pumping Station
	18-04-01		Electric Power Plant
	18-04-02		Electric Sub-Station
14	20-01	Communication	Telephone exchange
	20-02		Post /Telegraph Office
	20-04		Satellite & Telecommunication Centre
15	24-01	Transportation	Bus stand /Terminus
	24-02		Railway Station
	24-03		Railway Yard / Siding
	24-10		Truck Terminus
	24-12		Taxi Stand
16	25-03	Traffic related	Parking Space / Area
	25-04		Multi-level Parking
	25-05		Parking Shed
17	26-02	Rural	House
18	32-03	Eco-Sensitive Areas	Botanical Garden
19	33-03	Others	Brick kiln
	33-09		Farm house
	33-10		Dairy farm
	33-11		Poultry farm
	33-14		Dairy booth
	33-16		Pump House
	33-17		Gaushala
	33-19		Poly House

ग्राम/वार्ड सीमा

भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू–अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई। कटनी नगर पालिक निगम से प्राप्त वार्ड मानचित्रों के आधार पर नगर पालिक निगम सीमा का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया। अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50000 तथा 1:25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया। उक्त मानचित्र का उपयोग एकीकृत वार्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है। जनसंख्या के आँकड़े जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए, उनका ग्राम मानचित्रों से संबंध स्थापित किया गया। थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजीटाईज कर कटनी निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं। क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं। अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2–सा–5 में दर्शायी गई है।

सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2–सा–5

S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1.	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
	37-06		Forest Boundary
	37-07		Revenue Boundary
2.	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
	38-04		Controlled Area Boundary
3.	37-05	Municipal Boundaries	Municipal Boundary
	37-06		Ward Boundary
	37-07		Zone Boundary

ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto-DEM (Cartosat-1 derived Digital Elevation Model) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया। ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है।

ढलान का प्रतिशत = (ऊँचाई में अंतर/दूरी में अंतर) X 100

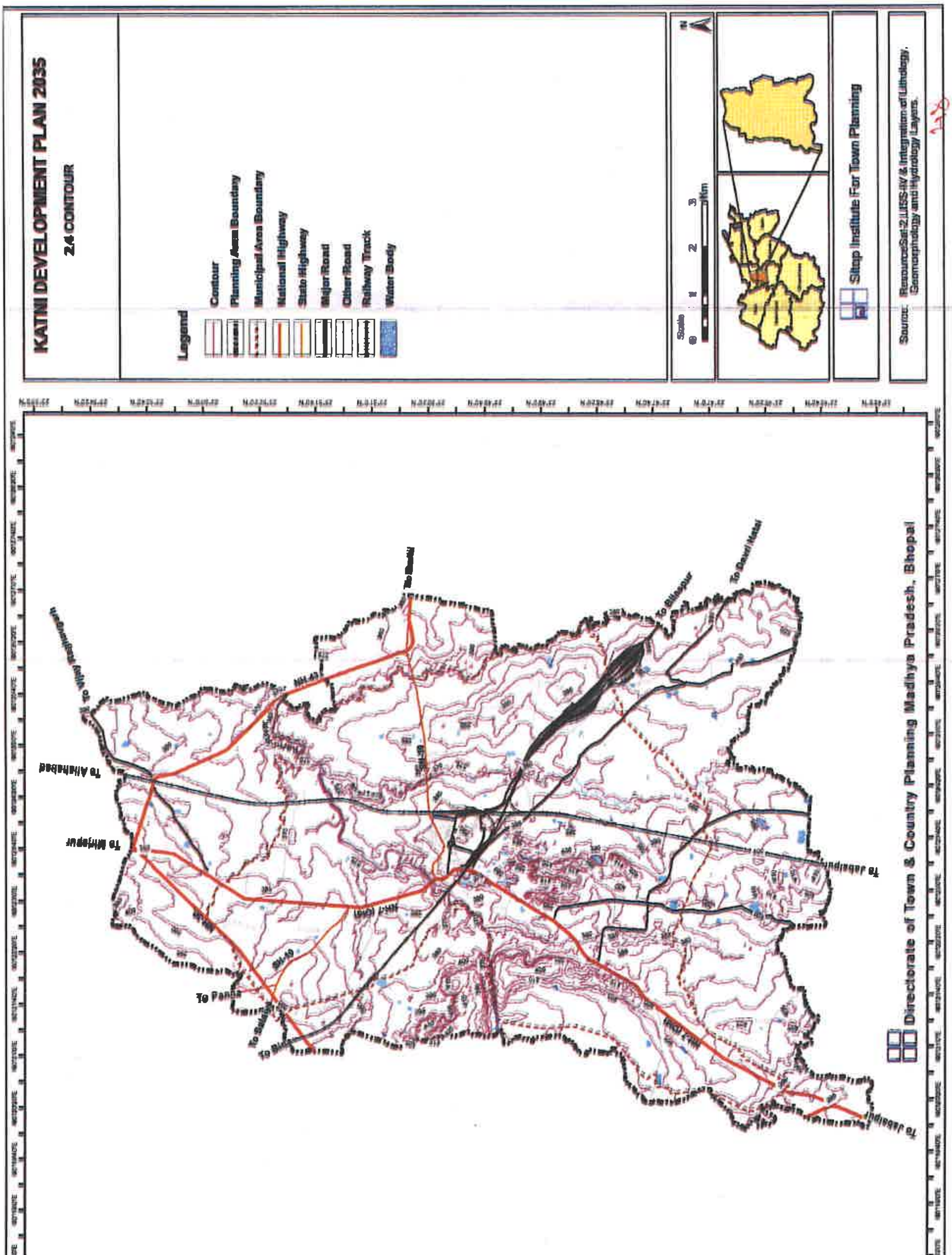
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.4 CONTOUR
Legend
Contour
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Other Road
Railway Track
Water Body
Scale
0 1 2 3 Km
N
Sitap Institute For Town Planning
Source: ResourceSat-2 LISS-IV & Integration of Lithology, Geomorphology and Hydrology Layers.
To Allahabad
To Mirzapur
To Panna
To Jabalpur
To Bilaspur
To Dauri Mahal
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

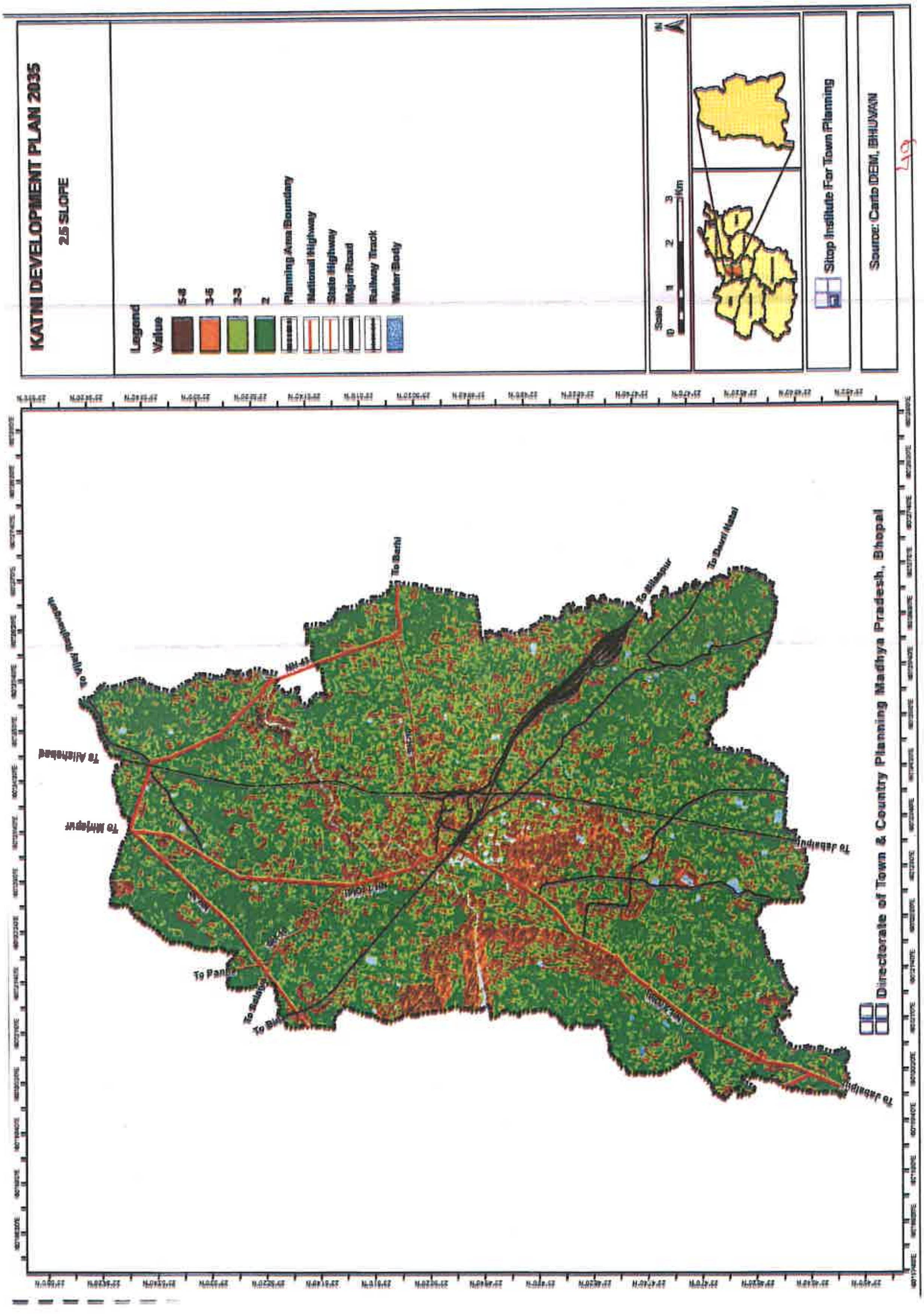
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.5 SLOPE
Legend
Value
5-8
3-5
2-3
2
Planning Area Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Railway Track
Water Body
Scale
0 1 2 3 Km
Sitop Institute For Town Planning
Source: Carto DEM, BHUVAN
To Barhi
To Allahabad
To Mirzapur
To Jabalpur
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2–सा–6 में दिया गया है।

ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2–सा–6

क्र.	ढलान (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	>15	1261.30	9.6
2.	10-15	53.30	0.4
3.	5-10	298.83	2.3
4.	3-5	4836.74	36.9
5.	1-3	6651.80	50.8
	योग	**13101.87**	**100 %**

स्त्रोतः–भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

मृदा

संपूर्ण जिले के मिट्टी के प्रकार का मानचित्र, भारत की मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग Soil & Land Use Survey of India (SLUSI), जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं। उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित करती है, का उपयोग किया है, मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया।

कटनी निवेश क्षेत्र में मिट्टी की जानकारी Madhya Pradesh Counsil of Science and Technology, Bhopal (MPCST) (Source – National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning - NBSS&LUP) के आधार पर अध्ययन कर, प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया है। इससे मिट्टी की संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया है।

मृदा विश्लेषण

सारणी 2–सा–7

क्र.	मिट्टी की संरचना	क्षेत्रफल (हे.में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Builtup	1179.32	9.00%
2	Fine	6804.50	51.91%
3	Fine Loamy	1797.64	13.71%
4	Fine Silty	1325.43	10.11%
5	Loamy Skeletal	1054.02	8.04%
6	Loamy	871.54	6.65%
7	River	77.19	0.59%
Total		13101.87	100%

स्त्रोतः– भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण / जी.आई.एस. सर्वेक्षण

टीपः भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त मृदा विश्लेषण में निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल के अलावा मिट्टी की संरचना दर्शाई गई है।

बाढ़ आपदा

इस जानकारी हेतु ढलान, जलाशय मानचित्र, प्राप्त आँकड़ों तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर संभावित बाढ़ क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है।

जलाशय

वर्ल्ड व्यू–II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर कटनी नगर में स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2–सा–8 में दर्शायी गई है।

जलाशयों का वर्गीकरण

सारणी 2–सा–8

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	05-01	Water Bodies	River
	05-02		Stream
	05-03		Canal
	05-04		Drain
	05-05		Ponds
	05-06		Lake

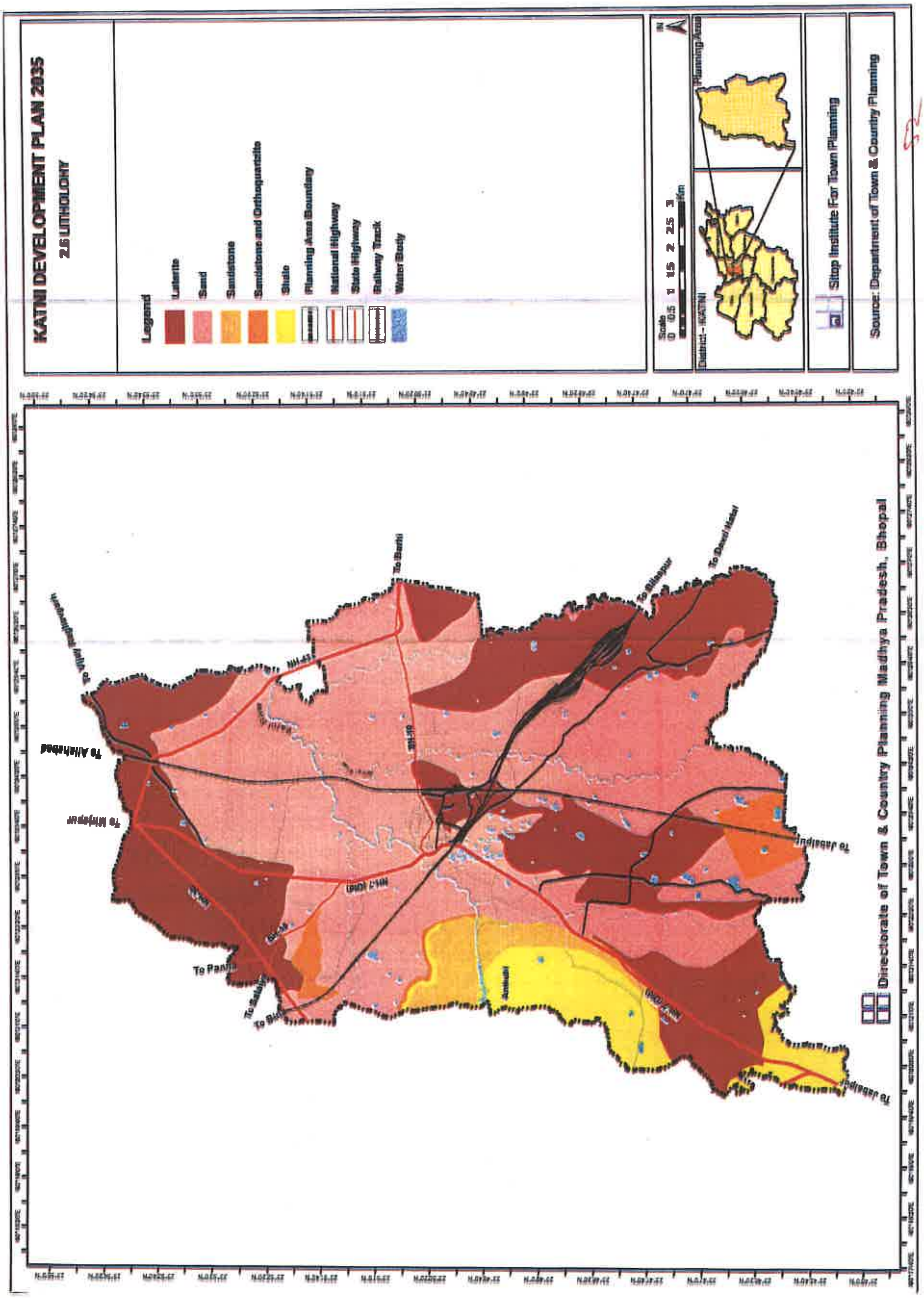
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.6 LITHOLOGY
Legend
Laterite
Sand
Sandstone
Sandstone and Orthoquartzite
Shale
Planning Area Boundary
National Highway
State Highway
Railway Track
Water Body
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - KATNI
Planning Area
Sitop Institute For Town Planning
Source: Department of Town & Country Planning
To Allahabad
To Mirzapur
To Jabalpur
To Panna
To Bilaspur
To Barhi
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

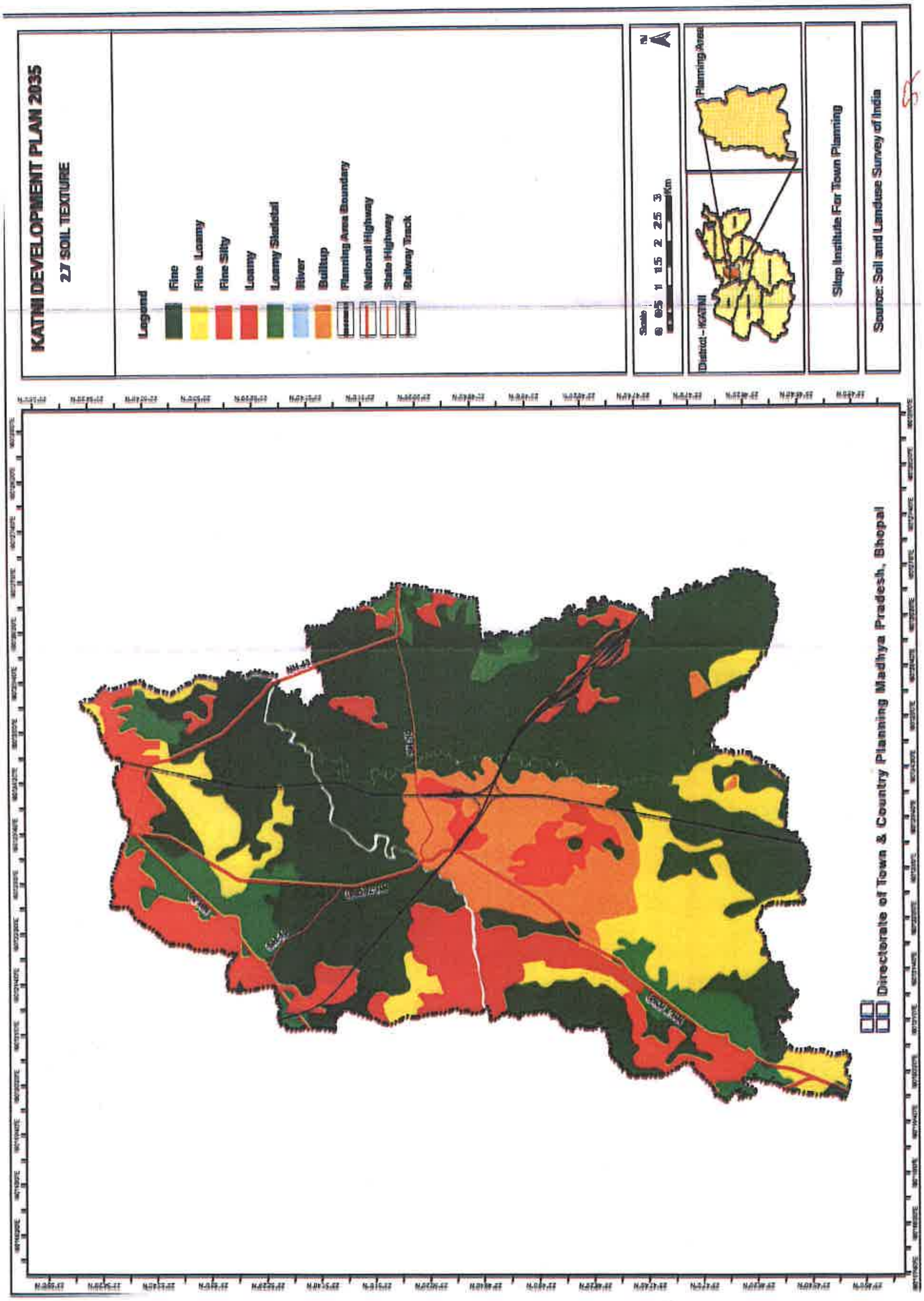
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.7 SOIL TEXTURE
Legend
Fine
Fine Loamy
Fine Silty
Loamy
Loamy Skeletal
River
Builtup
Planning Area Boundary
National Highway
State Highway
Railway Track
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
N
District - KATNI
Planning Area
Sitap Institute For Town Planning
Source: Soil and Landuse Survey of India
NH-43
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

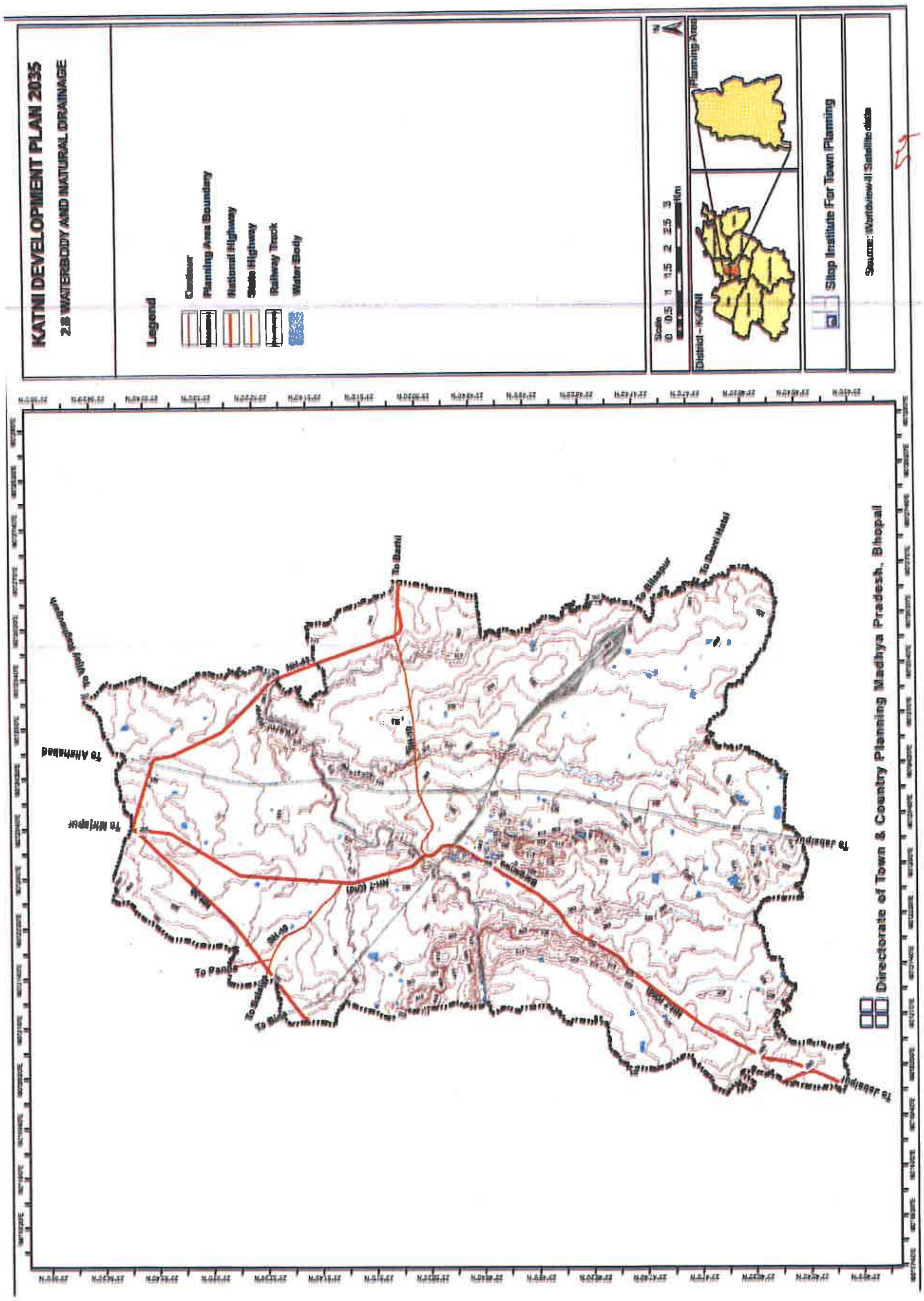
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.8 WATERBODY AND NATURAL DRAINAGE
Legend
Contour
Planning Area Boundary
National Highway
State Highway
Railway Track
Water Body
District - KATNI
Planning Area
Silop Institute For Town Planning
To Allahabad
To Mirzapur
To Panna
To Jabalpur
To Bilaspur
To Barhi
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

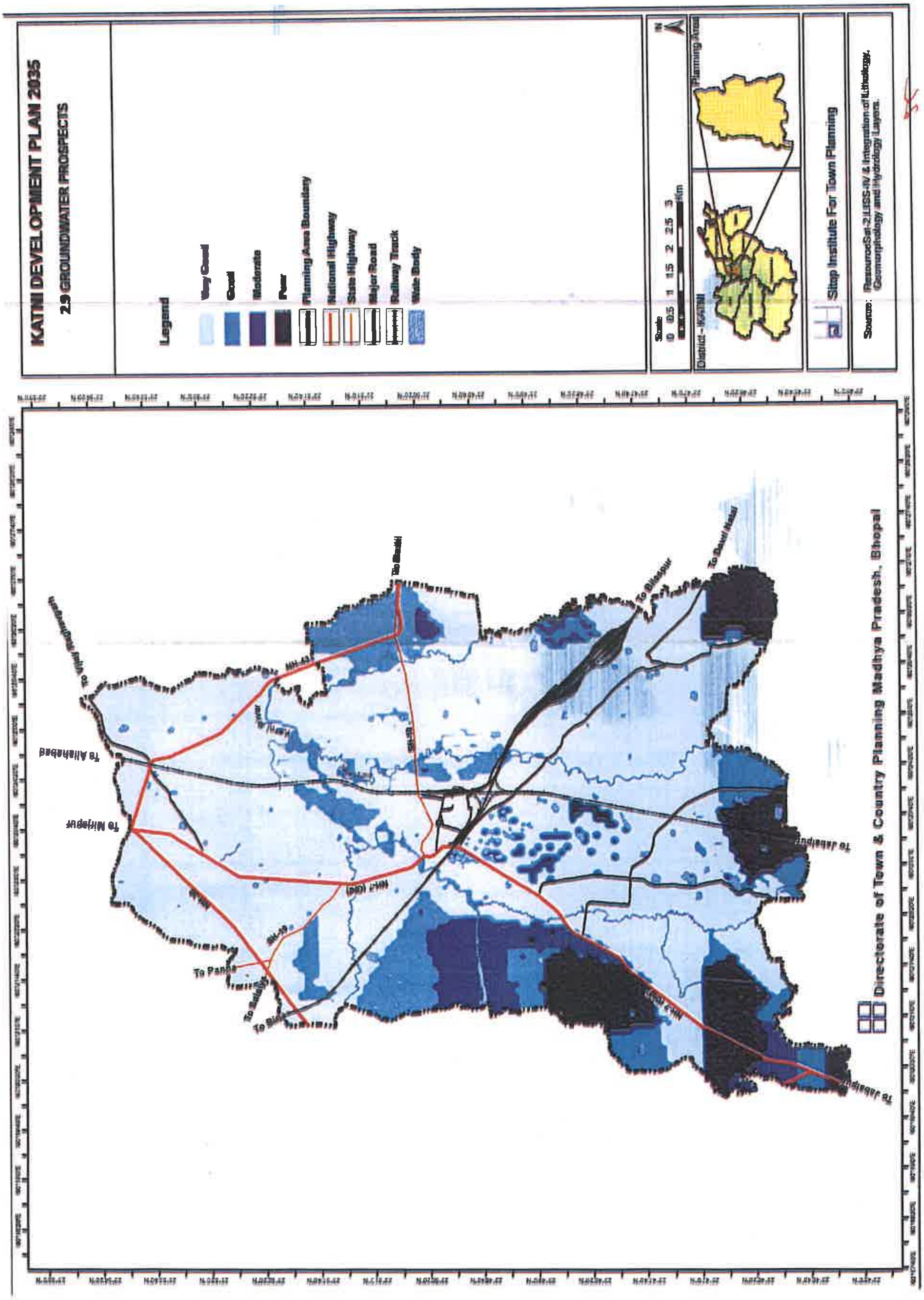
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.9 GROUNDWATER PROSPECTS
Legend
Very Good
Good
Moderate
Poor
Planning Area Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Railway Track
Water Body
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - KATNI
Planning Area
Sitop Institute For Town Planning
Source: ResourceSat-2 LISS-IV & Integration of Lithology, Geomorphology and Hydrology Layers.
To Allahabad
To Mirzapur
To Panna
To Jabalpur
To Bilaspur
To Shahdol
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

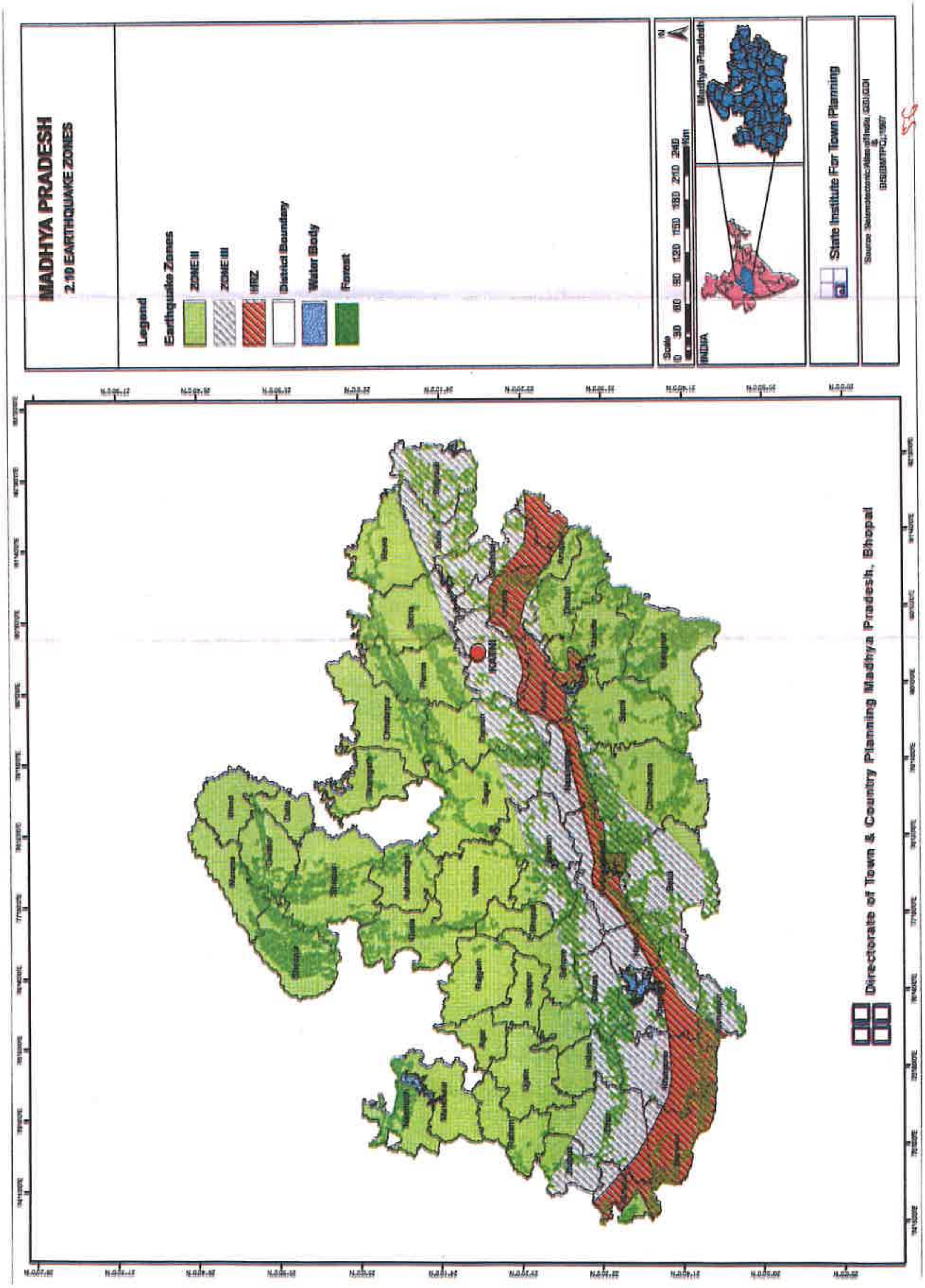
MADHYA PRADESH
2.10 EARTHQUAKE ZONES
Legend
Earthquake Zones
ZONE II
ZONE III
HRZ
District Boundary
Water Body
Forest
Scale
0 30 60 90 120 150 180 210 240 Km
INDIA
Madhya Pradesh
State Institute For Town Planning
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस् (Fractures and Faults), मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय भू–भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) के आँकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया।

भूमि मूल्य

मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग से निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम के वार्डों के अन्तर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया है।

कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप)

भूमि मूल्य

सारणी 2–सा–9

क्र.	वार्ड का नाम	भूमि मूल्य (रूपये प्रति वर्ग.मी.)			
		आवासीय		व्यवसायिक	
		न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6
1.	बाल गंगाधर तिलक वार्ड	4000	12000	6000	12000
2.	बिरसा मुण्डा वार्ड	4000	12000	6000	12000
3.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	4800	12000	6000	12000
4.	इंदिरा गांधी वार्ड	6400	29600	8000	29600
5.	राममनोहर लोहिया वार्ड	7200	29600	10800	29600
6.	चंद्रशेखर आजाद वार्ड	4800	33600	6800	33600
7.	गणेश प्रसाद मसुरहा वार्ड	10400	33600	10400	33600
8.	जालपा देवी वार्ड	9600	33600	12000	33600
9.	महात्मा गांधी वार्ड	9600	33600	12000	33600
10.	जयप्रकाश वार्ड	7600	36000	10800	36000
11.	जगमोहन दास वार्ड	6800	20000	8800	20000
12.	सावरकर वार्ड	8000	68000	9600	68000
13.	वेंकट वार्ड	4400	33600	6000	33600
14.	राजीव गांधी वार्ड	4800	60000	6000	60000
15.	आचार्य विनोवा भावे वार्ड	4800	12000	6800	14400
16.	रफी अहमद किदवई वार्ड	4800	19200	6800	19200
17.	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड	4800	12000	4800	14400
18.	राम जानकी वार्ड	4800	6800	6800	6800
19.	बाबू जगजीवन राम वार्ड	2600	3000	3300	4800
20.	शिवाजी वार्ड	2400	2400	3400	3600
21.	अम्बेडकर वार्ड	2900	6400	3600	6400
22.	गुरूनानक वार्ड	48000	88000	48000	88000
23.	रघुनाथगंज वार्ड	48000	96000	48000	96000
24.	ईश्वरीपुरा वार्ड	19200	96000	19200	96000
25.	बी0डी0 अग्रवाल वार्ड	14400	96000	29600	96000
26.	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	14400	60000	176000	60000
27.	मदन मोहन चौबे वार्ड	5200	48000	6800	48000
28.	पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड	5200	48000	6800	48000

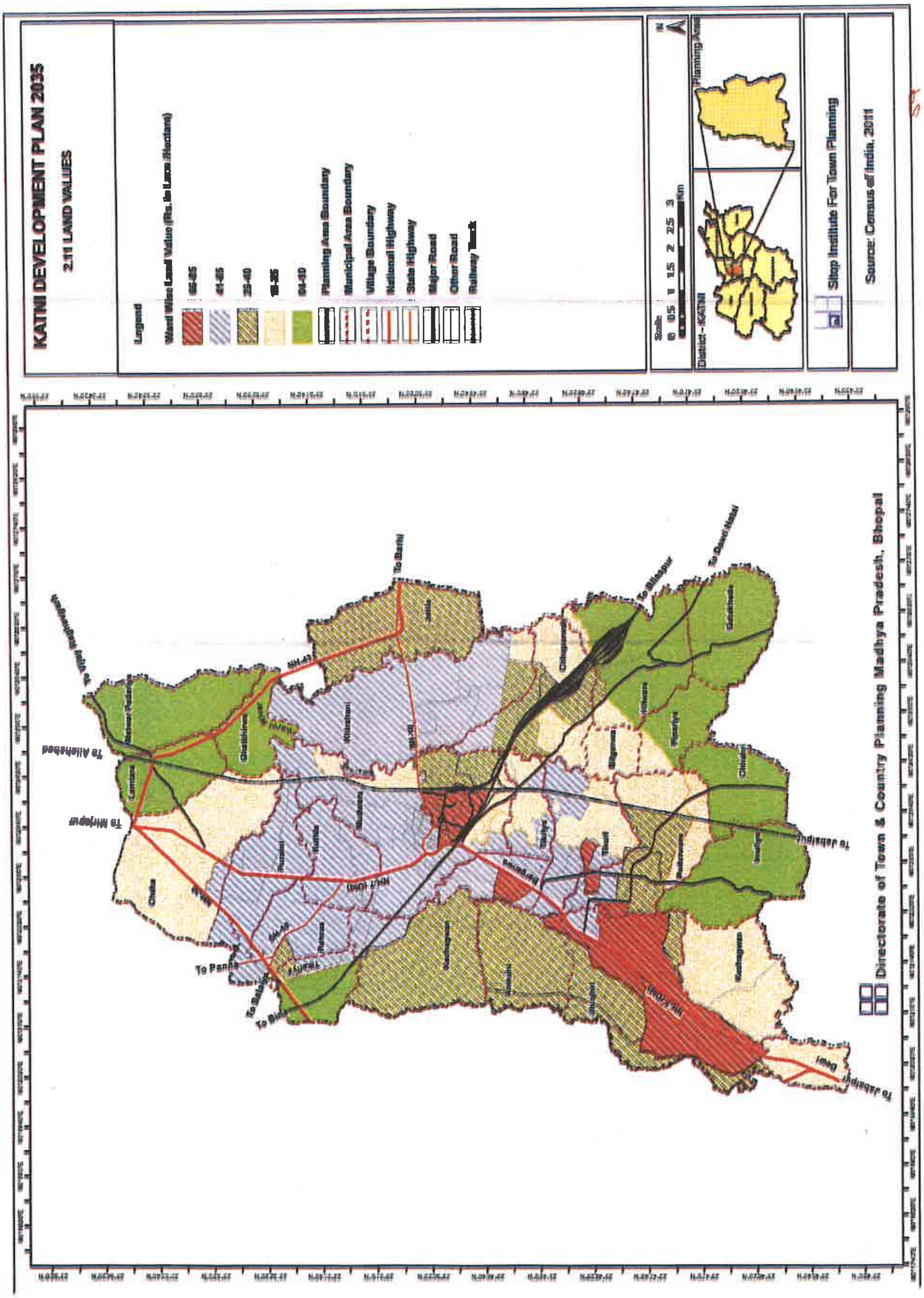
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.11 LAND VALUES
Legend
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Village Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Other Road
Railway Track
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - KATNI
Planning Area
Sitep Institute For Town Planning
Source: Census of India, 2011
To Allahabad
To Mirzapur
To Panna
To Bina
To Jabalpur
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

क्र.	वार्ड का नाम	भूमि मूल्य (रूपये प्रति वर्ग.मी.)			
		आवासीय		व्यवसायिक	
		न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6
29.	वंशरूप वार्ड	4800	48000	9600	48000
30.	सी0एल0 पाठक वार्ड	4800	9600	9600	14400
31.	रामनिवास सिंह वार्ड	4000	8000	8000	12000
32.	कावस जी वार्ड	3000	6000	4000	8000
33.	फारेस्टर वार्ड	2400	4400	3400	6400
34.	रामकृष्ण परमहंस वार्ड	3100	4800	3700	6400
35.	श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड	4400	5200	5200	6800
36.	डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	2800	4800	3400	6400
37.	विवेकानंद वार्ड	2800	4800	3400	6400
38.	डॉ जाकिर हुसैन वार्ड	2800	4800	3400	6400
39.	बाबा नारायण शाह वार्ड	4800	8400	6400	9600
40.	हेमू कलाणी वार्ड	6400	52000	9600	52000
41.	आचार्य कृपलानी वार्ड	7200	30400	9600	30400
42.	संतकंवरराम वार्ड	4800	7700	5200	10600
43.	महाराणा प्रताप वार्ड	2400	40000	3400	40000
44.	विश्राम बाबा वार्ड	6400	8800	8000	12000
45.	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड	4000	6000	5200	8800

स्त्रोतः— पंजीयन विभाग कटनी

भू—आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

कटनी निवेश क्षेत्र को भू—आकृति की दृष्टि से आठ भागों में विभाजित किया गया है।क्षेत्र का अधिकांश भाग भू—आकृति की दृष्टि से विन्ध्य पठार क्षेत्र में आता है। यह जानकारी सारणी 2—सा—10 में दर्शायी गयी है।

भू–आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2–सा–10

क्र.	जिओमॉर्फोलॉजी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	Moderately Dissected Hills	351.19	2.68
2.	Pediment	1353.49	10.33
3.	Pediment Pediplain Complex	11060.39	84.42
4.	Quarry and Mine Dump	28.77	0.22
5.	Waterbody - River	308.13	2.35
	Total	**13101.87**	**100.00**

स्त्रोतः–भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

जल स्त्रोत बफर

कटनी निवेश क्षेत्र में जल स्त्रोत अंतर्गत मुख्यतः तालाब, नदी, नाला एवं नहर सम्मिलित किये गये हैं। तालाबों/जल निकायों के चारों ओर निम्नानुसार वृक्षारोपण रखा गया है, जिससे तटीय क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में यथावत रखा जा सके। जल स्त्रोत बफर की जानकारी सारणी 2–सा–11 में दर्शायी गई है।

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2–सा–11

क्र.	बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	60 मीटर	1693.09	100
2.	45 मीटर	1234.59	72.91
3.	30 मीटर	802.26	47.38
4.	15 मीटर	391.86	23.14
	कुल निवेश क्षेत्र	**13101.87**	

स्त्रोतः– जी.आई.एस. सर्वेक्षण

टीपः– विभिन्न बफर क्षेत्रों का प्रतिशत 60 मीटर बफर के क्षेत्रफल के आधार पर लिया गया है।

भूमि अवक्रमण (Land Degradation)

कटनी निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2–सा–12 में दर्शायी गई है।

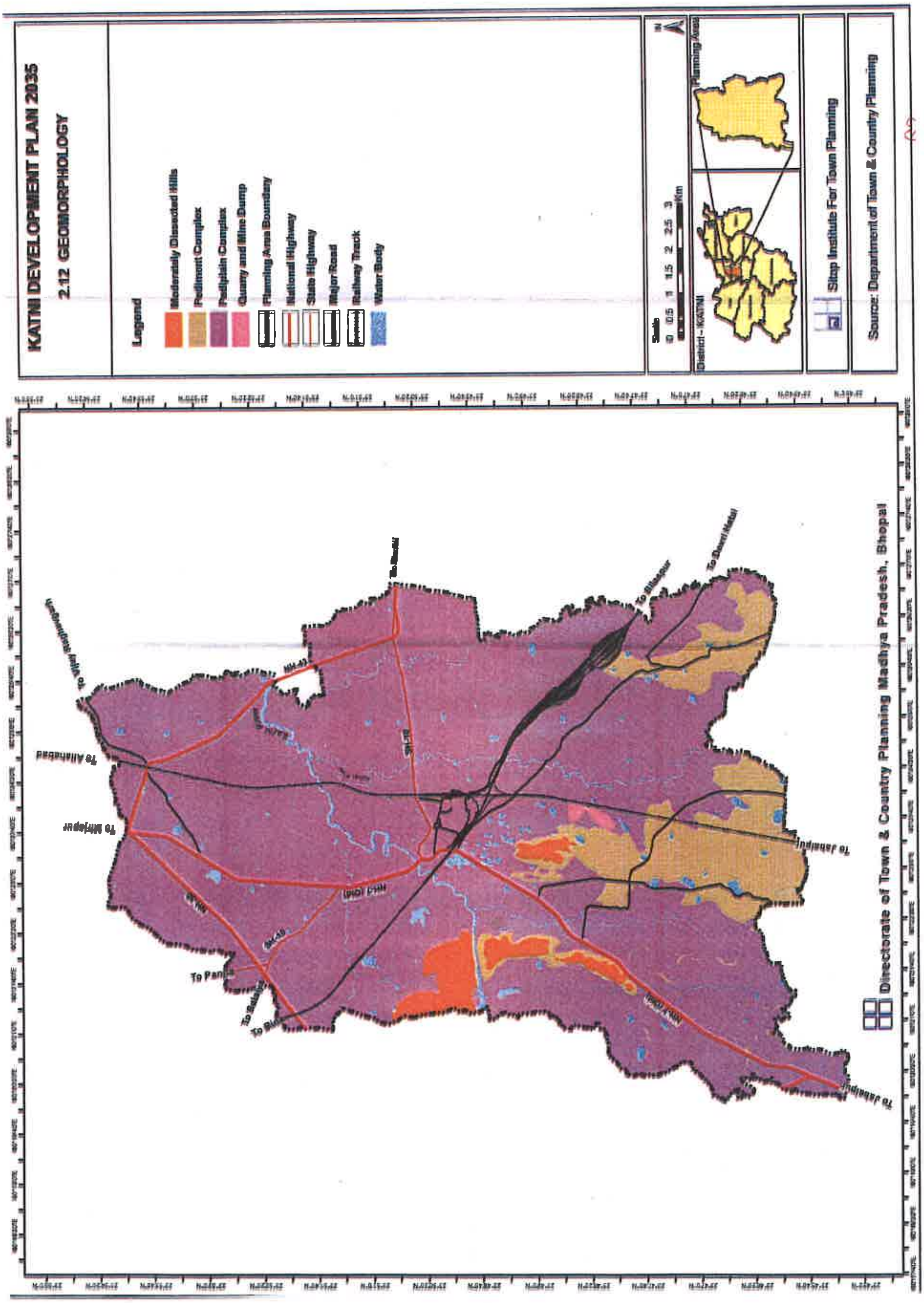
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.12 GEOMORPHOLOGY
Legend
Moderately Dissected Hills
Pediment Complex
Pediplain Complex
Quarry and Mine Dump
Planning Area Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Railway Track
Water Body
Planning Area
Sitap Institute For Town Planning
Source: Department of Town & Country Planning
To Allahabad
To Mirzapur
To Jabalpur
To Panna
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

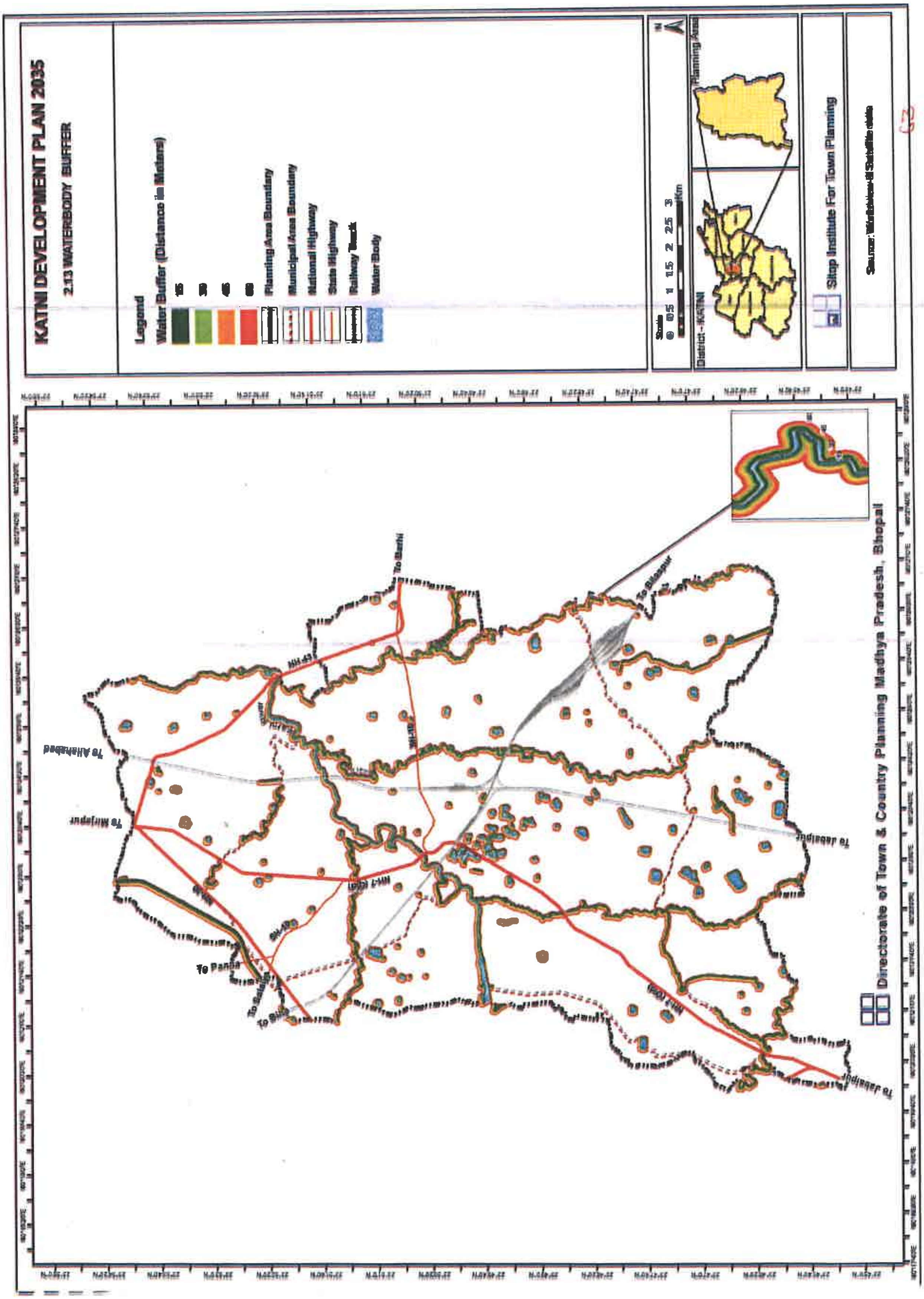

KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.13 WATERBODY BUFFER
Legend
Water Buffer (Distance in Meters)
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
National Highway
State Highway
Railway Track
Water Body
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - KATNI
Planning Area
Sitap Institute For Town Planning
To Allahabad
To Mirzapur
To Panna
To Satna
To Bina
To Bilaspur
To Jabalpur
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

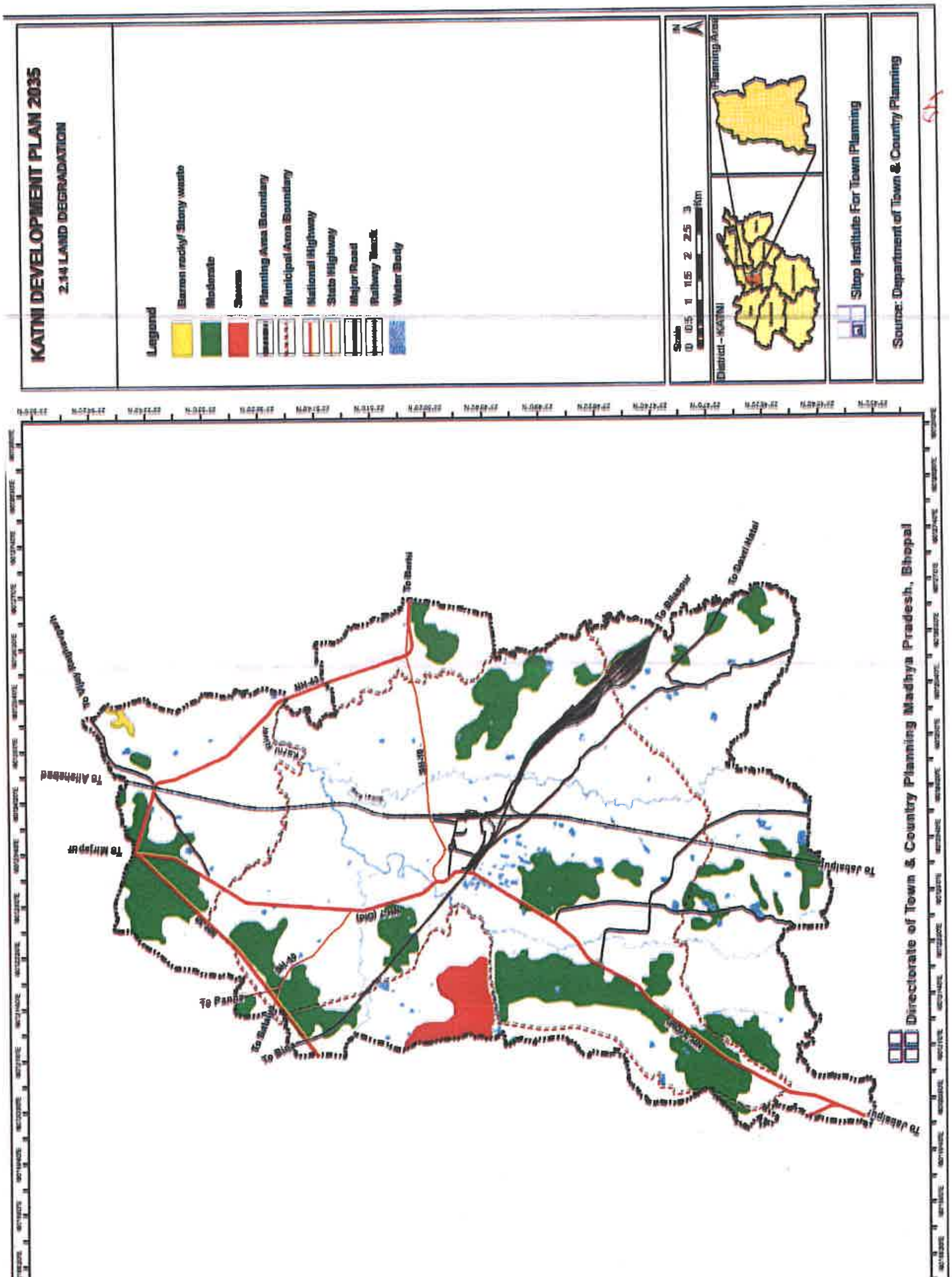
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.14 LAND DEGRADATION
Legend
Barren rocky/ Stony waste
Moderate
Severe
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Railway Track
Water Body
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - KATNI
Planning Area
Sloop Institute For Town Planning
Source: Department of Town & Country Planning
To Barhi
To Bilaspur
To Allahabad
To Mirzapur
To Jabalpur
To Panna
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

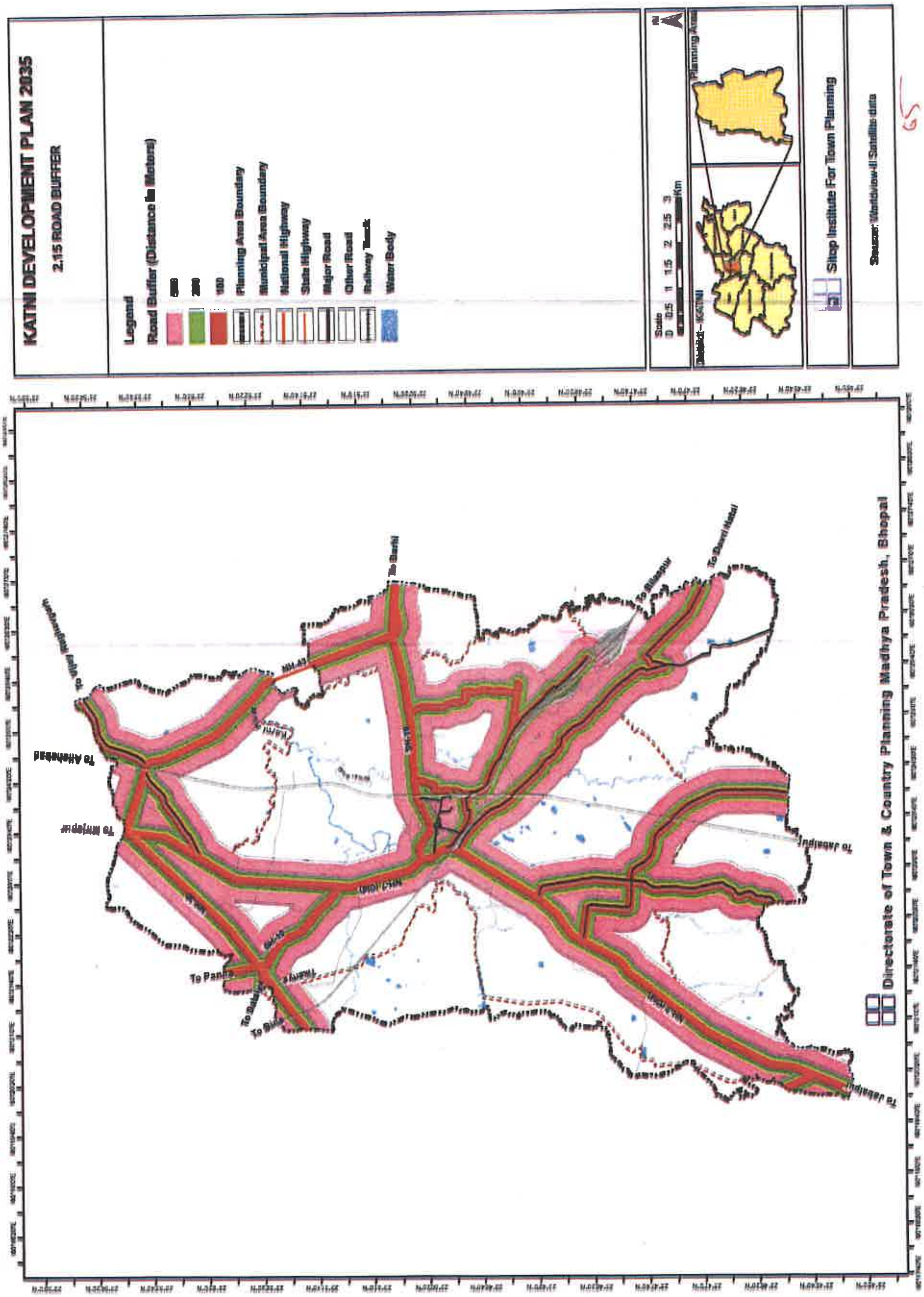
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.15 ROAD BUFFER
Legend
Road Buffer (Distance in Meters)
300
200
100
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Other Road
Railway Track
Water Body
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - KATNI
Planning Area
Source: Worldview-II Satellite data
To Barhi
To Allahabad
To Mirzapur
To Jabalpur
To Panna
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

भूमि अवक्रमण

सारणी 2–सा–12

S. No.	Land Degradation Class	Area (Ha.)
1	2	3
1.	Barren rocky/ Stony waste	16.46
2.	Water erosion - Sheet - Moderate	2083.68
3.	Water erosion - Sheet - Severe	197.26
	Total	2297.40

स्त्रोतः– भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण / जी.आई.एस. सर्वेक्षण

मार्ग संरचना बफर

मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है। कटनी से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 30 एवं 43 गुजरते है, जो नगर को सतना, नागपुर, प्रयागराज एवं शहडोल नगरों से जोड़ता है। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गो को सम्मिलित किया गया है एवं बफर ज़ोन, मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गये हैं। ज़ोन के अन्तर्गत बफर मार्ग संरचना की जानकारी उपरोक्त सारणी 2–सा–13 में दर्शायी गयी है।

मार्ग संरचना बफर

सारणी 2–सा–13

क्र.	मार्गबफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	100	1564.89
2.	200	1471.24
3.	500	3827.34
	योग	6863.47

स्त्रोतः– भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण / जी.आई.एस. सर्वेक्षण

रेलवे स्टेशन

कटनी नगर का रेलवे स्टेशन देश के बड़े और व्यस्त रेलवे जंक्शन में से एक है। यहाँ से जबलपुर, इंदौर, भोपाल, झांसी (उत्तर प्रदेश), प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), नई दिल्ली के लिए सीधे रेल सुविधा उपलब्ध है।

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि किस भूमि का विकास किया जाए एवं किस प्रकार किया जाए। इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध, एवं सामाजिक तथा आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है। भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता है:-

1. भूमि का बाज़ार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है।
2. प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन।
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है, एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है, का भी विकास होगा। यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होंगी तो बाज़ार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस अध्याय में उल्लेखित है, को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है।

इस अध्ययन में बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ। कटनी नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis) अपनाई गई। इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखा जाना चाहिए। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है।

1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार
3. ढलान का प्रतिशत

4. बाढ़ आपदा
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना
7. जियोमॉर्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है। सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है। उदाहरण स्वरूप यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे। अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किए गए हैं।

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि/नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2–सा–14 में दिया गया है।

संयुक्त भूमि उपयुक्तता (Weighted Index For Composite Land Suitability)

सारणी 2–सा–14

[Model 1]

S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1	2	3	4	5
1	Land Use/ Land Cover	20	Agriculture	9
2			Vacant Land	9
3			Wasteland	8
4			Built-up	1
5			Mining	1
6			Hill	0
7			Water Body	0
1	Geomorphology	20	Pediplain Complex	9
2			Pediment Complex	6
3			Quarry and Mine dump	0
4			Moderately Dissected Hill	0
1	Ground Water Prospects	12	Moderate To Poor	7
2			Poor	5
3			Poor to Nil	2
4			Water Body Mask	0
1	Soil Texture	10	Fine	8
2			Fine Loamy	7
3			Loamy Skeletal	7
4			Loamy	6
5			Fine Silty	5
6			Built-up	1
7			Water Bodies	0
1	Road Buffer	08	500 m	9
2			200 m	8
3			100 m	7
1	Water Bodies Buffer	15	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	0
1	Slope	10	0-2	9
2			2-4	8
3			4-6	3
4			6-8	1
1	Land Value	05	400000-1000000	9
2			1000001-2500000	7
3			2500001-4000000	5
4			4000001-6500000	3
5			6500001-8500000	2

[Model 2]

S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1	2	3	4	5
1	Land Use/ Land Cover	25	Agriculture	9
2			Vacant Land	9
3			Wasteland	8
4			Built-up	1
5			Mining	1
6			Hill	0
7			Water Body	0
1	Geomorphology	10	Pediplain Complex	9
2			Pediment Complex	6
3			Quarry and Mine dump	0
4			Moderately Dissected Hill	0
1	Ground Water Prospects	15	Moderate To Poor	7
2			Poor	5
3			Poor to Nil	2
4			Water Body Mask	0
1	Soil Texture	10	Fine	8
2			Fine Loamy	7
3			Loamy Skeletal	7
4			Loamy	6
5			Fine Silty	5
6			Built-up	1
7			Water Bodies	0
1	Road Buffer	13	500 m	9
2			200 m	8
3			100 m	7
1	Water Bodies Buffer	10	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	0
1	Slope	10	0-2	9
2			2-4	8
3			4-6	3
4			6-8	1
1	Land Value	07	400000-1000000	9
2			1000001-2500000	7
3			2500001-4000000	5
4			4000001-6500000	3
5			6500001-8500000	2

[Model 3]

S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1	2	3	4	5
1	Land Use/ Land Cover	16	Agriculture	9
2			Vacant Land	9
3			Wasteland	8
4			Built-up	1
5			Mining	1
6			Hill	0
7			Water Body	0
1	Geomorphology	20	Pediplain Complex	9
2			Pediment Complex	6
3			Quarry and Mine dump	0
4			Moderately Dissected Hill	0
1	Ground Water Prospects	12	Moderate To Poor	7
2			Poor	5
3			Poor to Nil	2
4			Water Body Mask	0
1	Soil Texture	08	Fine	8
2			Fine Loamy	7
3			Loamy Skeletal	7
4			Loamy	6
5			Fine Silty	5
6			Built-up	1
7			Water Bodies	0
1	Road Buffer	08	500 m	9
2			200 m	8
3			100 m	7
1	Water Bodies Buffer	13	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	0
1	Slope	13	0-2	9
2			2-4	8

S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1	2	3	4	5
3			4-6	3
4			6-8	1
1	Land Value	10	400000-1000000	9
2			1000001-2500000	7
3			2500001-4000000	5
4			4000001-6500000	3
5			6500001-8500000	2

स्त्रोतः– भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण।

टीप: भूमि उपयोग, जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफ़र को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है।

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है। इन मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिवर पॉलीगॉन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index - CSI) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. (संयुक्त उपयोगिता संकेतक) को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डेविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है।

सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा। कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है।

भूमि उपयुक्तता क्षेत्र (Land Suitability Area)

सारणी 2–सा–15

[Model-1]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Highly Suitable	6418.35	48.99
Moderately Suitable	5372.88	41.01
Less Suitable	1137.42	8.68
Not Suitable	173.22	1.32
Grand Total	**13101.87**	**100**

[Model-2]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Highly Suitable	4107.75	31.35
Moderately Suitable	6463.96	49.34
Less Suitable	2331.18	17.79
Not Suitable	198.98	1.52
Grand Total	**13101.87**	**100**

[Model-3]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Highly Suitable	4916.92	37.53
Moderately Suitable	6944.03	53.00
Less Suitable	1065.31	8.13
Not Suitable	175.61	1.34
Grand Total	**13101.87**	**100**

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [Model-1], [Model-2] एवं [Model-3] तैयार किए गए, जिन्हें सारणी 2–सा–15 में दर्शाया गया है। निवेश क्षेत्रांतर्गत [Model-1] में अधिकतम उपयुक्त भूमि 6418.35 हेक्टेयर (48.99 प्रतिशत) प्राप्त हुई। अतः [Model-1] का चयन अंतिम रूप से कटनी विकास योजना 2035 तैयार करने हेतु किया गया। यह देखा गया है कि [Model-1] में वर्तमान विकसित क्षेत्र के संस्पर्शी क्षेत्र में अधिकतम उपयुक्ता क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त हुई है।

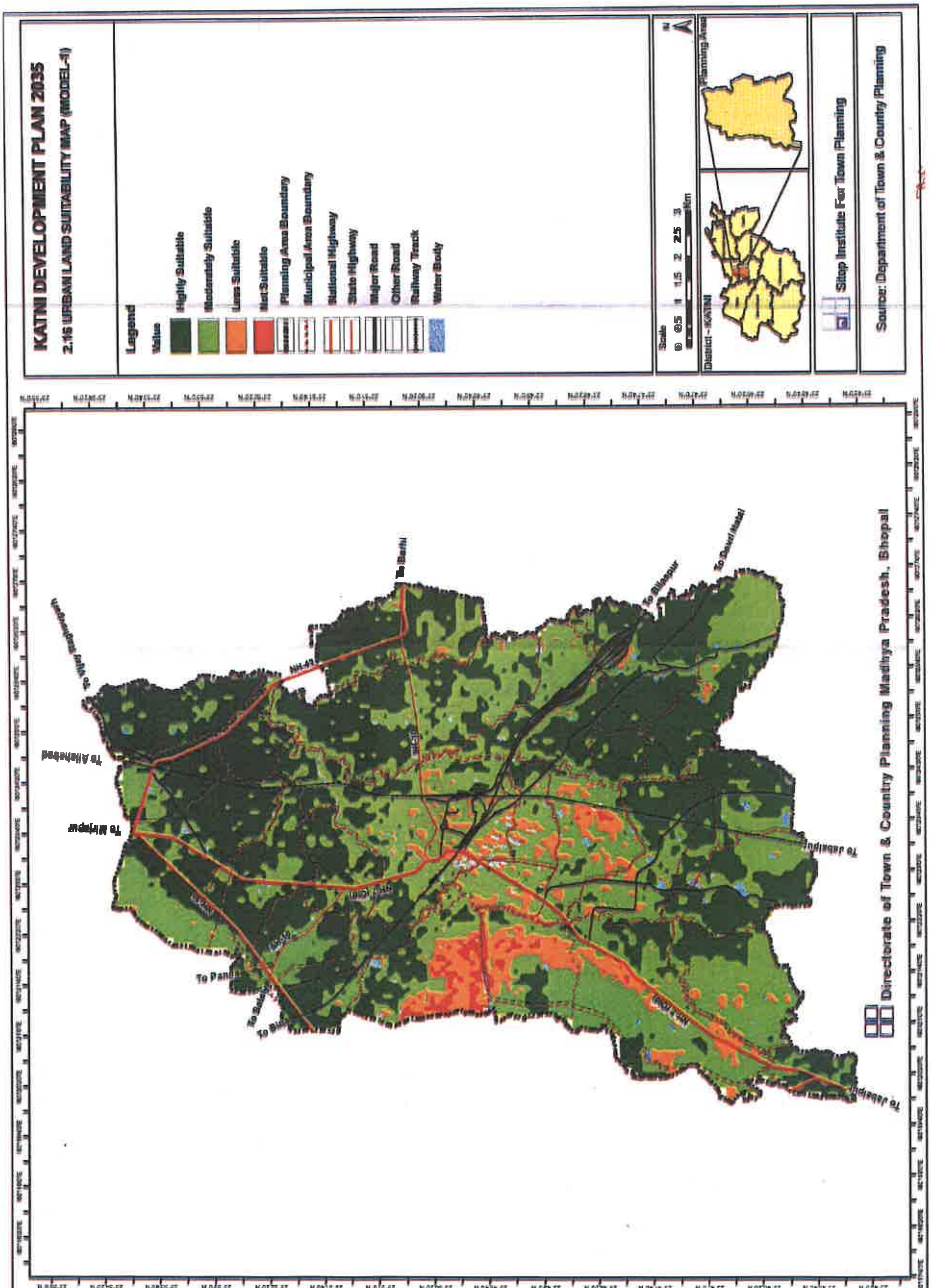
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.16 URBAN LAND SUITABILITY MAP (MODEL-1)
Legend
Value
Highly Suitable
Moderately Suitable
Less Suitable
Not Suitable
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Other Road
Railway Track
Water Body
Scale
Km
District - KATNI
Planning Area
Sitap Institute For Town Planning
Source: Department of Town & Country Planning
To Allahabad
To Mirzapur
To Jabalpur
To Bilaspur
To Panna
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

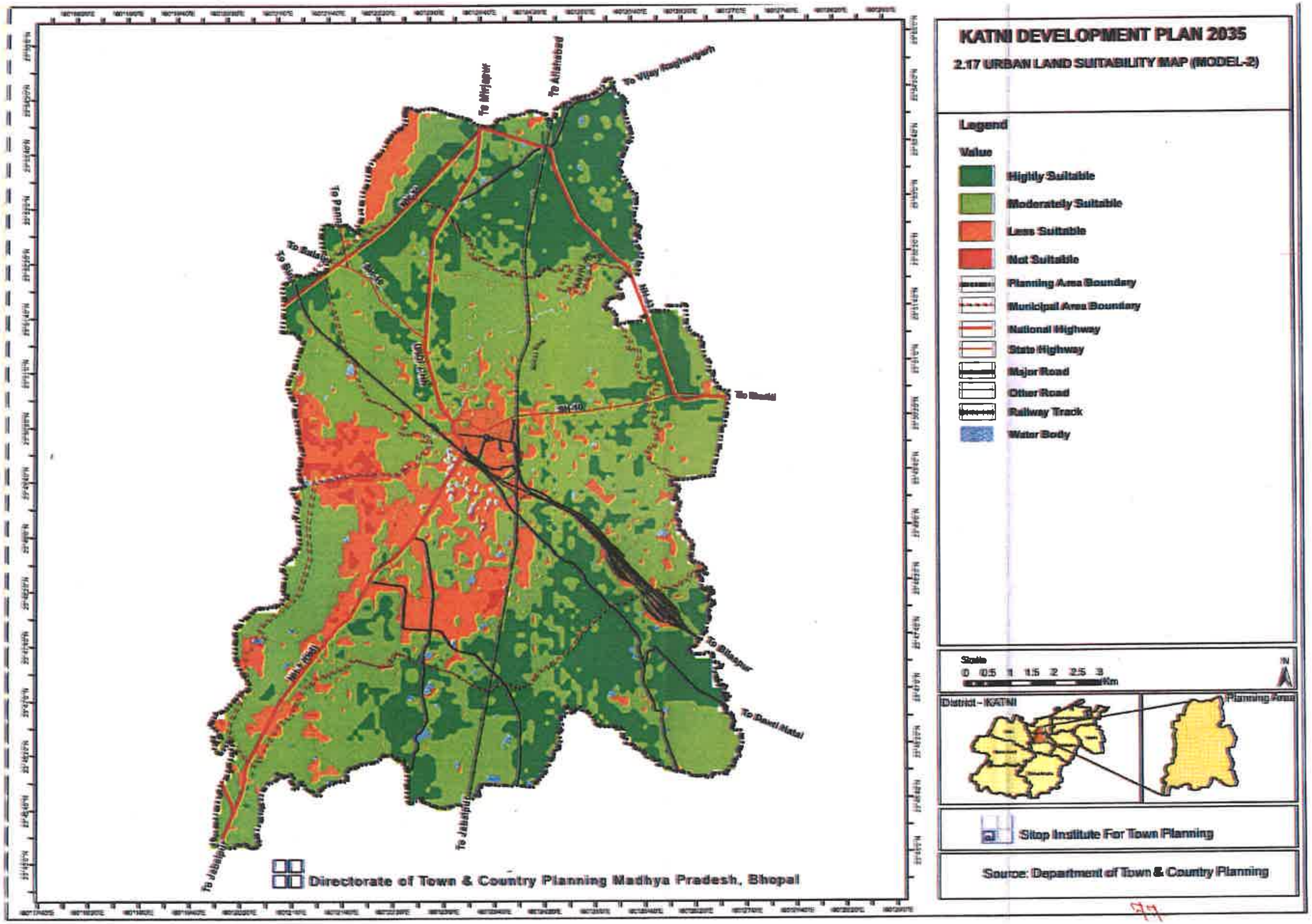
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.17 URBAN LAND SUITABILITY MAP (MODEL-2)
Legend
Value
Highly Suitable
Moderately Suitable
Less Suitable
Not Suitable
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Other Road
Railway Track
Water Body
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
N
District - KATNI
Planning Area
Sitop Institute For Town Planning
Source: Department of Town & Country Planning
To Vijay Raghavgarh
To Allahabad
To Mirjapur
To Panna
To Satna
To Bilaspur
To Damoh
To Bilaspur
To Dami Matai
To Jabalpur
SH-10
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

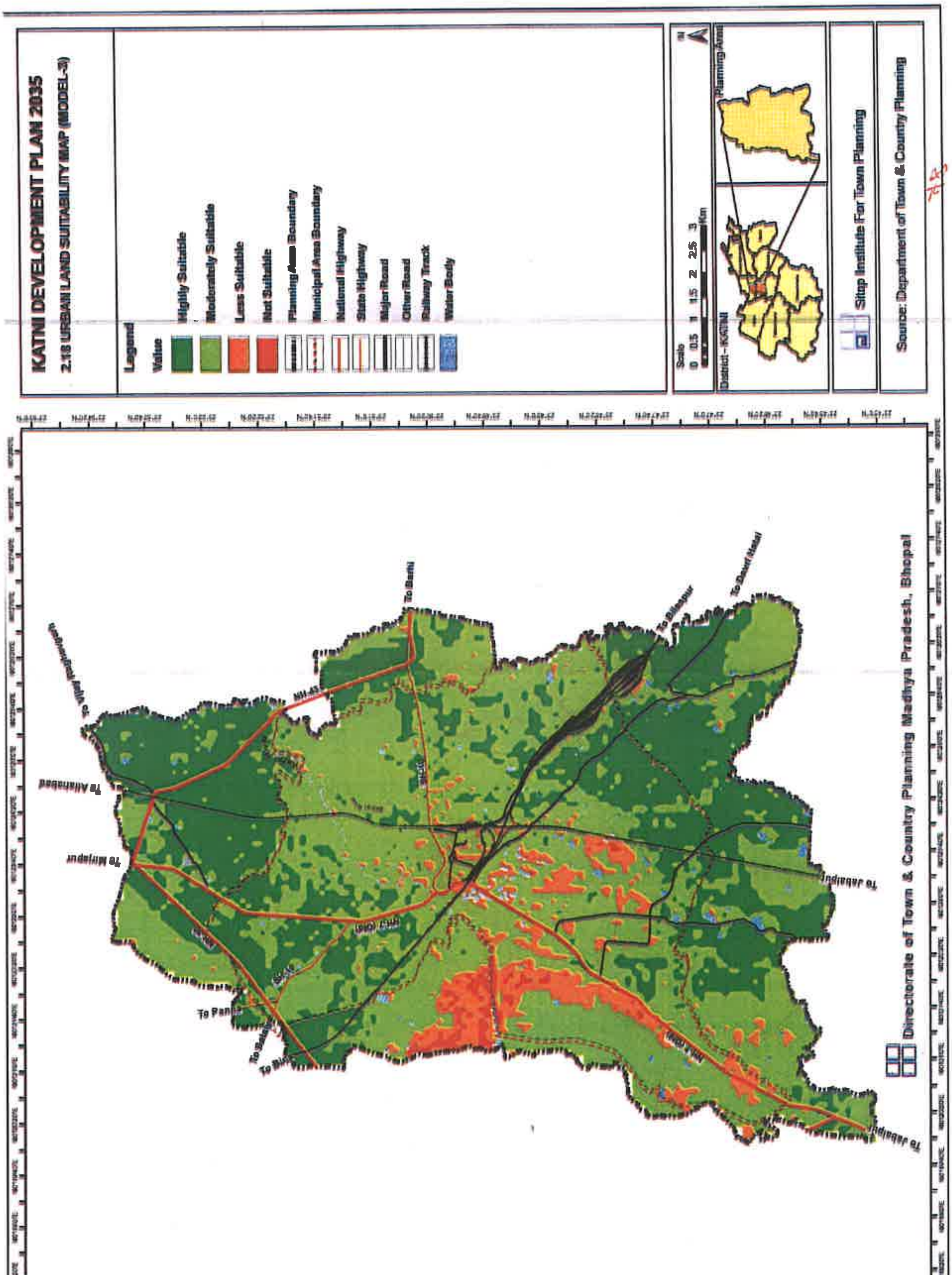
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
2.18 URBAN LAND SUITABILITY MAP (MODEL-3)
Legend
Value
Highly Suitable
Moderately Suitable
Less Suitable
Not Suitable
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Other Road
Railway Track
Water Body
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - KATNI
Planning Area
Sitap Institute For Town Planning
Source: Department of Town & Country Planning
To Barhi
To Bilaspur
To Allahabad
To Mirzapur
To Jabalpur
To Panna
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाइडलाइन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर कटनी निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है।

अध्याय–3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

3.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

कटनी विकास योजना 2021 में 3.00 लाख अनुमानित जनसंख्या को समाहित करने हेतु विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत 3300.21 हेक्टयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 2020 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 3108.29 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है। विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का भूमि उपयोग अनुसार विवरण सारणी 3–सा–1 में दिया गया।

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

सारणी 3–सा–1

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)		विकसित क्षेत्रफल 2020 (हेक्टेयर में)		विकास योजना का क्रियान्वयन का प्रतिशत	विकास के लिए उपलब्ध भूमि (हेक्टेयर में)
		क्षेत्र	दर	क्षेत्र	दर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	1804.13	6.00	1352.32	4.83	74.96%	451.81
2	वाणिज्यिक	212.94	0.70	103.21	0.37	48.47%	109.73
3	औद्योगिक	360.00	1.20	494.97	1.77	137.49%	-134.97
4	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	150.48	0.50	166.88	0.60	110.90%	-16.40
5	सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधायें	35.05	0.11	12.11	0.04	34.60%	22.94
6	आमोद–प्रमोद	170.05	0.56	350.07	1.25	205.90%	-180.02
7	यातायात एवं परिवहन	567.56	1.89	628.73	2.25	110.80%	-61.17
	योग	**3300.21**	**10.96**	**3108.29**	**11.10**	**94.20%**	**191.92**

स्त्रोतः– नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

*कटनी विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4–सा–2 एवं 4–सा–3 भूमि आवंटन 2021 के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन।

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

सारणी 3–सा–2

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)		विकसित क्षेत्रफल 2020 (हेक्टेयर में)		विकास योजना का क्रियान्वयन का प्रतिशत	विकास के लिए उपलब्ध भूमि (हेक्टेयर में)
		क्षेत्र	दर	क्षेत्र	दर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	2713.99	9.05	1352.32	4.83	49.83%	1361.67
2	वाणिज्यिक	228.94	0.76	103.21	0.37	45.08%	125.73
3	औद्योगिक	573.65	1.91	494.97	1.77	86.28%	78.68
4	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	181.91	0.61	166.88	0.60	91.74%	15.03
5	सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधायें	5.33	0.02	12.11	0.04	227.28%	-6.78
6	आमोद–प्रमोद	653.37	2.18	350.07	1.25	53.58%	303.30
7	यातायात एवं परिवहन	795.93	2.65	628.73	2.25	78.99%	167.20
योग		5153.11	17.18	3108.29	11.10	60.32%	2044.82

स्त्रोत:– नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

टीप:–

1. कटनी विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4–सा–2 भूमि आवंटन 2021 के अनुसार क्रियान्वयन के मूल्यांकन एवं विकास योजना 2021 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं लेकिन विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है, इस कारण से विकास योजना 2021 के प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रों को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है।

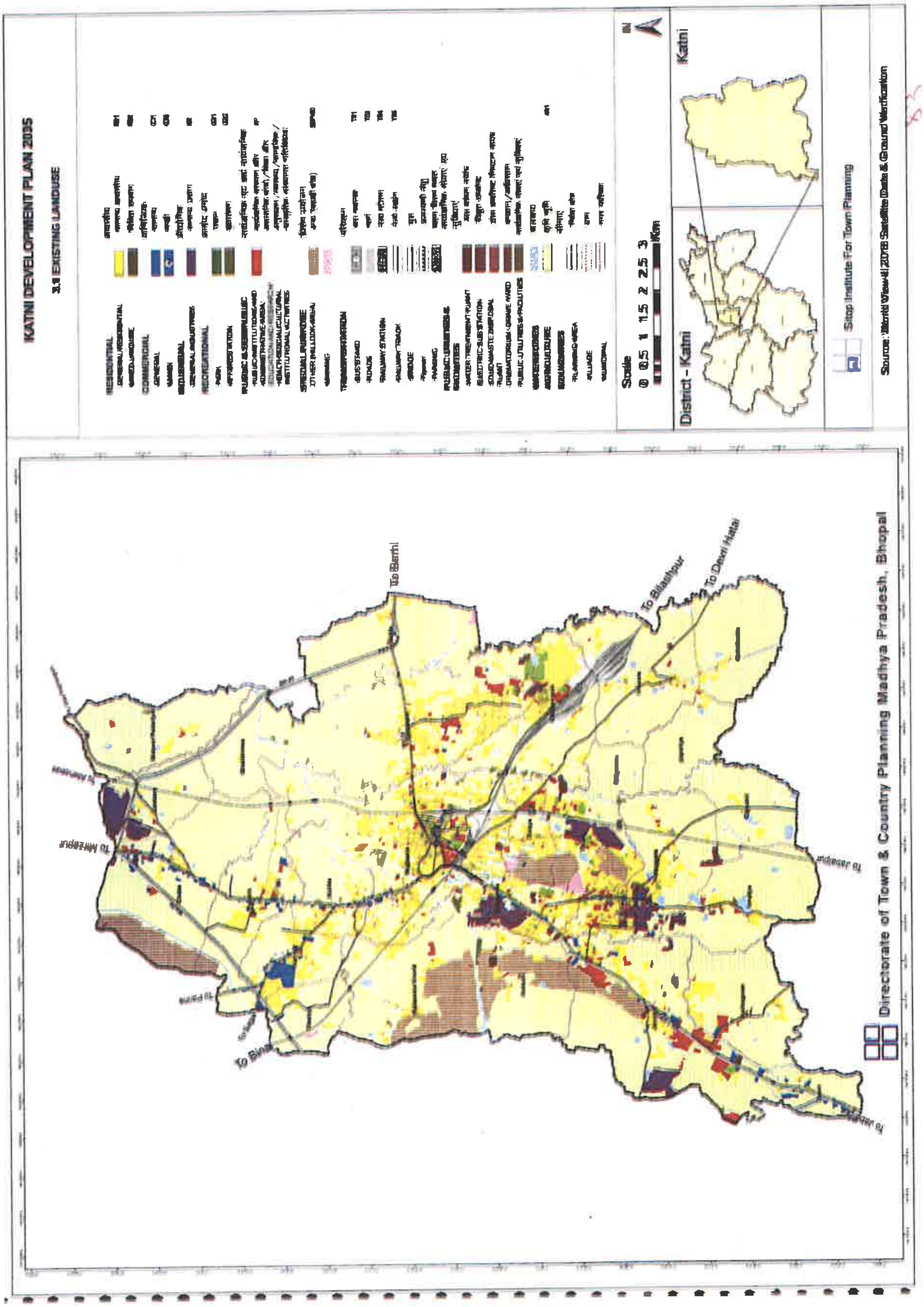
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
3.1 EXISTING LANDUSE
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Km
District - Katni
Katni
Sitop Institute For Town Planning
To Barhi
To Bilaspur
To Devri Hatai
To Jabalpur
To Mirzapur
To Bina
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

2. यातायात एवं परिवहन भू–उपयोग के अंतर्गत 360.27 हेक्टेयर रेलवे क्षेत्र की भूमि को भी सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि विकास योजना के लगभग 66.11 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित किये जा चुके है। कुछ भूमि उपयोगों का क्रियान्वयन कम हुआ है। वर्ष 2021 की प्रक्षेपित जनसंख्या 3.00 लाख के आधार पर विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत एवं क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है :–

3.1.1 आवासीय

कटनी विकास योजना 2021 में आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत 2713.99 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 1352.32 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। जिसका क्रियान्वयन का प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 49.83 प्रतिशत रहा है।

3.1.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक क्षेत्र के अंतर्गत 228.94 हेक्टेयर भूमि को विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था। 103.21 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। जिसका क्रियान्वयन का प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 45.08 प्रतिशत रहा है। विकास योजना 2021 के प्रस्तावों का निवेश इकाई क्रमांक (नि.इ.क्र) अनुसार प्रस्ताव स्थल एवं क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है–

वाणिज्यिक विकास

सारणी 3–सा–3

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2021 के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2020
1	2	3	4	5
1.	मांस बाजार	ग्राम जुहला नदी के किनारे शासकीय भूमि पर नि.इ.क्र.2	09 हेक्टेयर	क्रियान्वित नहीं
2.	अनाज, किराना एवं थोक कपड़ा बाजार	ग्राम पहरूआ मंडी के आसपास नि.इ.क्र.1	15.5 हेक्टेयर	क्रियान्वित नहीं
3.	लौह वस्तु एवं पत्थर फर्शी	ग्राम पुरैनी में ट्रांसपोर्ट नगर के पास, एवं मण्डी के आगे, पन्ना मार्ग पर नि.इ.क्र.1	27 हेक्टेयर	क्रियान्वित नहीं
4.	ट्रांसपोर्ट व्यापार	ग्राम पुरैनी नि.इ.क्र.1	51 हेक्टेयर	आंशिक क्रियान्वित
5.	थोक फल एवं सब्जी मण्डी	ग्राम पहरूआ नि.इ.क्र.1	27 हेक्टेयर	आंशिक क्रियान्वित

स्त्रोत:– नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

अतः कटनी नगर के मान से सामान्य वाणिज्यिक उपयोग प्रस्तावित किया जाना उचित होगा ताकि आवश्यकता अनुसार वाणिज्यिक कार्य केन्द्र का विकास किया जा सकेगा।

3.1.3 औद्योगिक

औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत कटनी विकास योजना 2021 में 573.65 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 494.97 हेक्टेयर भूमि का ही विकास हुआ है। जिसका क्रियान्वयन का प्रतिशत 86.28 प्रतिशत रहा है। विकास योजना 2021 के प्रस्तावों का निवेश इकाई क्रमांक (नि.इ.क्र) अनुसार प्रस्ताव स्थल एवं क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है–

औद्योगिक विकास

सारणी 3–सा–4

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2021 के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2020
1	2	3	4	5
1.	विभिन्न उद्योग	ग्राम चाका, ग्राम लमतरा नि.इ.क्र.1	360 हेक्टेयर	आंशिक क्रियान्वित
2.	आरा मशीन	पन्ना मार्ग बायपास के किनारे	–	क्रियान्वित नहीं
3.	दाल मिल, तेल मिल, राईस मिल, पोहा मिल, एवं अन्य उद्योग	बायपास से लगकर ग्राम चाका एवं ग्राम लमतरा नि.इ.क्र.1	–	आंशिक क्रियान्वित

स्त्रोतः– नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

3.1.4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत कटनी विकास योजना 2021 में 181.91 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी। वर्तमान में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत 166.68 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। जिसमें जिला न्यायालय, पॉलीटेनिक एवं अन्य भूमि उपयोगों में विकसित हुई सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियां सम्मिलित है।

सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें उपयोग के अंतर्गत कटनी विकास योजना 2021 में 5.33 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी। वर्तमान में 12.11 हेक्टेयर भूमि का विकास सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें के अंतर्गत हुआ है, जिसके अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निष्पादन एवं अन्य सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाओं का विकास

सम्मिलित है। विकास योजना 2021 के प्रस्तावों का निवेश इकाई क्रमांक (नि.इ.क्र) अनुसार प्रस्ताव स्थल एवं क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है–

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक विकास

सारणी 3–सा–5

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2021 के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2020
1	2	3	4	5
1.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियां	नि.इ.क्र.4	150.48 हेक्टेयर	आंशिक क्रियान्वित

स्त्रोतः– नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

3.1.5 आमोद–प्रमोद

आमोद–प्रमोद उपयोग के अंतर्गत कटनी विकास योजना 2021 में 653.37 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी। वर्तमान में 350.07 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। वर्तमान आमोद–प्रमोद क्षेत्र मे पर्यावरण वानिकी का क्षेत्र एवं खण्ड स्तर पर विकसित उद्यान सम्मिलित है।

आमोद–प्रमोद विकास

सारणी 3–सा–6

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2021 के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2020
1	2	3	4	5
1.	आमोद–प्रमोद गतिविधियां	नि.इ.क्र.1,2,3,4	15 हेक्टेयर	आंशिक क्रियान्वित

स्त्रोतः– नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

3.1.6 यातायात एवं परिवहन

यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत 795.93 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी। वर्तमान में 628.73 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है जिसमें 364.40 हेक्टेयर रेलवे का क्षेत्र सम्मिलित है। यातायात एवं परिवहन उपयोग के क्रियान्वयन का प्रतिशत 78.99 प्रतिशत रहा है।

यातायात एवं परिवहन विकास

सारणी 3–सा–7

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)/स्थल	क्रियान्वयनस्थिति वर्ष 2020
1	2	3	4
1.	बायपास मार्ग (देवरी से चाका)	60.00	क्रियान्वित
2.	पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7	24–36	क्रियान्वित नहीं
3.	कटनी–बरही मार्ग राज्य राजमार्ग क्रमांक–10	24–36	क्रियान्वित नहीं
4.	पन्ना राज्य राजमार्ग क्रमांक–14	24–36	क्रियान्वित नहीं
5.	विजयराघवगढ मार्ग	36	क्रियान्वित नहीं
6.	मुख्य मार्ग क्रमांक–1 ग्राम पुरैनी बायपास मार्ग	60	क्रियान्वित
7.	मुख्य मार्ग क्रमांक–2 ग्राम लमतरा औद्योगिक केन्द्र से ग्राम कुठला पुराना पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7	24	क्रियान्वित नहीं
8.	मुख्य मार्ग क्रमांक–3 कृषि उपज मण्डी के पीछे से बस स्टैण्ड तक	24	क्रियान्वित नहीं
9.	मुख्य मार्ग क्रमांक–4 ट्रांसपोर्ट नगर से बायपास तक	24	क्रियान्वित नहीं
10.	मुख्य मार्ग क्रमांक–5 ग्राम पुरैनी पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7 से पन्ना मार्ग कृषि उपज मण्डी के पास तक	24	क्रियान्वित नहीं
11.	मुख्य मार्ग क्रमांक–6 ट्रांसपोर्ट नगर से मुख्य मार्ग क्रमांक–3 तक	18	क्रियान्वित नहीं
12.	मुख्य मार्ग क्रमांक–7 ग्राम लमतरा से बायपास तक	18	क्रियान्वित नहीं
13.	मार्ग क्रमांक–8 रेल्वे लाईन के पास विजयराघवगढ मार्ग से ग्राम लमतरा	18	क्रियान्वित नहीं
14.	मार्ग क्रमांक–9 रेल्वे लाइन के किनारे माधव नगर स्टेशन के पास	24	क्रियान्वित नहीं

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)/स्थल	क्रियान्वयनस्थिति वर्ष 2020
1	2	3	4
15.	मार्ग क्रमांक–10 झिंझरी नाका से माधव नगर स्टेशन तक	24	क्रियान्वित नहीं
16.	मार्ग क्रमांक–11 पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7 जेल के पास से हाउसिंग बोर्ड कालोनी तक	24	क्रियान्वित नहीं
17.	मार्ग क्रमांक–12 कलेक्ट्रेट के सामने से माधवनगर तक	18	क्रियान्वित नहीं
18.	मार्ग क्रमांक–13 न्यू कटनी जंक्शन मार्ग से दुबे कालोनी तक	24	क्रियान्वित नहीं
19.	मार्ग क्रमांक–14 तिलक कालेज के पीछे से ग्राम मुड़वारा तक	18	क्रियान्वित नहीं
20.	मार्ग क्रमांक–15 एस.के.पी. रेलवे कालोनी से मार्ग क्र. 13 तक	18	क्रियान्वित नहीं

स्त्रोतः– नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

3.2 विकास योजना में उपान्तरण

कटनी विकास योजना 2021 प्रभावशील होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23(क) के विकास योजना में निम्न भूमि उपयोग उपान्तरित किये हैं, जिनका समावेश कटनी विकास योजना 2035 में किया गया है, जिसका विवरण सारणी 3–सा–6 में दर्शाया गया है।

भूमि उपयोग उपांतरण

सारणी 3–सा–8

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि उपयोग	उपान्तरित भू–उपयोग	विकास की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	अमकुही	264/2क	90	पहाड़ी एवं वृक्षारोपण	औद्योगिक	क्रियान्वित
2.	झिंझरी	692	0.0084	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	आवासीय	क्रियान्वित
		692	3.2816	कृषि	आवासीय	
		699	2.90	कृषि	आवासीय	
		700	0.008	उद्योग	आवासीय	
		700	0.512	कृषि	आवासीय	
		703 एवं 704	2.00	कृषि	आवासीय	
		705/1	3.84	अल्प घनत्व आवासीय	आवासीय	
		705/1	39.86	कृषि	आवासीय	
		722/1–क एवं ख	2.94	अल्प घनत्व आवासीय	आवासीय	
		722/1–क एवं ख	27.6936	कृषि	आवासीय	
		723	2.55	कृषि	आवासीय	
		योग	**85.56**			
3.	झिंझरी	1221/1	14.90 हे0 में से 6.00 हे0	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं पहाडी एवं मार्ग	आवासीय, पहाडी एवं मार्ग (प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु)	क्रियान्वित
4.	खिरहनी	1548/4, 1560/1–5	121.986 हे0 में से 10.22 हे0	कृषि	आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु)	क्रियान्वित

नोटः–कटनी विकास योजना 2021 में उपातंरित उपयोग विकास योजना 2035 का भाग है एवं अन्य उपातंरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे।

3.3 असंगत भूमि उपयोग

कटनी विकास योजना 2021 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित था। जिसका विवरण सारणी 3–सा–9 में दर्शाया गया है।

असंगत भूमि उपयोग की पुर्नस्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

सारणी 3—सा—9

क्र.	असंगत भूमि उपयोग	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग	क्रियान्वयन की स्थिति 2020
1	2	3	4	5	6
1.	मांस बाजार	मिशन चौक	ग्राम जुहला में शासकीय भूमि पर नि.इ.क्र. 2	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक हेतु सुरक्षित	क्रियान्वित नहीं
2.	अनाज, किराना एवं थोक कपड़ा बाजार	आवासीय क्षेत्र गांधी गंज, झंडा बाजार, घंटाघर क्षेत्र	ग्राम पहरूआ मंडी के आसपास नि.इ. क्र.1	आवासीय, वाणिज्यिक एवं घंटाघर क्षेत्र में पार्किंग	क्रियान्वित नहीं
3.	लौह वस्तु	ईश्वरीपुरा वार्ड चांडक चौक, बरही मार्ग, बस स्टेण्ड के पास	ग्राम पुरैनी में ट्रांसपोर्ट नगर के पास	आवासीय, वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
4.	पत्थर फर्शी	भट्टा मोहल्ला माल गोदाम के पास	मण्डी के आगे, पन्ना मार्ग पर नि.इ.क्र.1	आवासीय, वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
5.	आरा मशीन	आजाद चौक, भट्टा मोहल्ला, बरही रोड	पन्ना मार्ग बायपास के किनारे	आवासीय, वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
6.	दाल मिल, तेल मिल, राईस मिल, पोहा मिल एवं अन्य उद्योग	माधव नगर क्षेत्र	बायपास, चाका एवं लमतरा निवेश नि.इ.क्र.1	आवासीय	आंशिक क्रियान्वित
7.	रेस्ट हाउस	स्टेडियम के पास	ग्राम झिंझरी नि.इ.क्र.4	वाणिज्यिक	क्रियान्वित
8.	वर्क शॉप	चिकित्सालय के पास एवं मिशन चौक के पास	ग्राम चाका में एन एच 7 मार्ग के किनारे नि. इ.क्र.1	अग्निशमन केन्द्र	क्रियान्वित नहीं
9.	ट्रांसपोर्ट कंपनी	घंटाघर	ट्रांसपोर्ट नगर	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
10.	शंकर टॉकिज	रेल्वे स्टेशन के पास	बंद	मार्ग विस्तार, आवासीय	क्रियान्वित नहीं

क्र.	असंगत भूमि उपयोग	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग	क्रियान्वयन की स्थिति 2020
1	2	3	4	5	6
11.	डेयरी	गांधीगंज, बिलैया तलैया, सिविल लाइन, जगदीश मंदिर के पास, नई बस्ती, माधव नगर	ग्राम जुहला नदी के किनारे नि.इ.क्र.2	आवासीय	क्रियान्वित
12.	हड्डी गोदाम	गायत्री नगर अम्बेडकर वार्ड	ग्राम जुहला नदी के किनारे नि.इ.क्र.2	आरक्षित रेल्वे	क्रियान्वित नहीं
13.	ज्वलनशील उद्योग	गौशाला के पीछे बस स्टेण्ड तथा रेल्वे स्टेशन माल गोदाम के पास	ग्राम लमतरा रेल्वे लाइन के किनारे नि.इ.क्र.1	आवासीय	क्रियान्वित
14.	गजानन टॉकिज	गोलबाजार के पास	–	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
15.	मोहन टॉकिज	तहसील कार्यालय के पास	–	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
16.	शंभू टॉकिज	नई बस्ती कटनी	–	मिश्रित उपयोग	क्रियान्वित नहीं
17.	प्राइमर फैक्ट्री	एन.के.जे. क्षेत्र में	ग्राम चाका	आवासीय	क्रियान्वित नहीं
18.	थोक सब्जी	गोलबाजार	ग्राम पहरूआ नि.इ.क्र.–1	फुटकर सब्जी मंडी	क्रियान्वित
19.	कलेक्टर परिसर	पुराना कलेक्टर कार्यालय परिसर	ग्राम झिंझरी में नि.इ.क्र.–4	वाणिज्यिक सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	क्रियान्वित

स्त्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश / जी.आई.एस. सर्वेक्षण

3.4 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.4.1 जनसंख्या विश्लेषण

कटनी निवेश क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य में कटनी जिले के अन्तर्गत होने से कटनी परिक्षेत्र के संस्पर्शी पांच अन्य जिलों के जनसंख्या का विवरण, इस परिक्षेत्र के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है। विवरण सारणी 3–सा–10 में दर्शाया गया है।

राज्य में जनसंख्या विवरण एवं लिंग अनुपात (जिला)

सारणी 3–सा–10

क्र.	प्रदेश/जिला	जनसंख्या–2011	पुरूष	महिला	लिंग अनुपात
1	2	3	4	5	6
1.	मध्यप्रदेश	7,26,26,809	3,76,12,306	3,50,14,503	931
2.	कटनी	12,92,042	6,62,013	6,30,029	952
3.	जबलपुर	24,63,289	12,77,278	11,86,011	929
4.	सतना	22,28,935	11,57,495	10,71,440	926
5.	दमोह	12,64,219	6,61,873	6,02,346	910
6.	उमरिया	6,44,758	3,30,674	3,14,084	950
7.	पन्ना	10,16,520	5,33,480	4,83,040	905

स्त्रोतः–भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी का अवलोकन उपरांत यह ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश राज्य के महिला एवं पुरूष लिंग अनुपात 1000 से कम है। उक्त सारणी में सबसे कम लिंगानुपात पन्ना जिले में एवं सबसे अधिक लिंगानुपात कटनी जिला में है। कुल जनसंख्या विवरण अनुसार अधिकतम जनसंख्या जबलपुर जिले में एवं न्यूनतम उमरिया जिले में है।

कटनी नगर की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 221833 है, जो वर्ष 2001 में 186738 थी।

कटनी नगर पालिक निगम क्षेत्र को 45 वार्डों में विभाजित किया गया है। वार्ड वार कुल शिशु, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं साक्षरता जनसंख्या की जानकारी नवीन वार्डों के अनुसार उपलब्ध न होने से भारत की जनगणना 2011 के अनुसार विश्लेषण किया गया है, जिसका विवरण सारणी 3–सा–11 में दर्शाया गया है।

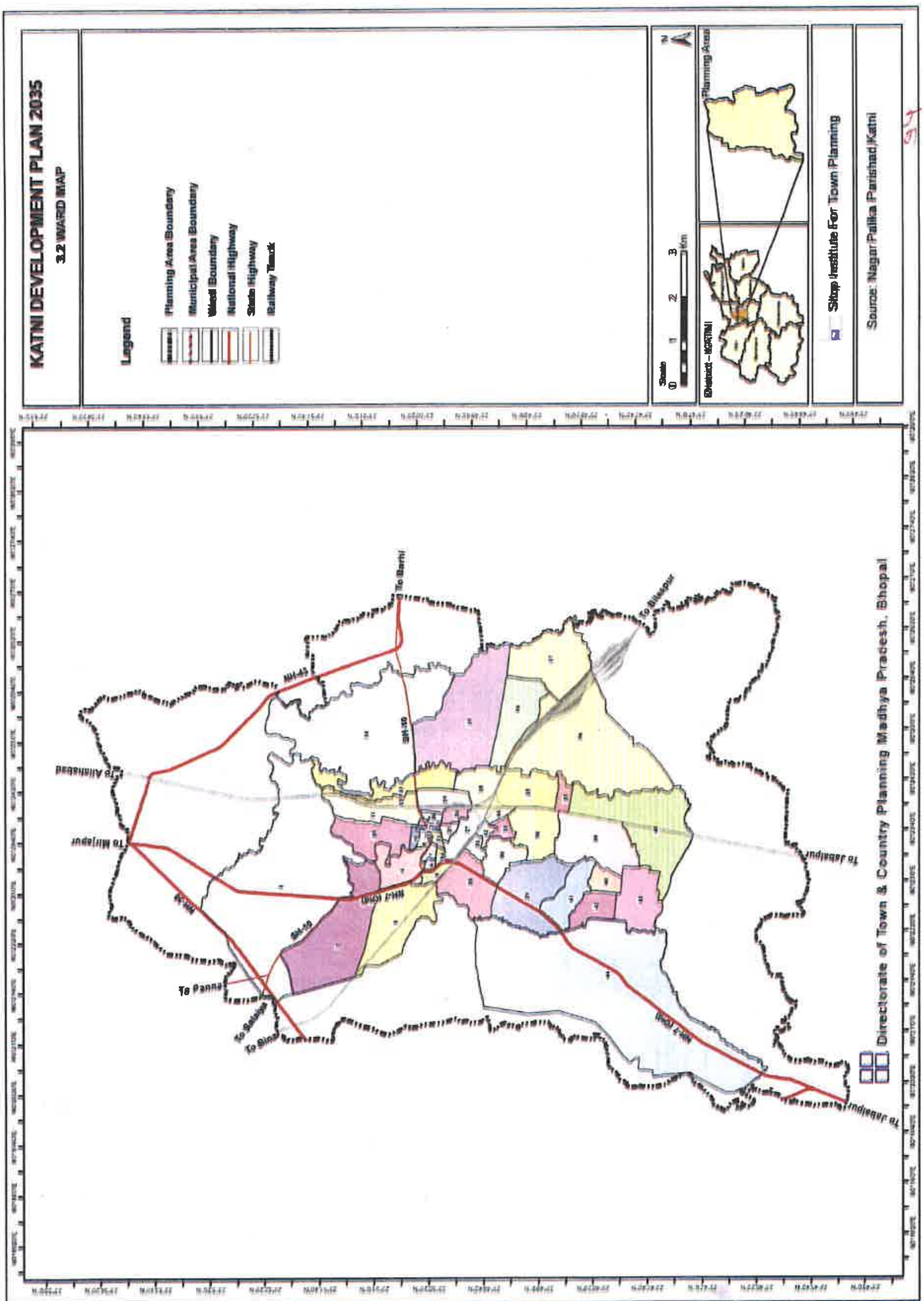
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
3.2 WARD MAP
Legend
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Ward Boundary
National Highway
State Highway
Railway Track
Scale
0 1 2 3 Km
District - KATNI
Planning Area
Sitap Institute For Town Planning
Source: Nagar Palika Parishad,Katni
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Barhi
To Bilaspur
To Allahabad
To Mirjapur
To Jabalpur
To Panna
To Salaiya
To Bina
NH-43
SH-10
NH-7

वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण

सारणी 3–सा–11

Ward	Population			Child Population (0-6 years)			SC Population			ST Population			Literates		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	9054	4722	4332	1476	789	687	963	510	453	1899	954	945	5275	3026	2249
2	8193	4277	3916	1114	578	536	1306	668	638	446	224	222	5733	3292	2441
3	6691	3502	3189	881	482	399	676	348	328	283	145	138	4825	2658	2167
4	5935	3120	2815	558	301	257	1293	690	603	205	99	106	4786	2611	2175
5	3749	1963	1786	407	215	192	374	188	186	27	13	14	3017	1639	1378
6	3064	1589	1475	298	149	149	6	3	3	5	3	2	2570	1377	1193
7	3096	1622	1474	299	153	146	94	46	48	1	0	1	2618	1414	1204
8	4230	2220	2010	479	261	218	604	311	293	0	0	0	3400	1832	1568
9	2750	1425	1325	268	146	122	33	13	20	7	2	5	2342	1225	1117
10	5909	3114	2795	590	321	269	86	47	39	11	7	4	4897	2646	2251
11	5244	2712	2532	569	284	285	1194	619	575	34	20	14	4011	2164	1847
12	4071	2110	1961	520	270	250	241	123	118	62	28	34	2787	1596	1191
13	6122	3084	3038	636	338	298	826	398	428	165	81	84	4935	2583	2352
14	7599	3930	3669	983	541	442	1488	731	757	183	70	113	5504	3046	2458
15	14747	7723	7024	1876	992	884	2380	1214	1166	1234	616	618	10707	5973	4734

कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप)

Ward	Population			Child Population (0-6 years)			SC Population			ST Population			Literates		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	5513	2856	2657	636	324	312	965	499	466	517	260	257	4388	2412	1976
17	4376	2361	2015	413	221	192	585	306	279	281	153	128	3546	2063	1483
18	5822	3069	2753	612	340	272	491	259	232	135	69	66	4770	2610	2160
19	2356	1236	1120	221	113	108	163	85	78	98	55	43	1952	1058	894
20	2114	1086	1028	179	99	80	64	29	35	6	4	2	1862	960	902
21	2017	1043	974	189	103	86	31	13	18	7	5	2	1767	912	855
22	2380	1241	1139	253	134	119	5	3	2	43	23	20	1970	1044	926
23	2221	1153	1068	226	130	96	21	9	12	0	0	0	1934	988	946
24	3811	1946	1865	394	193	201	174	77	97	6	4	2	3182	1677	1505
25	2150	1095	1055	199	91	108	44	19	25	30	18	12	1821	974	847
26	2683	1381	1302	249	128	121	238	116	122	44	21	23	2136	1136	1000
27	2729	1356	1373	235	120	115	169	80	89	103	53	50	2336	1190	1146
28	5346	2764	2582	701	362	339	781	407	374	1426	721	705	3589	2009	1580
29	8146	4208	3938	1068	559	509	757	384	373	689	327	362	6002	3247	2755
30	5230	2660	2570	734	358	376	1627	813	814	1175	593	582	3242	1827	1415
31	4028	2096	1932	485	253	232	561	287	274	604	309	295	2932	1657	1275
32	4435	2269	2166	516	248	268	961	468	493	362	186	176	3330	1831	1499
33	4578	2308	2270	581	292	289	1905	966	939	300	150	150	3182	1731	1451

कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप)

Ward	Population			Child Population (0-6 years)			SC Population			ST Population			Literates		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	3215	1664	1551	410	227	183	1836	967	869	436	227	209	2199	1251	948
35	4911	2514	2397	458	229	229	595	305	290	392	209	183	4053	2173	1880
36	5649	2977	2672	689	379	310	481	248	233	691	358	333	4114	2326	1788
37	1192	632	560	111	63	48	326	173	153	172	82	90	971	544	427
38	5206	2730	2476	615	330	285	587	302	285	626	318	308	3999	2205	1794
39	5064	2628	2436	540	276	264	654	343	311	938	461	477	3838	2165	1673
40	5524	2855	2669	605	315	290	772	399	373	8	2	6	4450	2379	2071
41	5122	2676	2446	526	294	232	78	42	36	64	28	36	4347	2310	2037
42	5040	2624	2416	534	290	244	54	30	24	65	33	32	4214	2228	1986
43	6026	3132	2894	668	350	318	76	40	36	143	77	66	4848	2590	2258
44	9388	5012	4376	1184	643	541	1542	812	730	942	485	457	6560	3749	2811
45	5157	2663	2494	662	341	321	796	418	378	916	459	457	3477	1970	1507
Total	221883	115348	106535	25847	13625	12222	28903	14808	14095	15781	7952	7829	168418	92298	76120

स्रोत:-भारत की जनगणना 2011

3.4.2 जनसंख्या लिंगानुपात

कटनी नगर क्षेत्र का लिंगानुपात 926 है। कटनी नगर के वार्ड क्रमांक 17 में लिंगानुपात सबसे कम 853 है तथा वार्ड क्रमांक 27 में 1012 है। लिंगानुपात का विवरण सारणी 3–सा–12 में दर्शाया गया है।

वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3–सा–12

क्र.	जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरुष पर महिला)	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	>1000	27	1
2.	951-1000	35, 32, 24, 25, 30, 33, 13	7
3.	901-950	4, 8, 19, 38, 7, 15, 5, 3, 41, 2, 1, 22, 42, 31, 43, 23, 39, 6, 12, 9, 16, 34, 14, 11, 21, 28, 40, 29, 45, 26, 20	31
4.	<900	17, 44, 37, 18, 36, 10	6
	योग		45

स्त्रोतः–भारत की जनगणना 2011

3.4.3 शिशु जनसंख्या

कटनी में शिशु जनसंख्या प्रतिशत वार्ड क्रमांक 1 में सबसे अधिक प्राप्त हुई है एवं वार्ड क्रमांक 20 में शिशु जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण सारणी 3–सा–13 में दर्शायी गयी है।

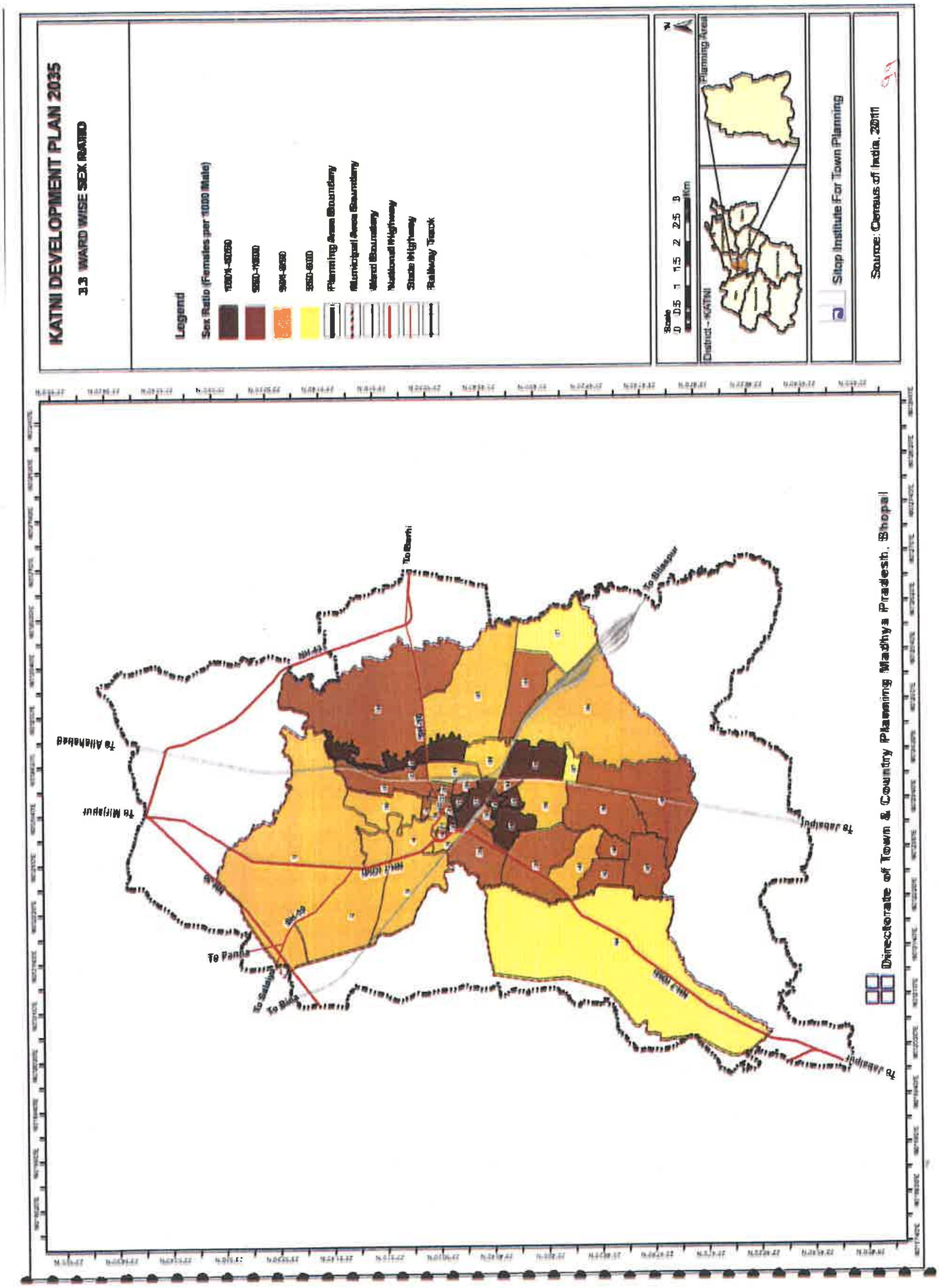
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
3.3 WARD WISE SEX RATIO
Legend
Sex Ratio (Females per 1000 Male)
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Ward Boundary
National Highway
State Highway
Railway Track
Scale
District - KATNI
Planning Area
Sitap Institute For Town Planning
Source: Census of India, 2011
To Allahabad
To Mirzapur
To Barhi
To Bilaspur
To Jabalpur
To Panna
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

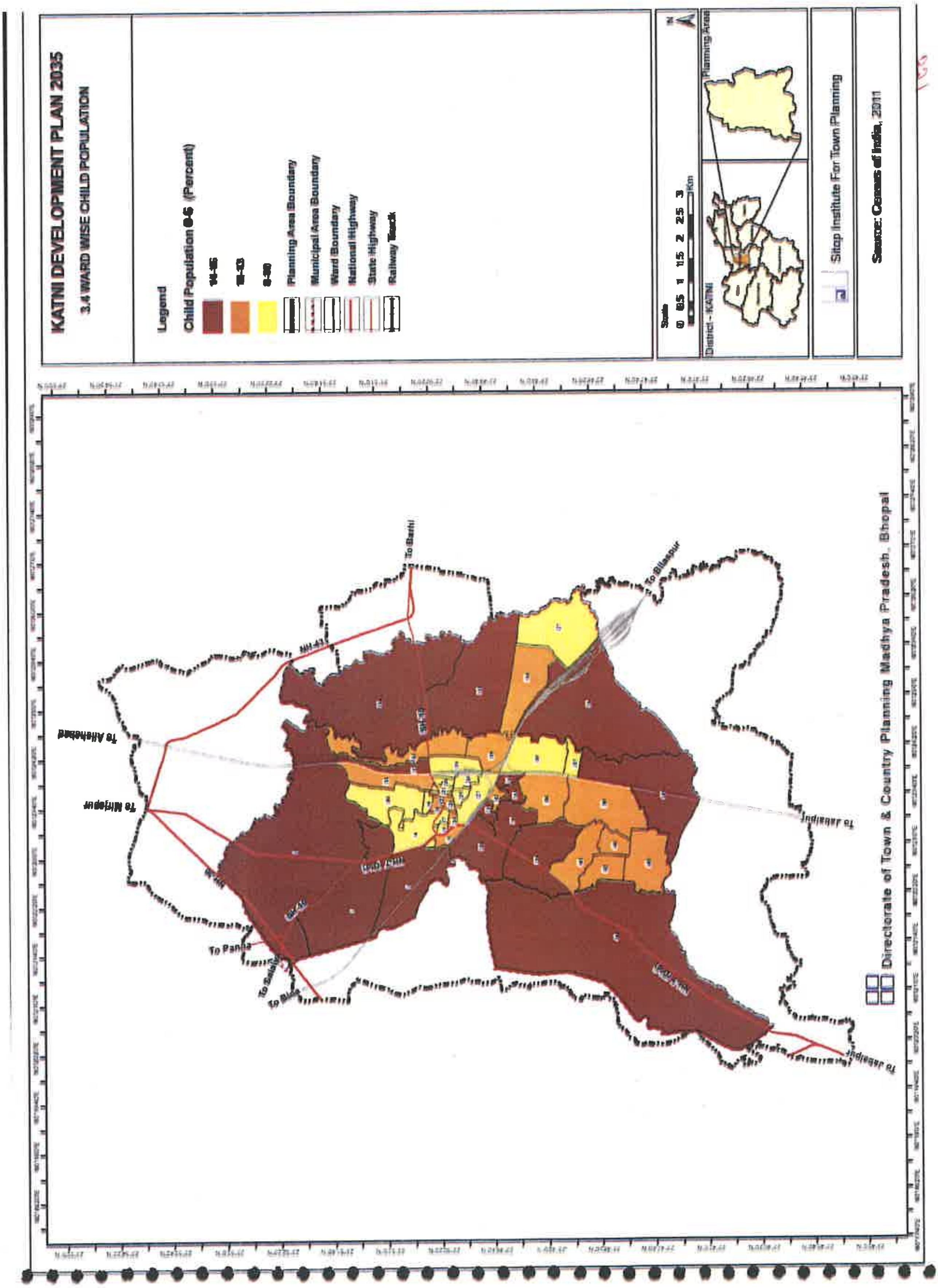
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
3.4 WARD WISE CHILD POPULATION
Legend
Child Population 0-6 (Percent)
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Ward Boundary
National Highway
State Highway
Railway Track
District - KATNI
Planning Area
Sitop Institute For Town Planning
Source: Census of India, 2011
To Barhi
To Bilaspur
To Allahabad
To Mirzapur
To Jabalpur
To Panna
To Satna
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

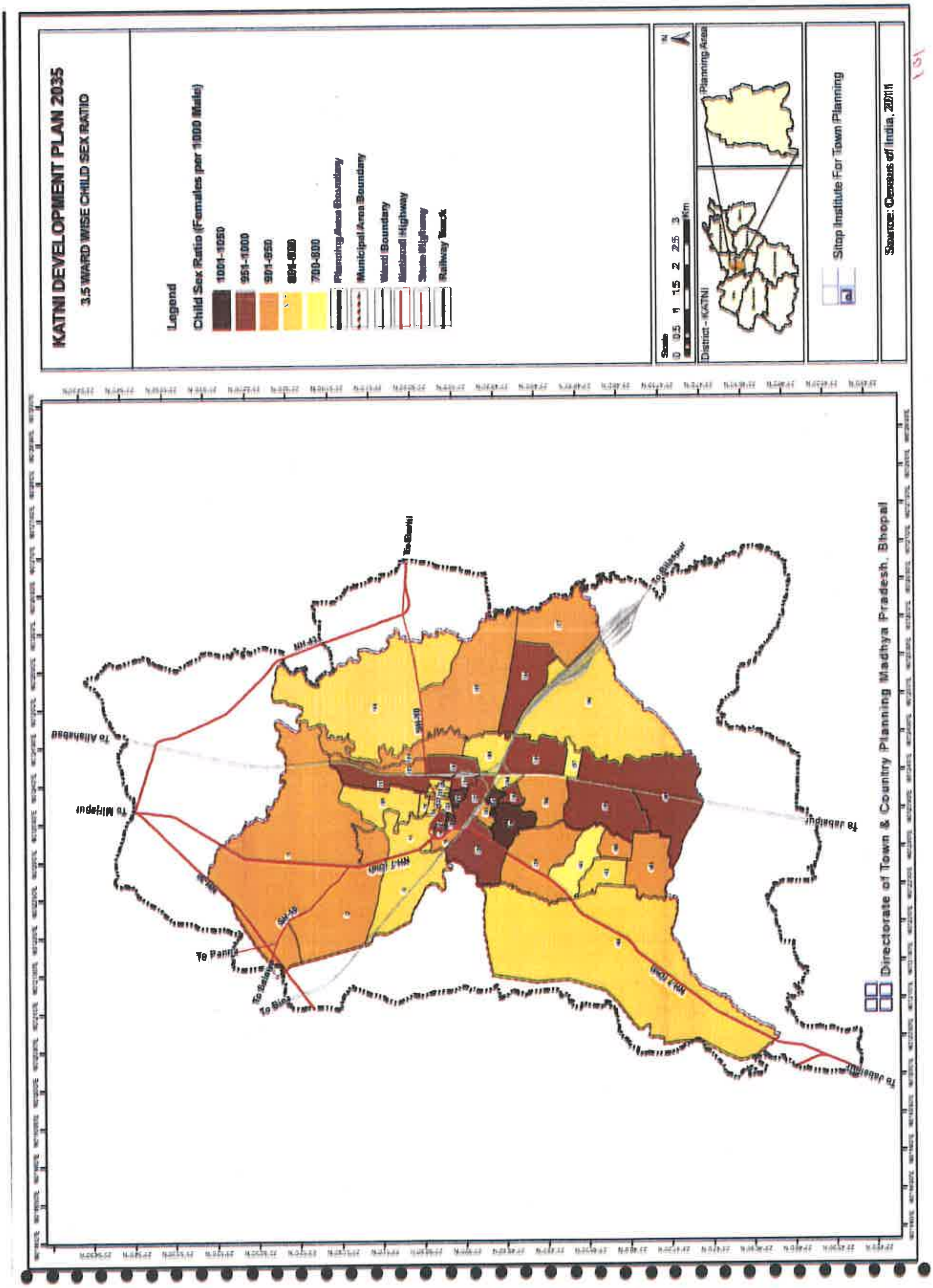
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
3.5 WARD WISE CHILD SEX RATIO
Legend
Child Sex Ratio (Females per 1000 Male)
1001-1050
951-1000
901-950
851-900
700-800
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Ward Boundary
National Highway
State Highway
Railway Track
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - KATNI
Planning Area
Sitop Institute For Town Planning
Source: Census of India, 2011
To Allahabad
To Mirzapur
To Panna
To Satna
To Bina
To Jabalpur
To Bilaspur
To Shahdol
To Jabalpur
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी 3—सा—13

क्र.	शिशु जनसंख्या (0—6) प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	> 15	1	1
2.	13-15	29, 28, 3, 2, 30	5
3.	10-12	23, 41, 24, 13, 18, 42, 22, 39, 11, 5, 40, 43, 8, 16, 32, 38, 31, 36, 44, 33, 15, 34, 12, 45, 14	25
4.	< 10	20, 27, 25, 26, 37, 35, 21, 19, 4, 17, 7, 6, 9, 10	14
योग			45

स्त्रोतः—भारत की जनगणना 2011

3.4.4 शिशु लिंगानुपात

कटनी नगर का शिशु लिंग अनुपात 926 है, जबकि शिशु श्रेणी में यह अनुपात 903 है। नगर के वार्ड क्रमांक 23 में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम 738 है तथा वार्ड क्रमांक 25 में लिंगानुपात सबसे अधिक 1186 है। लिंगानुपात का विवरण सारणी 3—सा—14 में दर्शाया गया है।

वार्ड वार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3—सा—14

क्र.	शिशु लिंगानुपात (1000 पुरूष पर महिला)	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1	>1000	11, 24, 30, 32, 25	5
2	901-1000	43, 29, 31, 40, 12, 2, 28, 45, 26, 7, 19, 39, 27, 16, 33, 35, 6	17
3	801-900	34, 20, 14, 36, 3, 21, 8, 9, 10, 44, 42, 4, 38, 17, 1, 13, 22, 15, 5	19
4	<800	23, 37, 41, 18	4
योग			45

स्त्रोतः—भारत की जनगणना 2011

3.4.5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या संपूर्ण नगर में वितरित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का विवरण सारणी 3–सा–15 में दर्शाया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

सारणी 3–सा–15

क्र.	अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्याप्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	> 50	30, 34	2
2.	41-50	28, 37, 33	3
3.	31-40	39, 1, 45	3
4.	21-30	35, 36, 2, 14, 38, 11, 15, 4, 44, 16, 31, 32	12
5.	10-20	26, 5, 18, 19, 40, 8, 3, 13, 29, 17	10
6.	< 10	6, 23, 9, 10, 21, 22, 42, 41, 7, 20, 25, 43, 24, 12, 27	15
	योग		45

स्त्रोतः–भारत की जनगणना 2011

3.4.6 साक्षरता

कटनी नगर में साक्षरता दर 77 प्रतिशत है। वार्ड क्रमांक 1 में साक्षरता दर सबसे कम है एवं सबसे अधिक वार्ड क्रमांक 20 में है, जिसका विवरण सारणी 3–सा–16 में दर्शाया गया है।

साक्षरता प्रतिशत

सारणी 3–सा–16

क्र.	साक्षरता प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	>81	8, 43, 5, 40, 13, 4, 17, 37, 18, 35, 22, 19, 10, 24, 42, 6, 7, 25, 41, 9, 27, 23, 21, 20	24
2.	71-80	3, 14, 15, 31, 36, 29, 32, 39, 11, 38, 16, 26	12
3	61-70	30, 28, 45, 34, 12, 33, 44, 2	8
4.	<60	1	1
	योग		45

स्त्रोत–भारत की जनगणना 2011

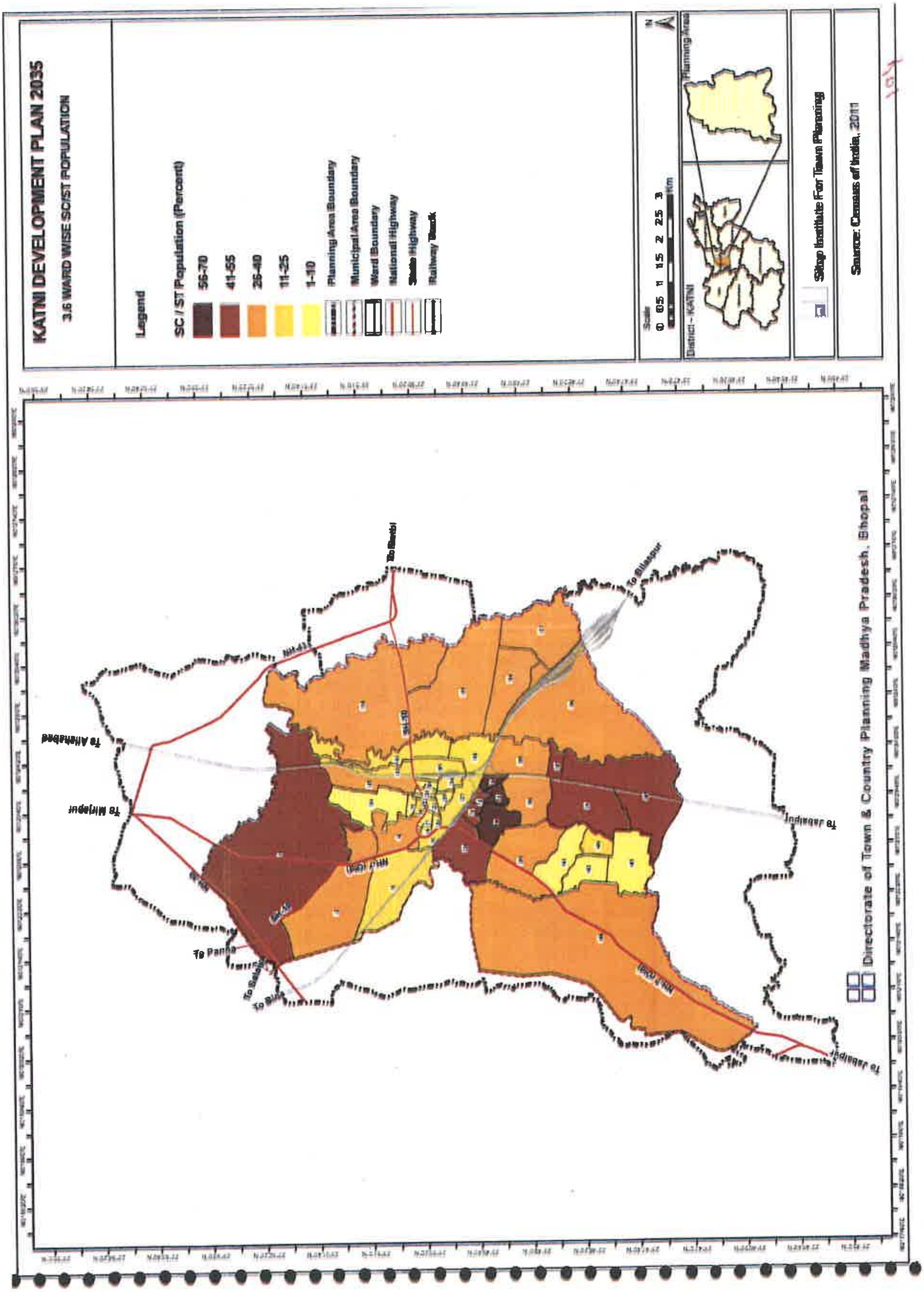
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
3.6 WARD WISE SC/ST POPULATION
Legend
SC / ST Population (Percent)
56-70
41-55
26-40
11-25
1-10
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Ward Boundary
National Highway
State Highway
Railway Track
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - KATNI
Planning Area
N
Sitap Institute For Town Planning
Source: Census of India, 2011
To Bilaspur
To Allahabad
To Mirzapur
To Panna
To Jabalpur
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

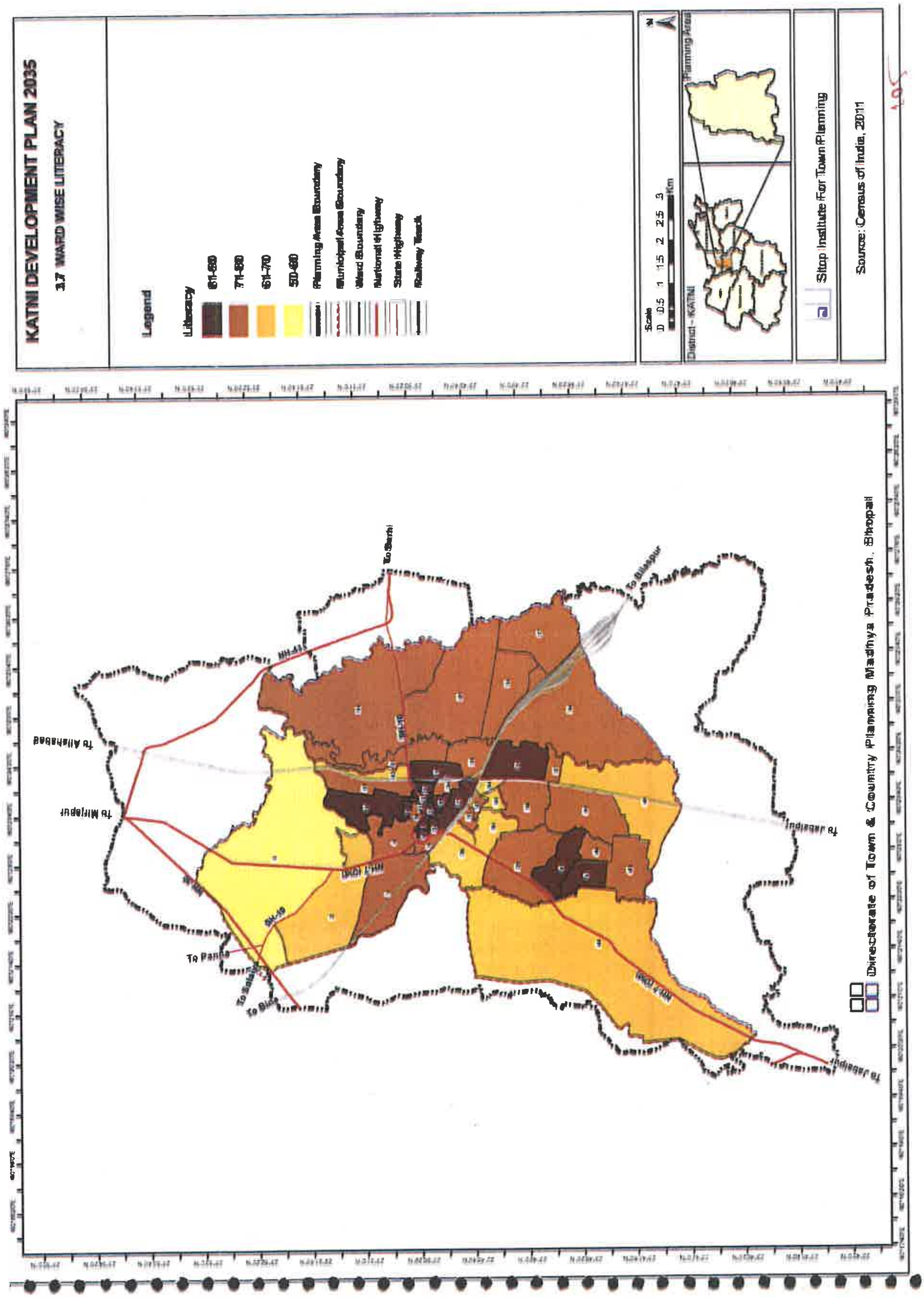
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
3.7 WARD WISE LITERACY
Legend
Literacy
81-90
71-80
61-70
50-60
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Ward Boundary
National Highway
State Highway
Railway Track
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - KATNI
Planning Area
Sitop Institute For Town Planning
Source: Census of India, 2011
To Allahabad
To Mirzapur
To Bilaspur
To Jabalpur
To Panna
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

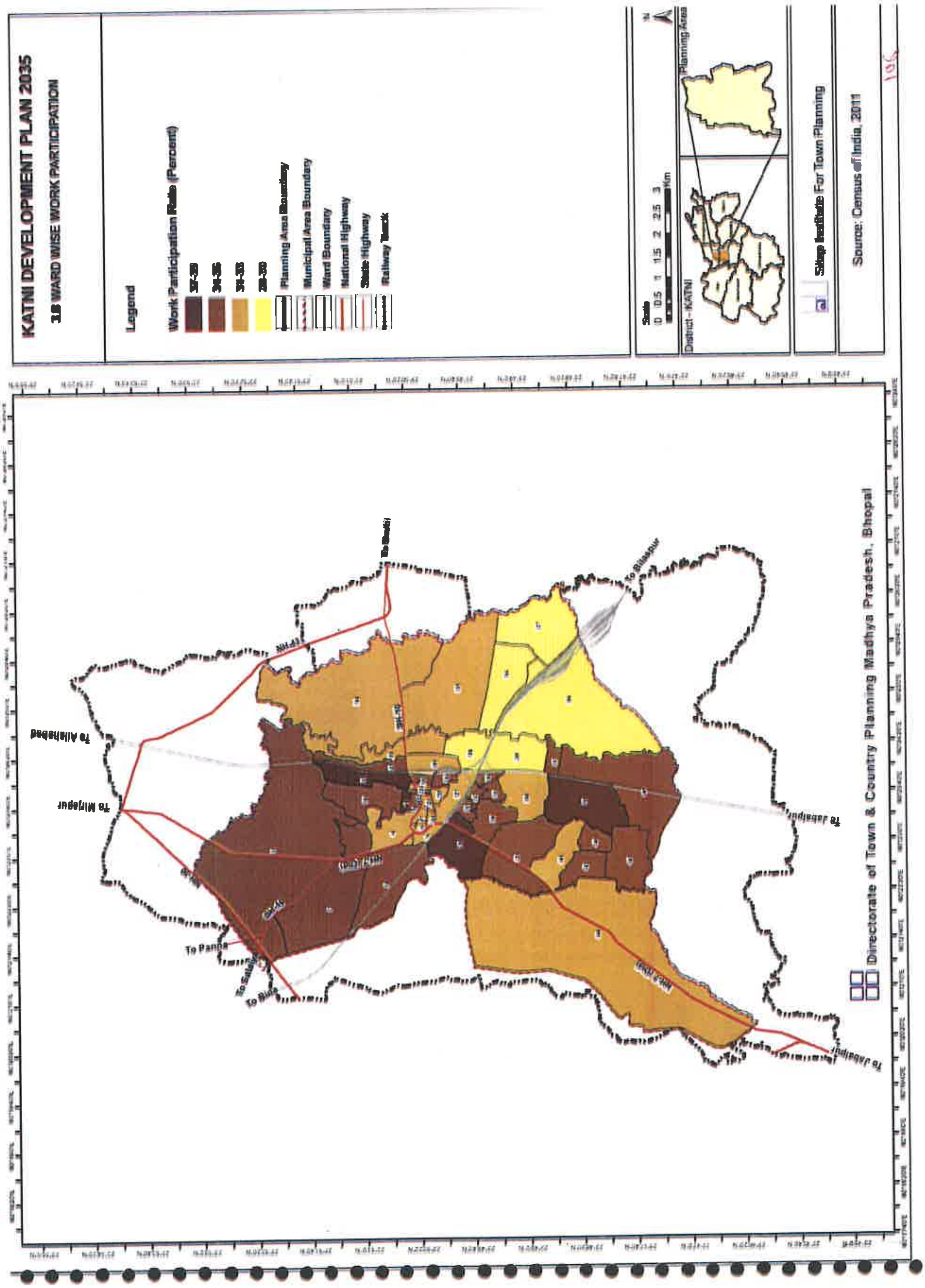
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
1.8 WARD WISE WORK PARTICIPATION
Legend
Work Participation Rate (Percent)
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Ward Boundary
National Highway
State Highway
Railway Track
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - KATNI
Planning Area
N
Sitap Institute For Town Planning
Source: Census of India, 2011
To Allahabad
To Mirzapur
To Jabalpur
To Panna
To Satna
To Bina
To Bilaspur
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

3.4.7 कार्यशील जनसंख्या

कटनी नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों/कार्य सहभागिता की संख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में संलग्न कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। सबसे अधिक कार्य सहभागिता का प्रतिशत वार्ड क्रमांक 28 में सबसे कम प्रतिशत वार्ड क्रमांक 35 में पाया गया है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की कार्यशील जनसंख्या का विवरण सारणी 3–सा–17 में दर्शाया गया है।

कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत

सारणी 3–सा–17

क्र.	कार्यशील सहभागिता प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**
1.	>40	28	1
2.	37-39	12, 11, 9, 39	4
3.	34-36	19, 23, 38, 25, 26, 32, 10, 22, 42, 1, 37, 45, 33, 2, 43, 3, 34, 30, 40, 8, 20, 31, 29	23
4.	30-33	36, 24, 6, 44, 27, 41, 21, 7, 13, 15, 14, 5, 4	13
5.	<30	35, 16, 18, 17	4
योग			**45**

स्त्रोतः–भारत की जनगणना 2011

3.4.8 जनसंख्या घनत्व

कटनी नगर का औसत घनत्व (नगर पालिक निगम क्षेत्र) 33 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। नगर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3–सा–18 में दर्शाया गया है।

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

सारणी 3—सा—18

क्र.	वार्ड क्रमांक	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या (2011)	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
1	वार्ड क्रमांक 1	943.88	9054	9.59
2	वार्ड क्रमांक 2	325.67	8193	25.16
3	वार्ड क्रमांक 3	200.74	6691	33.33
4	वार्ड क्रमांक 4	81.17	5935	73.12
5	वार्ड क्रमांक 5	19.44	3749	192.81
6	वार्ड क्रमांक 6	5.49	3064	558.51
7	वार्ड क्रमांक 7	8.68	3096	356.51
8	वार्ड क्रमांक 8	7.67	4230	551.59
9	वार्ड क्रमांक 9	9.27	2750	296.79
10	वार्ड क्रमांक 10	111.93	5909	52.79
11	वार्ड क्रमांक 11	81.49	5244	64.35
12	वार्ड क्रमांक 12	34.92	4071	116.57
13	वार्ड क्रमांक 13	116.45	6122	52.57
14	वार्ड क्रमांक 14	658.00	7599	11.55
15	वार्ड क्रमांक 15	377.95	14747	39.02
16	वार्ड क्रमांक 16	139.41	5513	39.55
17	वार्ड क्रमांक 17	201.23	4376	21.75
18	वार्ड क्रमांक 18	69.88	5822	83.31
19	वार्ड क्रमांक 19	51.07	2356	46.14
20	वार्ड क्रमांक 20	8.75	2114	241.71
21	वार्ड क्रमांक 21	7.54	2017	267.39
22	वार्ड क्रमांक 22	7.13	2380	333.59
23	वार्ड क्रमांक 23	8.44	2221	263.30
24	वार्ड क्रमांक 24	7.04	3811	541.46
25	वार्ड क्रमांक 25	11.95	2150	179.87
26	वार्ड क्रमांक 26	18.31	2683	146.51
27	वार्ड क्रमांक 27	52.09	2729	52.39
28	वार्ड क्रमांक 28	121.53	5346	43.99
29	वार्ड क्रमांक 29	202.90	8146	40.15

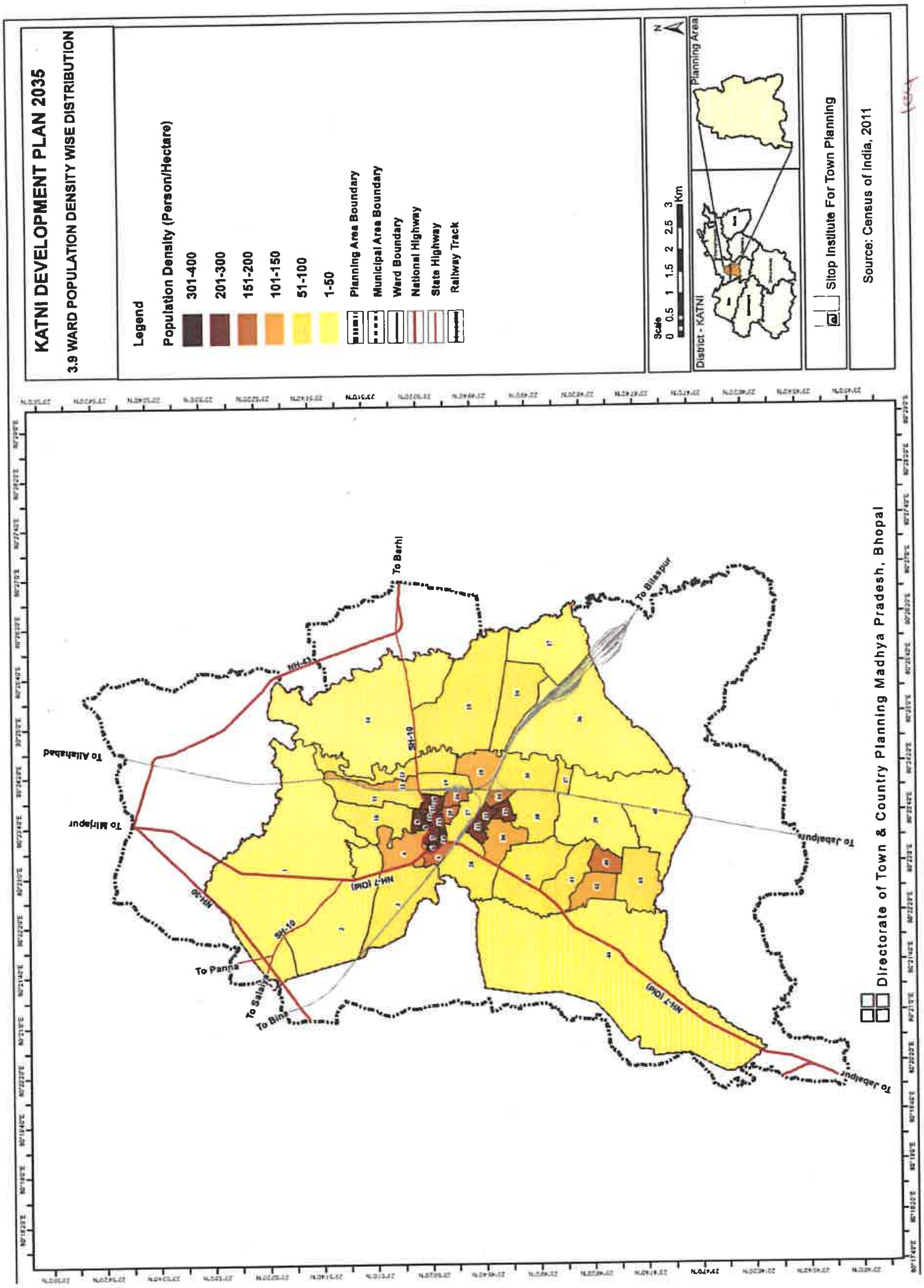
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
3.9 WARD POPULATION DENSITY WISE DISTRIBUTION
Legend
Population Density (Person/Hectare)
301-400
201-300
151-200
101-150
51-100
1-50
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Ward Boundary
National Highway
State Highway
Railway Track
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - KATNI
Planning Area
Sitop Institute For Town Planning
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Barhi
To Bilaspur
To Allahabad
To Mirjapur
To Jabalpur
To Panna
To Salaiya
To Bina
NH-43
NH-30
NH-7 (Old)
SH-10

क्र.	वार्ड क्रमांक	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या (2011)	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
30	वार्ड क्रमांक 30	64.79	5230	80.72
31	वार्ड क्रमांक 31	16.58	4028	242.91
32	वार्ड क्रमांक 32	13.41	4435	330.70
33	वार्ड क्रमांक 33	18.61	4578	245.98
34	वार्ड क्रमांक 34	15.77	3215	203.90
35	वार्ड क्रमांक 35	108.60	4911	45.22
36	वार्ड क्रमांक 36	535.98	5649	10.54
37	वार्ड क्रमांक 37	23.83	1192	50.02
38	वार्ड क्रमांक 38	105.23	5206	49.47
39	वार्ड क्रमांक 39	181.64	5064	27.88
40	वार्ड क्रमांक 40	35.90	5524	153.89
41	वार्ड क्रमांक 41	89.84	5122	57.01
42	वार्ड क्रमांक 42	61.39	5040	82.10
43	वार्ड क्रमांक 43	124.96	6026	48.22
44	वार्ड क्रमांक 44	1236.40	9388	7.59
45	वार्ड क्रमांक 45	313.17	5157	16.47
योग		**6836.11**	**221883**	-

स्त्रोतः–भारत की जनगणना 2011, नगर पालिक निगम कटनी (म.प्र.) एवं जी.आई.एस.

उपरोक्त सारणी में जनसंख्या घनत्व के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पुराने शहर एवं बाहरी आबादी में, घनत्व के संदर्भ में काफी अंतर है। वार्ड क्रमांक 6 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 558 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। सबसे कम जनसंख्या का घनत्व वार्ड क्रमांक 44 में 8 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। आजाद चौक, घण्टाघर एवं झण्डा चौक के आस–पास उच्च घनत्व युक्त क्षेत्र विद्यमान हैं, यहां आवासीय सह वाणिज्यिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग अधिक है। वार्डवार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3–सा–19 में दर्शाया गया है।

जनसंख्या घनत्व

सारणी 3–सा–19

क्र.	जनसंख्या घनत्व (प्रति हेक्टेयर)	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	> 350	6, 11, 22, 24	4
2.	251-350	7, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21	8
3.	151-250	4, 9, 19, 23, 26, 28	6
4.	51-150	3, 5, 8, 12, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40	14
5.	< 50	1, 2, 16, 18, 31, 33, 38, 39	8
योग			45

स्त्रोतः–भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कटनी नगर भिन्न–भिन्न जनसंख्या घनत्व से युक्त होने के कारण नियोजन योजना ठोस एवं परिणामकारक हो, जिससे अत्यधिक घनत्व के क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके तथा आवश्यक सेवायें एवं अधोसंरचना उपलब्ध हो कम घनत्व के क्षेत्र आगामी विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

3.4.9 जनसंख्या परिवर्तन

- **कटनी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या**

कटनी नगर एवं सम्मिलित ग्रामों को भी शामिल किया गया है, जिसका विवरण सारणी 3–सा–20 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2011 अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

सारणी 3–सा–20

जनसंख्या (2011)			योग
नगर पालिका क्षेत्र	निवेश क्षेत्र के अंतर्गत् ग्रामीण क्षेत्र+बाह्य वृद्धि	निवेश क्षेत्र के अंतर्गत अन्य सेन्सेस टाउन	निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 2011
1	2	3	4
221883	23190	–	245073

कटनी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या आकलन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि का आकलन पृथक रूप से किया गया है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के

कारण मापदण्ड भिन्न होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर में भी असमानता होती है।

- **जनसंख्या परिवर्तन**

नगर में जनसंख्या परिवर्तन भिन्न–भिन्न कारणों से होता है। किसी भी नगर की विकास योजना तैयार करने हेतु नगर की जनसंख्या का अध्ययन अत्यावश्यक होता है, ताकि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर भावी जनसंख्या का आकलन कर भविष्य की आवश्यकताओं हेतु विभिन्न भूमि उपयोग की आवश्यकताओं के प्रस्तावों का निर्धारण किया जा सके। नगर की पिछले दशकों की जनसंख्या दशक वृद्धि दर सारणी 3–सा–21 में दर्शायीगयी है।

नगरीय क्षेत्र दशक वृद्धि दर

सारणी 3–सा–21

वर्ष	जनसंख्या	प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर
1	2	3
1961	60472	-
1971	86335	42.8
1981	123017	42.5
1991	163431	32.9
2001	186738	14.3
2011	221883	18.8

स्त्रोतः–भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि कटनी नगर की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से 1971 तक 42.8 प्रतिशत रही, जबकि वर्ष 1991 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 32.9 प्रतिशत पाई गई। जो पुनः घटकर वर्ष 2001 में 14.3 प्रतिशत हुई। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 में घटकर 18.8 प्रतिशत तक रह गई।

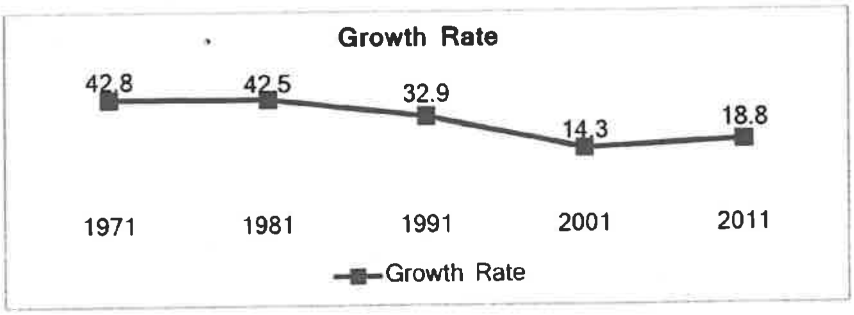

ग्रामीण जनसंख्या दशक वृद्धि दर

सारणी 3—सा—22

वर्ष	जनसंख्या	दशक वृद्धि दर
1	2	3
1991	12626	-
2001	17929	42.00%
2011	23190	29.30%

स्त्रोतः—भारत की जनगणना 2011

3.5 नगर के मुख्य कार्यकलाप

कटनी नगर जिला मुख्यालय होने के कारण जिला स्तरीय प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है, जहां राज्य शासन के विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय है। इसके साथ ही नगर औद्योगिक, खनिज एवं शैक्षणिक गतिविधियों का भी केंद्र है। नगर में शैक्षणिक संस्थान, शासकीय महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भी स्थापित है। यहां नगर के आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थी विद्या अध्ययन हेतु आते हैं। इसके अतिरिक्त कटनी मार्बल, औद्योगिक उत्पादों एवं कृषि का थोक व्यापार भी नगर का प्रमुख कार्यकलाप है।

नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर की प्राप्ति ही नियोजन का मुख्य लक्ष्य है। आर्थिक संसाधनों के कुशलतम भू—उपयोग में नगर नियोजन की आवश्यकता अनिवार्य होती है। उदार आर्थिक नीतियों तथा वैश्वीकरण के फलस्वरूप नगरीय व्यवस्था में तेजी से आ रहे बदलावों के परिप्रेक्ष्य में नगर के निम्न मुख्य कार्यकलापों पर विचार किया जाना आवश्यक है—

1. कटनी नगर उद्योग एवं व्यवसायिक गतिविधियों पर आधारित होने की दृष्टि से — खाद्य उत्पाद, दालमिल की स्थापना एवं कुटिर उद्योग।
2. जिला स्तरीय प्रशासनिक केन्द्र।
3. क्षेत्रीय व्यापार तथा वाणिज्यिक केन्द्र।
4. शैक्षणिक केन्द्र।
5. वनोपज पर आधारित उद्योग।

3.6 नगरीय विस्तार

कटनी निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम का विश्लेषण अलग—अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है। मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकास—क्रम एवं दिशा स्पष्ट है। प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3—सा—23 में स्पष्ट है।

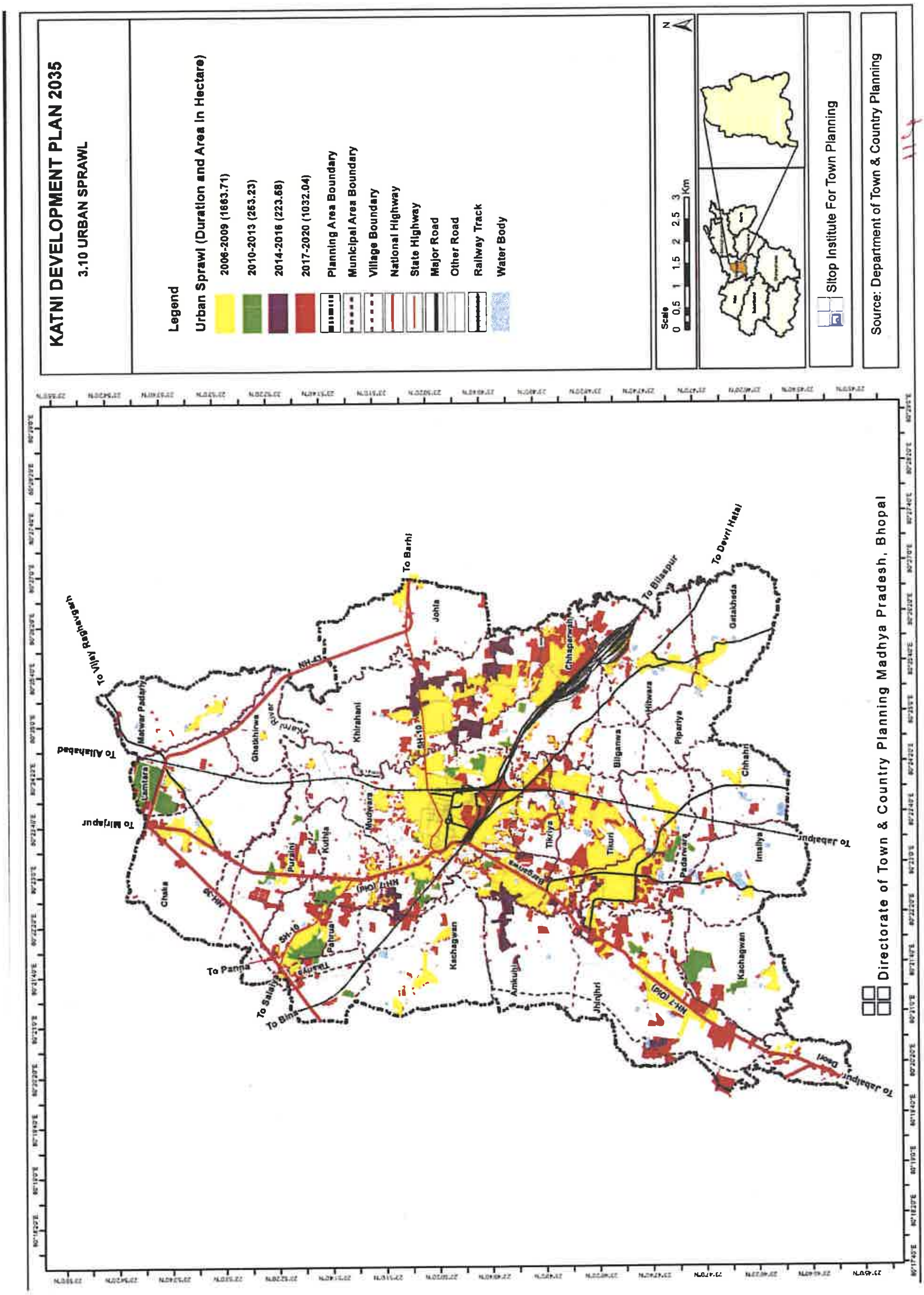
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
3.10 URBAN SPRAWL
Legend
Urban Sprawl (Duration and Area in Hectare)
2006-2009 (1863.71)
2010-2013 (263.23)
2014-2016 (223.68)
2017-2020 (1032.04)
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Village Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Other Road
Railway Track
Water Body
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
N
Sitop Institute For Town Planning
Source: Department of Town & Country Planning
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Barhi
To Bilaspur
To Devri Hatai
To Vijay Raghavgarh
To Allahabad
To Mirjapur
To Panna
To Salaiya
To Bina
To Jabalpur
NH-7 (Old)
SH-10
NH-43

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3–सा–23

क्र.	नगरीय विस्तार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	2009 तक	1663.70
2.	2010-2013	253.20
3.	2014-2016	223.50
4.	2017-2020	1032.50
	योग	3172.50

स्त्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

वर्ष 2009 के पूर्व नगरीय गतिविधियाँ प्रमुखतः कटनी के संस्पर्शी क्षेत्र तक केंद्रित थी, किन्तु वर्ष 2017–2020 की समयावधि में नगर विस्तार जबलपुर एवं सतना मार्ग के आस–पास के क्षेत्र में तीव्र गति से हुआ।

3.7 अनुमानित जनसंख्या

3.7.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

कटनी नगर में दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021 की जनसंख्या का आकलन निम्नानुसार गणितीय पद्धतियों से किया गया है, जिसे सारणी 3–सा–24 में दर्शाया गया है।

नगरीय क्षेत्रजनसंख्या का आकलन

सारणी 3–सा–24

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2021
1	2	3
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	256486
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method))	254165
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	283128
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	287765

उपरोक्त तालिका के आधार पर वर्ष 2021 तक आंकलित जनसंख्या वृद्धि के मान से वर्ष 2035 के लिए नगरीय जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है। जिसे सारणी 3–सा–25 में दर्शाया गया है।

नगरीय जनसंख्या का आकलन (वर्ष 2035)

सारणी 3—सा—25

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2035
1	2	3
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	308828
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method))	299360
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	398278
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	414112

3.7.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

कटनी निवेश क्षेत्र में नगर पालिक निगम के अतिरिक्त 14 ग्रामों को सम्मिलित कर निवेश क्षेत्र गठन किया गया। उक्तानुसार कटनी विकास योजना 2035 में सम्मिलित ग्रामों की कुल जनसंख्या का आकलन निम्न चार गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है, जिसे सारणी 3—सा—26 में दर्शाया गया है।

गामीण क्षेत्र जनसंख्या का आकलन

सारणी 3—सा—26

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2021
1	2	3
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	28429
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method))	28473
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	31333
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	31431

उपरोक्त तालिका के आधार पर वर्ष 2021 तक आंकलित जनसंख्या वृद्धि के मान से वर्ष 2035 के लिए ग्रामीण जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है। जिसे सारणी 3—सा—27 में दर्शाया गया है।

ग्रामीण जनसंख्या का आकलन वर्ष (2035)

सारणी 3–सा–27

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2035
1	2	3
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	35690
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method))	35869
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	47752
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	48109

3.7.3 कटनी निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

कटनी विकास योजना 2035 की कुल जनसंख्या का आकलन चारों गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है।

कटनी निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)

सारणी 3–सा–28

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2035
1	2	3
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	344518
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method))	335229
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	446030
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	462221

उक्त पद्धतियों में से घातांकीय वृद्धि पद्धति आंकलन अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या 462221 अनुमानित की गई है। जबकि अंकगणित वृद्धि पद्धति से सबसे कम जनसंख्या 335229 अनुमानित की गई है।

जनसंख्या आकलन

कटनी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या में वर्ष 1971 के पश्चात कमी दर्शित हो रही है। जिसका मुख्य कारण कटनी नगर में रोज़गार के अवसरों की कमी एवं पलायन है। कटनी नगर की विगत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दरों एवं भविष्य में जनसंख्या वृद्धि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए कटनी विकास योजना 2035 के लिए जनसंख्या आकलन हेतु ज्यामितिय वृद्धि पद्धति का चयन किया गया है। कटनी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2035 हेतु **4.50** लाख अनुमानित की गई है।

3.8 गंदी बस्तियाँ

नगर पालिक निगम कटनी में अधिसूचित गंदी बस्तियों की संख्या 106 हैं, जिसमें से 15722 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। इस प्रकार गंदी बस्ती में निवास कर रही जनसंख्या नगर की कुल जनसंख्या का लगभग 32 प्रतिशत है। जिसे सारणी 3–सा–29 में दर्शाया गया है।

गंदी बस्ती विवरण

सारणी 3–सा–29

क्र.	वार्ड क्र.	बस्ती का नाम	झुग्गी झोपडियों की संख्या
1	वार्ड नं. 01	इन्द्रा नगर	643
2	वार्ड नं. 02	आजाद नगर	84
3		आदिवासी मोहल्ले के पीछे	180
4		बजरंग कॉलोनी	92
5		बंगला टोला	111
6		नया गांव	52
7		यादव मोहल्ला	69
8		आदिवासी मोहल्ला	82
9	वार्ड नं. 03	बाला गली	36
10		चगरह मोहल्ला	94
11		चामरूट एवं कूटल गली	24
12		चौधरी मोहल्ला	42
13		कुशवाहा नगर पेट्रोल पंप के बाजू से	149
14		मुसलमान बस्ती अहमद नगर	84
15		पन्नी कॉलोनी	164
16		शंकरगढ	253
17	वार्ड नं. 05	चामरूट गली	122
18		हरिजन बस्ती	44
19		प्रजापति मोहल्ला	282
20	वार्ड नं. 06	गायत्री नगर के पास बस्ती	84
21		खटीक बस्ती	59
22		स्वीपर कॉलोनी	27
23	वार्ड नं. 08	चामरूटी मोहल्ला	28
24		जायसवाल गली	51
25		नामदेवी मोहल्ला	100
26	वार्ड नं. 09	हरिजन स्वीपर कॉलोनी	96
27	वार्ड नं. 10	आदर्श कॉलोनी	97
28		सोंधिया बड़ा	77
29	वार्ड नं. 11	केवट मोहल्ला	52
30	वार्ड नं. 12	चामरूटी गली	234
31	वार्ड नं. 13	निषाद शाला के पीछे बस्ती	140
32		केवट मोहल्ला	280
33	वार्ड नं. 14	बेलाट घाट	95
34		चामरूटी मोहल्ला	123
35	वार्ड नं. 15	चौधरी मोहल्ला	156
36		छोटी खिरहनी	201

कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप)

क्र.	वार्ड क्र.	बस्ती का नाम	झुग्गी झोपडियों की संख्या
37		कोल मोहल्ला	419
38		निषाद मोहल्ला	36
39		रामपुर खिरहनी	85
40		आदिवासी मोहल्ला	112
41	वार्ड नं. 16	बसोर मोहल्ला एवं प्रेम नगर	812
42		तिलक कॉलेज रोड गली	118
43	वार्ड नं. 21	कोडी मोहल्ला	26
44		सोनी बगीचा बस्ती	83
45	वार्ड नं. 23	म0प्र0 फॉरेस्ट गली	18
46		पाण्डेय गली	27
47	वार्ड नं. 25	कोडी मोहल्ला	30
48	वार्ड नं. 27	भंडवा टोला	111
49		धाउ चक्की	125
50		मुस्लिम बस्ती	132
51		आदिवासी मोहल्ला	517
52	वार्ड नं. 28	बजरंग नगर	141
53		इन्द्रा ज्योति नगर	574
54	वार्ड नं. 29	भूमिया टोला	46
55		बिली कुक क्षेत्र	126
56		चांदी की दफई	489
57		गड्डा टोला एवं बगरती	333
58		मुस्लिम बस्ती बी0एस0एन0एल0 ऑफिस के पीछे	44
59		टिकुरा मोहल्ला	71
60	वार्ड नं. 30	बसोर मोहल्ला	132
61		बसोर मोहल्ला	128
62		चामरूटी मोहल्ला	49
63		आदिवासी मोहल्ला	62
64	वार्ड नं. 32	चामरूटी मोहल्ला	68
65	वार्ड नं. 33	हरिजन बस्ती	40
66		कुम्हार बस्ती	48
67		मुस्लिम बस्ती	17
68	वार्ड नं. 34	बसोर मोहल्ला दुर्गा मंदिर के पास	96
69		चामरूटी मोहल्ला	47
70		कोल बस्ती	30
71		कुम्हार मोहल्ला	80
72		मुस्लिम मोहल्ला	32
73		स्वीपर बस्ती	55

क्र.	वार्ड क्र.	बस्ती का नाम	झुग्गी झोपडियों की संख्या
74	वार्ड नं. 35	रेल्वे लाईन बस्ती के पीछे	55
75		बसोर मोहल्ला	84
76		नदी के बगल में बस्ती	16
77		हरिजन बस्ती	227
78		कोल एवं चौधरी मोहल्ला	152
79		लोहरन टोला एवं बरौटोला	67
80		नयागांव	229
81		राजीव ब्रिज नगर	24
82		सोनी मोहल्ला	15
83		बिलागांव–1	111
84		बिलागांव–2	52
85	वार्ड नं. 36	श्मसान घाट के पास बस्ती	9
86		भूमिया टोला	76
87		छपरवाह	142
88	वार्ड नं. 37	बसोर मोहल्ला	83
89		हरिजन बस्ती	102
90	वार्ड नं. 38	संजय नगर	427
91	वार्ड नं. 39	हॉस्पिटल लेन दोमर बस्ती	181
92		मोटुमल गली	94
93	वार्ड नं. 41	पी0डब्ल्यू0डी0 कॉलोनी के पीछे पिछड़ी बस्ती	19
94		आदिवासी बस्ती	37
95	वार्ड नं. 42	बंगाली कॉलोनी	69
96	वार्ड नं. 43	अमकुही गांव	85
97		हरिजन बस्ती	162
98		झिंझरी	1875
99		कुम्हार मोहल्ला	117
100		लारेंस लाईन	50
101		आदिवासी टोला अमकुही	53
102	वार्ड नं. 45	अमीरगंज	508
103		बसोर मोहल्ला	244
104		भूमिया मोहल्ला	305
105		चौधरी मोहल्ला एवं चंदमरी हरिजन बस्ती	122
106		यादव मोहल्ला	64
कुल योग			**15722**

स्त्रोतः– नगर निगम कटनी

3.9 आवास की आवश्यकता

वर्ष 2011 की जनंसख्या के अनुसार नगर के अंतर्गत 47488 परिवार 44097 आवासों में निवास करते है। इस आधार पर परिवार का आकार 4.6 व्यक्ति आता है जबकि प्रति आवास व्यक्तियों की औसत संख्या 5.03 आती है। प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 3391 आवासों की कमी परिलक्षित होती है। वर्ष 2019 के प्राप्त आकड़े अनुसार रहवासी इकाईयों की संख्या 54087 थी।

नगर में गंदी बस्ती क्षेत्रों में नगरपालिका के सर्वेक्षण के आधार पर कुल 15722 झुग्गी झोपड़ियाँ पायी गई है जिसमें पुर्ननिर्माण की आवश्यकता है। जिसकी विस्तृत जानकारी सारणी 3–सा–30 में दर्शित है।

आवासीय इकाईयों की कमी (वर्ष 2011)

सारणी 3–सा–30

क्र.	विवरण	आवास इकाईयों की कमी
1	2	5
1.	झुग्गी झोपड़ियाँ	15722
2.	कच्चे मकान (वर्ष 2011)	1710
3.	वर्ष 2011 के परिवारों के अनुसार आवासों की कमी	3391
योग		**20823**

स्त्रोतः– नगर निगम कटनी/नगर तथा ग्राम निवेश/भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त आकलन के अनुसार कटनी नगर में कुल लगभग **20823** आवासों की कमी अनुमानित है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के लिए आवासों की आवश्यकता एवं अतिरिक्त परिवारों का विवरण सारणी 3–सा–31 में दर्शाया गया है।

अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता

सारणी 3–सा–31

क्र.	विवरण	आवासीय इकाईयां
1	2	3
	वर्ष 2011 में आवास इकाइयां	
1.	जनसंख्या	245073
2.	परिवारों की संख्या	47488
3.	आवासों की कमी	20823
	वर्ष 2035 हेतु आवासों की आवश्यकता	
4.	अनुमानित जनसंख्या	450000
5.	अतिरिक्त जनसंख्या	204927
6.	अतिरिक्त जनसंख्या हेतु आवासों की आवश्यकता	45540
7.	वर्ष 2011 से वर्ष 2020 तक निर्मित आवास	9990
8.	वर्ष 2035 हेतु कुल आवासों की आवश्यकता (3+6–7)	**56373**

स्त्रोतः–नगर पालिक निगम कटनी एवं जी.आई.एस. सर्वेक्षण

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार परिवार का औसत आकार 4.60 है। अनुमानित है कि वर्ष 2035 में यह 4.50 व्यक्ति तक पहुँच जायेगा। उक्त अध्ययन के आधार पर वर्ष 2011 में आवासों की कमी को सम्मिलित कर एवं वर्तमान में निर्मित अतिरिक्त आवासों की संख्या घटाकर अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2035 तक 56373 नवीन आवासों की आवश्यकता होगी। आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत पहल आवश्यक हैं, जो निम्नानुसार हैंः

1. भूमि विकास को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक अभिकरणों को गतिशील एवं समन्वित करना आवश्यक होगा। भूमि विकास के लिए राज्य शासन की नीतियों पर आधारित भू–स्वामियों, भूमि विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं हितग्राहियों की भागीदारी आवश्यक है।
2. नगर स्तर के अधोसंरचना एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए भूमि तथा अन्य संसाधनों का राज्य शासन की नीति के तहत निर्धारण हो।
3. निजी एवं सामुदायिक संस्थाओं द्वारा भूमि के विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देना।
4. भूमि के पुनर्उपयोग को सम्मिलित करते हुए आवास हेतु भूमि की सरल/सतत् आपूर्ति बनाए रखने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना।
5. रहवास हेतु नियोजन एवं विकास के मापदण्डों का पुनर्विलोकन (घनत्व, आच्छादित क्षेत्र, सीमांत खुला क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात, भूमि विभाजन मापदण्ड), जिससे भूमि

उपयोग एवं रहवास निर्माण के समय ऊर्जा उपयोग में कमी, तथा भूमि की उपयोग क्षमता एवं लागत अनुकूल लक्ष्य की प्राप्ति हो।

3.10 भौतिक अधोसंरचना

वर्ष 2035 तक कटनी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 4.50 लाख अनुमानित है। नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय, निकासी नालियां तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है, जिससे नगरवासियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद् पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास योजना में समाविष्ट किया जाना हैं।

3.10.1 जल प्रदाय

कटनी नगर में वर्तमान स्थिति के अनुसार जल प्रदाय का प्रमुख जल स्त्रोत कटनी नदी हैं। नगर में जल प्रदाय हेतु 5 जल संग्रहण टंकिया उपलब्ध हैं, जिनकी कुल क्षमता 4.5 एम.एल.डी. है, एवं अमृत योजना अंतर्गत निर्मित 30 जल संग्रहण टंकियां हैं, जिनकी कुल क्षमता 18.8 एम.एल.डी. है। वर्तमान में कटनी नगर में जल प्रदाय हेतु कुल 26.5 एम. एल.डी. क्षमता है जिसके माध्यम से शहर में जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक नल कूपों एवं कुओं से जल प्रदाय किया जाता है।

मांग का आकलन एवं जल प्रदाय स्त्रोत (Demand & Gap Analysis)

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में जहां जल प्रदाय प्रणाली अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो वहां प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता, जल प्रदाय की आधारभूत आवश्यकता निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 1172–1983) में न्यूनतम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय ऐसे सभी निवासियों के लिये जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फलस) व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय पाइप लाइन से किया जाये तो इस दर से शहर में निम्नानुसार जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी :–

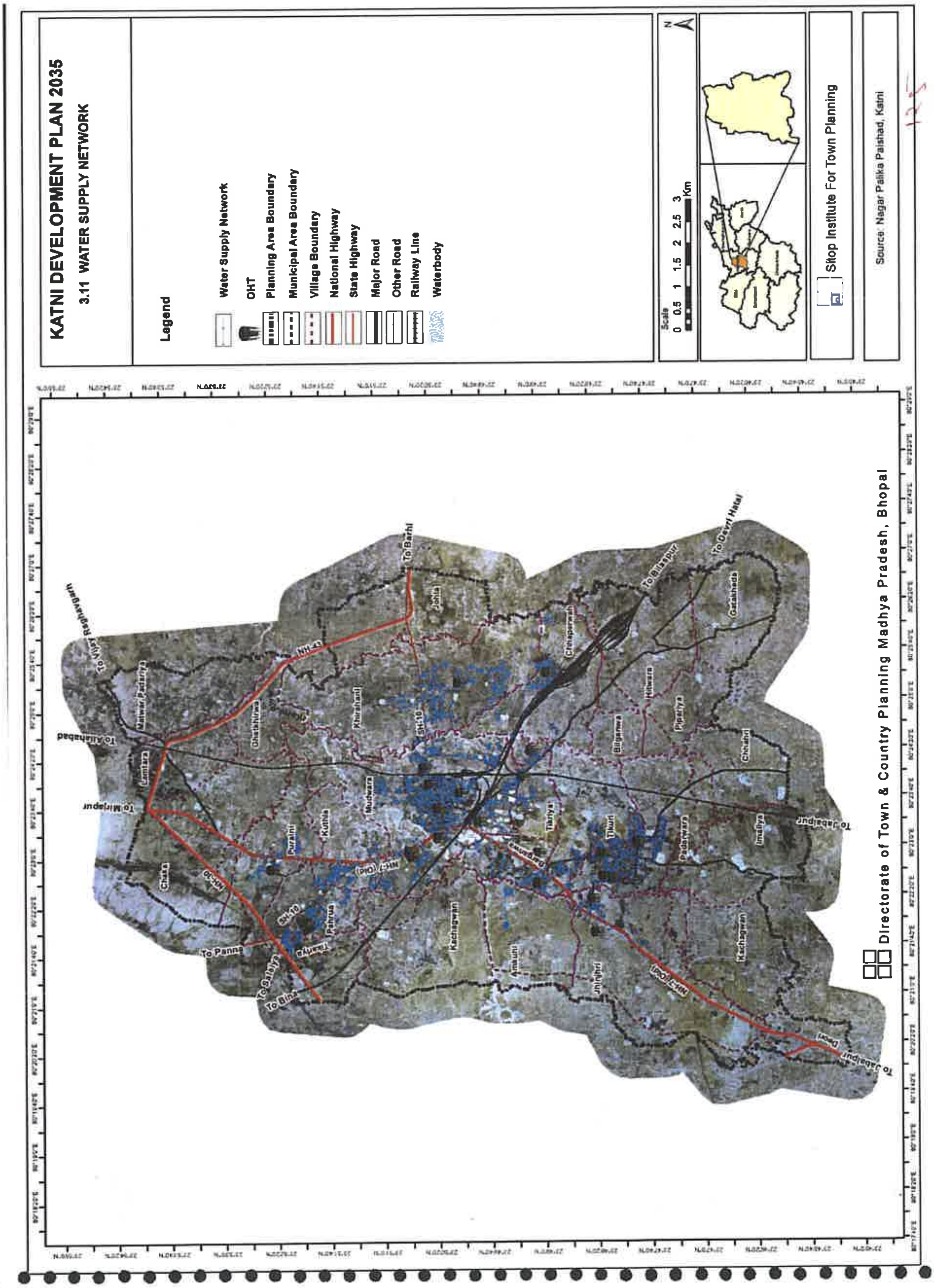
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
3.11 WATER SUPPLY NETWORK
Legend
Water Supply Network
OHT
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Village Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Other Road
Railway Line
Waterbody
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
Sitop Institute For Town Planning
Source: Nagar Palika Parishad, Katni
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Barhi
To Bilaspur
To Devri Hatai
To Jabalpur
To Allahabad
To Mirjapur
To Panna
To Bina
NH-43
SH-10

जल आपूर्ति आकलन

सारणी 3–सा–32

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या	जल आपूर्ति मात्रा (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	कुल जल आपूर्ति मात्रा (एम.एल.डी. में)
1	2	3	4	5
1	2011	221883	135	29.90
2	2035	450000	135	60.75

स्त्रोतः– नगर निगम कटनी/नगर तथा ग्राम निवेश

कटनी नगर में वर्तमान जल प्रदाय हेतु जल स्त्रोतों पर स्थित 3 जल शोधन संयंत्रों की जल शोधन क्षमता 51 एम.एल.डी. है। अतः नगर में कुल 51 एम.एल.डी. शोधन क्षमता एवं जल प्रदाय करने हेतु कुल जल संग्रहण क्षमता 23.3 एम.एल.डी. उपलब्ध है। जिसके अनुसार वर्तमान में शहर में केवल 103 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की जल प्रदाय क्षमता है।

वर्तमान में कटनी नगर में अमृत योजना के जल प्रदाय हेतु निम्नलिखित अधोसंरचना विकास किये जाने प्रस्तावित है–

1. नगर में कुल 17937 नए नल कनेक्शन दिए गए।
2. कुल 117.5 कि.मी. लम्बाई की जल वितरण लाइन निर्मित की गई जिससे प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन 110 लीटर पानी प्रदाय किया जा रहा है।

वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 4.50 लाख के लिए 23.3 एम.एल.डी की जल संग्रहण क्षमता उपलब्ध होगी। जिसके अनुसार जल प्रदाय क्षमता मात्र 66.5 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन होगी, जिसे बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय की सुविधा किए जाना प्रस्तावित है। जल प्रदाय सुविधा हेतु 37.45 एम.एल.डी की अतिरिक्त जल संग्रहण सुविधा को विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

जनसंख्या अनुसार जल आपूर्ति की मांग का आकलन एवं उपलब्धता

सारणी 3–सा–33

क्रमांक	विवरण	संख्या
1	**2**	**3**
1	वर्ष 2011 की जनसंख्या हेतु जल आपूर्ति (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	29.90 एम.एल.डी
2	वर्तमान जल आपूर्ति	26.50 एम.एल.डी
3	अमृत योजना के अंतर्गत अतिरिक्त जल आपूर्ति	–
4	वर्ष 2035 की जनसंख्या हेतु जल आपूर्ति (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	60.75 एम.एल.डी
5	वर्ष 2035 के लिए अतिरिक्त आवश्यक जल आपूर्ति	37.45 एम.एल.डी

जल वितरण व्यवस्था

यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2035 तक पर्याप्त प्रदाय दबाव सहित नगर की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पाईप द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था में सम्मिलित किया जावे। वर्तमान में नगर की 38 प्रतिशत जनसंख्या को ही पाईप द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध है, जिसे अमृत योजना के अंतर्गत 17937 नए पाईप कनेक्शन दिया जाना नगर पालिक निगम कटनी द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसका क्रियान्वयन 94% किया जा चुका है। वर्तमान की अवरोधित जल प्रदाय व्यवस्था के स्थान पर सुरक्षित एवं पीने योग्य गुणवत्ता वाले जल की निरंतर जल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

पेयजल के दुरूपयोग का रोकने तथा प्रदाय व्यवस्था में उच्चतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सेवा मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जब तक उन्हें जल के वास्तविक उपयोग पर आधारित न किया जावे। जल दरों की व्यवस्था का निर्माण दक्षताओं हेतु आवश्यक है।

3.10.2 नालियां तथा मल उपचार

घरेलू मल निकासी हेतु सैनिटरी नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियां, इस प्रकार पृथक–पृथक नालियां उपलब्ध कराई जाएगी। शहर में निकासी व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैः–

1. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था।
2. जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी।
3. अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण, पुनर्चक्रीकरण व पुनः उपयोग।

4. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय।
5. पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित–शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मॉड्यूलर)/जैविक शौचालय की व्यवस्था।
6. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थायें आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होगी।

अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू–जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है। सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है। सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है। भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके।

- **सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट**

कटनी नगर में शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट जल प्रबंधन/उपचार के लिए 6.0, 7.5 एवं 11.0 एम0एल0डी0 की क्षमता के 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थित है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 4.50 लाख के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट अपशिष्ट जल का उपचारण करता है, जो कि अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत होता है।

शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 4.50 लाख अनुसार 48.60 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता होगी जिसमे से 24.5 एम.एल.डी. जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र उपलब्ध है तथा 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या हेतु अतिरिक्त 24.10 एम.एल.डी. जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता है।

वर्षा जल निकासी

कटनी शहर में स्थित पहाड़ियों के कारण पानी का निकास बहुत जल्दी हो जाता है। शहर में स्थित मध्य तथा निचले क्षेत्र में भूमिगत अथवा खुले नालों की व्यवस्था के अभाव में पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिससे इन क्षेत्रों में पानी भर जाता है। नगर के मध्य तथा निचले क्षेत्रों में भूमिगत नालियों एवं खुली नालियों की अत्यंत आवश्यकता है। जिससे जल निकासी सुगमता से हो सके।

3.10.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर में प्रतिदिन लगभग 100 टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है जिसको 95% तक इकट्ठा किया जाता है। ठोस अपशिष्ट के विसर्जन हेतु 1 लेण्ड फिल साइट कटनी नगर में स्थित है। नगर पालिक निगम द्वारा वैज्ञानिक तरीके से बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का पृथक्कीकरण करके ठोस अपशिष्ट निष्पादन की कार्यवाही की जा रही है।

कटनी शहर से निकलने वाले कचरे को नगर पालिक निगम की कचरा संग्रहण वाहन (Door To Door Collection) के माध्यम से लगभग 42000 घरों से इकट्ठा किया जाता है तदोपरांत ट्रेचिंग ग्राउण्ड क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का शोधन किया जाता है, जिसमें वर्तमान में घरों एवं शहर के अन्य हिस्सों से प्राप्त होने वाला गीला एवं सूखा कचरा (ठोस अपशिष्ट पदार्थ), को जैविक एवं अकार्बनिक प्रक्रिया एवं नाडेब टांके से जैविक खाद के रूप में तैयार किया जाता है।

शहर में स्थित शासकीय उप–स्वास्थ्य केन्द्र से निकलने वाले बॉयो चिकित्सकीय अपशिष्ट को, विभिन्न थैलियों में एकत्रित किया जाता है तथा बंद वाहनों में उसका परिवहन कर उपचार हेतु सतना के निजी बॉयो चिकित्सकीय अपशिष्ट शोधन संयंत्र में भेजा जाता है।

कटनी शहर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है–

- शहर में सैलानियों, व्यापारियों, व्यावसायियों द्वारा गंदगी एवं कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था की जाना चाहिये ।
- तालाबों एवं मार्गो के किनारों पर नागरिकों द्वारा गंदगी फैलने वाले, गंदगी के स्थानों का चिन्हित करने के उपरांत उन जगहों पर कचरा पेटी लगाई जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का बेहतर प्रबंधन कटनी नगर पालिक निगम द्वारा किया जाना चाहिये।

3.10.4 विद्युत प्रदाय

नगर में विद्युत वितरण नयागाँव जबलपुर स्थित पावर स्टेशन द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विद्युत पॉलिसी–2005 के मापदण्ड अनुसार 221883 की जनसंख्या के लिए 11 के. वी. के विद्युत उपकेन्द्र की आवश्यकता तय की गई है। वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या अनुसार विद्युत आपूर्ति (33 के.वी.) अनुसार वर्तमान उपकेन्द्र की क्षमता में वृद्धि करना आवश्यक है।

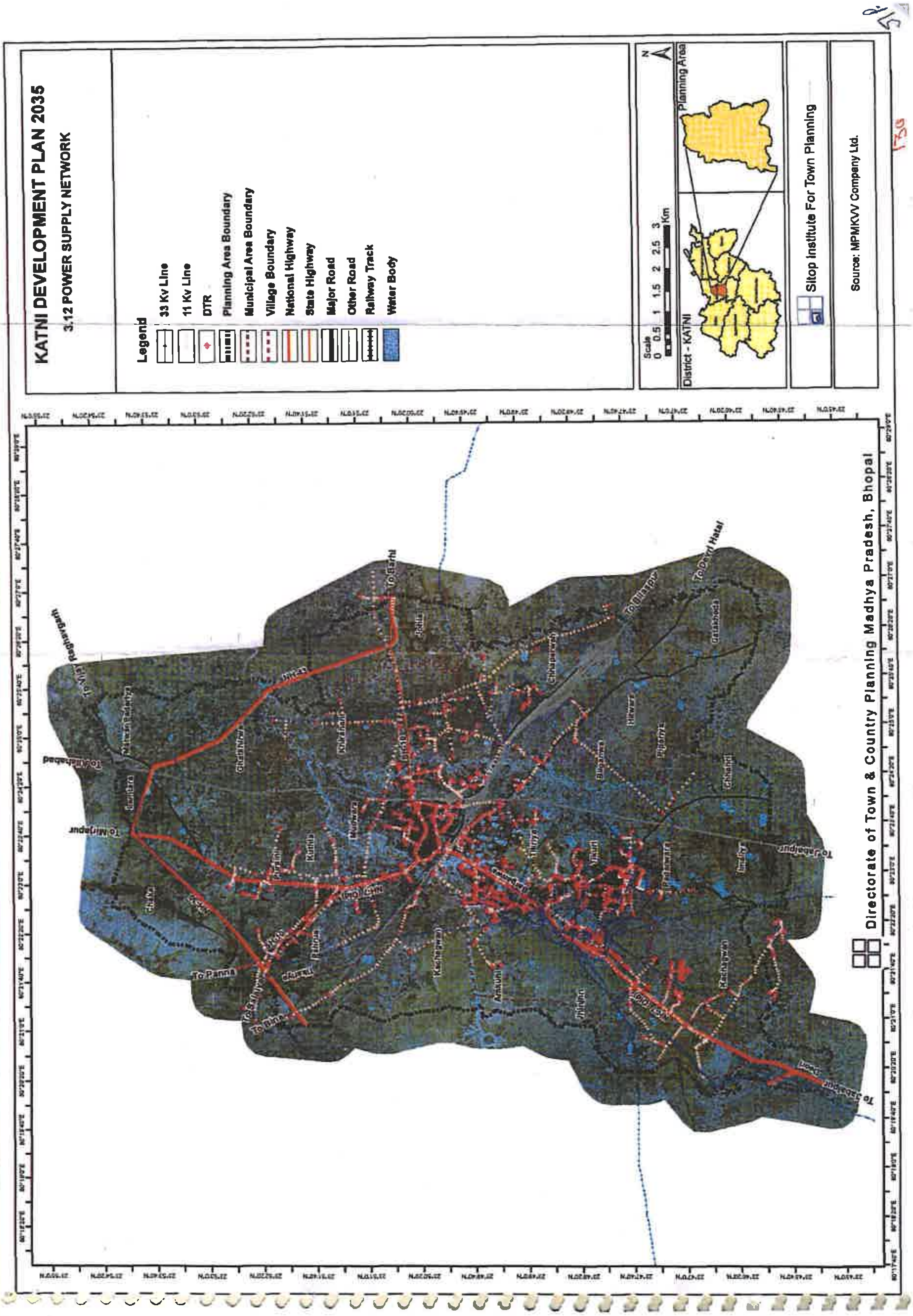
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
3.12 POWER SUPPLY NETWORK
Legend
33 Kv Line
11 Kv Line
DTR
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Village Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Other Road
Railway Track
Water Body
Scale 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - KATNI
Planning Area
Sitop Institute For Town Planning
Source: MPMKVV Company Ltd.
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Allahabad
To Mirzapur
To Panna
To Jabalpur
To Devri Hatai
To Barhi
To Bilaspur

3.11 सामाजिक अधोसंरचना

3.11.1 शासकीय कार्यालय

जिला मुख्यालय होने के कारण नगर में अधिकांश जिला स्तरीय कार्यालय स्थित हैं। अधिकांश कार्यालयों के पास अपना स्वयं का भवन है तथा शेष कार्यालय किराए के भवनों में कार्यरत हैं, जो शहर के अलग–अलग भागों में स्थित हैं। नगर में कार्यरत कार्यालयों की संख्या की जानकारी सारणी 3–सा–34 में दी गई है।

वर्तमान कार्यालय

सारणी 3–सा–34

क्रमांक	प्रकार	संख्या
1	**2**	**3**
1.	शासकीय कार्यालय भवन	223
2.	बैंक	40

स्त्रोतः– जी.आई.एस. सर्वेक्षण

3.11.2 शैक्षणिक

कटनी नगर में शासकीय एवं निजी शालाएं, आंगनवाडी, महाविद्यालय एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाएं संचालित है। नगर की वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या का राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता–2016 के मानक की गणना अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता की जानकारी सारणी 3–सा–35 में दर्शायी गयी है। नगर से उच्च शिक्षा हेतु पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है परन्तु इंजीनियरिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज नहीं है।

शैक्षणिक सुविधाएं

सारणी 3–सा–35

क्र.	स्कूल	U.R.D.P.F.I. गाइडलाइन के मानक	वर्तमान स्थिति		वर्ष 2035 की जनसंख्या अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता
			शासकीय	निजी	
1	2	3	4	5	6
1.	प्राथमिक शाला	5000 जनसंख्या पर 1	1295	109	पर्याप्त
2.	माध्यमिक शाला	7500 जनसंख्या पर 1	528	225	पर्याप्त
3.	हाई स्कूल	7500 जनसंख्या पर 1	92	35	पर्याप्त
4.	हायर–सेकण्डरी	7500 जनसंख्या पर 1	84	66	पर्याप्त
5.	महाविद्यालय	1.25 लाख जनसंख्या पर 1	3	–	1
6.	आई.टी.आई	10 लाख जनसंख्या पर 1	1	–	पर्याप्त
7.	पॉलिटेक्निक कॉलेज	–	1	–	–
8.	अन्य शैक्षणिक संस्थाएं	–	19	–	–
9.	आंगनवाडी	–	231	–	–

स्त्रोतः–शिक्षा विभाग, नगर पालिक निगम कटनी एवं जी.आई.एस. सर्वेक्षण

3.11.3 स्वास्थ्य

नगर में एक शासकीय जिला चिकित्सालय तहसील कार्यालय के पास स्थित है। इसके अतिरिक्त नगर में नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं अन्य स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। नगर की प्रस्तावित वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य सुविधाएं

सारणी 3–सा–36

क्र0	स्वास्थ्य सुविधा	U.R.D.P.F.I. गाइडलाइन के मानक	वर्तमान स्थिति		वर्ष–2035 की जनसंख्या अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता
			शासकीय	निजी	
1	2	3	4	5	6
1.	सामान्य अस्पताल	2.5 लाख जनसंख्या पर 1	1	–	1
2.	डिस्पेंसरी	15000 जनसंख्या पर 1	14		10
3.	अन्य स्वास्थ्य केंद्र	–	40		–

स्त्रोतः–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर पालिक निगम कटनी एवं जी.आई.एस. सर्वेक्षण

3.11.4 अग्निशमन

कटनी नगर का वर्तमान में अग्निशमन केंद्र स्टेडियम परिसर में स्थित है, जिसके द्वारा शहर में आगजनी की स्थिति को नियंत्रण किया जाता है। शहर की प्रस्तावित वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन अग्निशमन केन्द्र कटनी नगर पालिक निगम द्वारा विकसित किया जाना एवं अग्निशमन वाहनों की संख्या में वृद्धि करना प्रस्तावित है।

3.11.5 पुलिस कार्यालय

कटनी नगर में 03 पुलिस थाने जो कि कुठला, माधव नगर एवं न्यू कटनी जंक्शन में स्थित है एवं 5 पुलिस चौकियां नगर में स्थित हैं। वर्तमान में शहर के अंदर यातायात प्रबंधन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यातायात पुलिस कार्यालय निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

3.11.6 वाचनालय

नगर में एक वाचनालय (वेंकट वाचनालय) तहसील कार्यालय के समीप संचालित है। नगर की प्रस्तावित वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन वाचनालय विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

3.11.7 इलेक्ट्रिक चार्जिंग/बेटरी चार्जिंग स्टेशन

कटनी नगर में वर्तमान में विद्युत से चलने वाले वाहन ई–रिक्शा लोक वाहन के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। इनके लिए किसी भी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर शहर में बस स्थानक, पार्किंग क्षेत्रों एवं पेट्रोल पम्प क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग/बेटरी चार्जिंग स्टेशन लगाये जाना प्रस्तावित है।

3.11.8 श्मशान घाट /कब्रिस्तान

वर्तमान में नगर में 4 शमशान घाट एवं 3 कब्रिस्तान स्थित है। नगर में कब्रिस्तान, द्वारिका सिटी के पास, कटनी नदी के पास एवं बरगवां में स्थित है। साथ ही भविष्य में श्मशान घाट/कब्रिस्तान प्रस्तावित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3.11.9 धोबी घाट

नगर में स्थित बाबा घाट पर 1 धोबी घाट स्थित है, जिसके कारण नदी का पानी प्रदूषित होता है। धोबी घाट हेतु स्थान का चयन नगर पालिक निगम द्वारा किया जाना आवश्यक है।

3.11.10 दूरसंचार

कटनी नगर में दूरसंचार के साधन में विभिन्न कम्पनियों के कुल 25 मोबाईल टॉवर स्थापित हैं जो शहर में सुचारू रूप से संचार सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त शहर में 12 टेलिफ़ोन एक्सचेंज स्थित है। इसके अतिरिक्त नगर में 01 प्रधान डाक घर एवं 9 उप डाक घर संचालित है।

3.11.11 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं

सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं वर्तमान में ए.टी.एम. एवं वर्तमान सार्वजिनक शौचालयों की जानकारी मानचित्र में दर्शायी गयी है।

3.11.12 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा

वर्तमान में कटनी नगर में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के माध्यम से घरों में पहुंचाई जाती है। प्रस्तावित विकास योजना 2035 में एल.पी.जी./ सी.एन.जी. गैस पाइप लाइन द्वारा गैस की सप्लाई दी जाना प्रस्तावित है।

3.11.13 सामाजिक एवं सांस्कृतिक

नगर में वर्तमान में 12 कम्युनिटी हॉल स्थित है। इसके अतिरिक्त नगर पालिक निगम का एक ऑडिटोरियम बस स्टैण्ड के समीप स्थित है, जहां पर विभिन्न साहित्यिक,

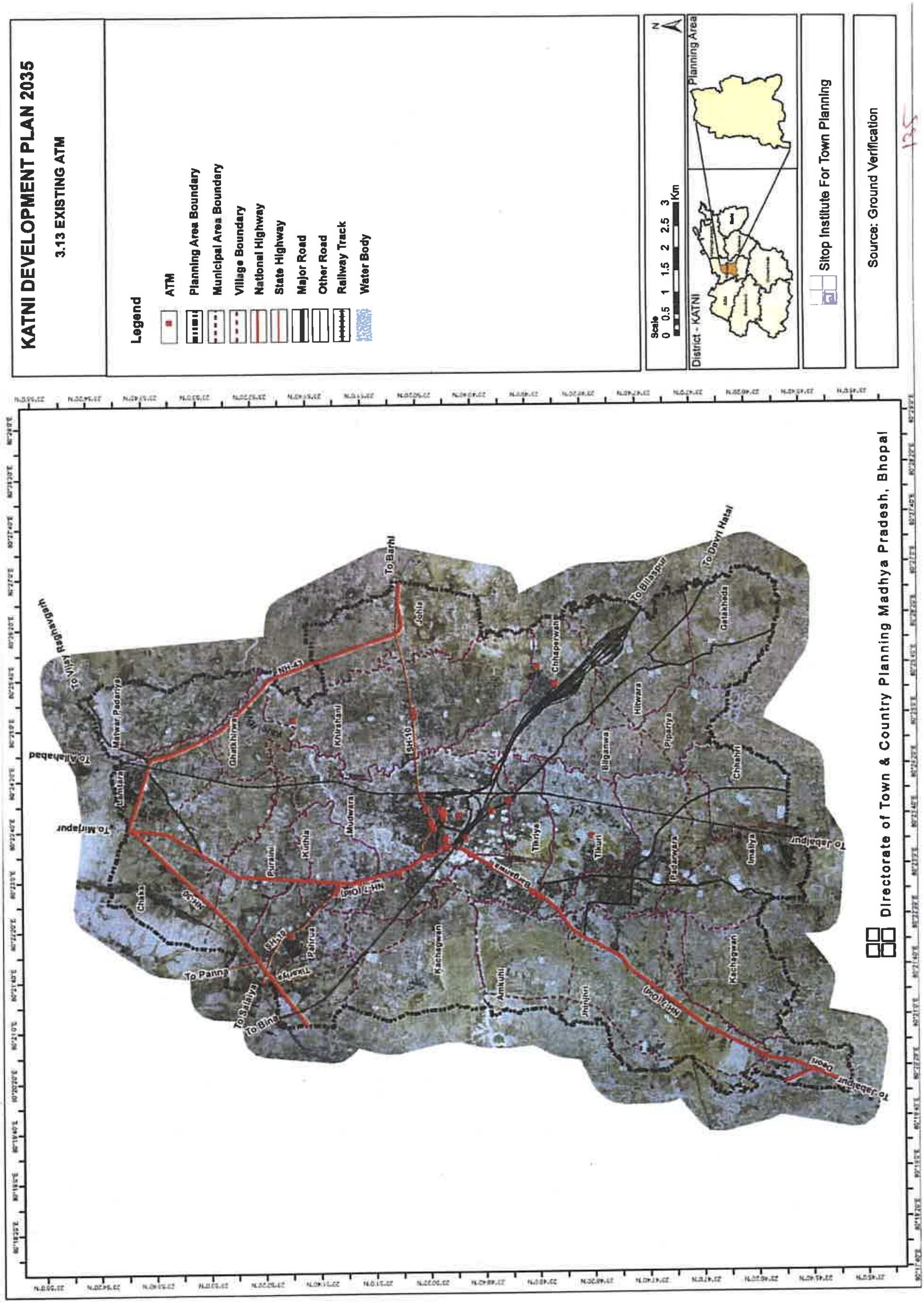
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
3.13 EXISTING ATM
Legend
ATM
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Village Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Other Road
Railway Track
Water Body
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - KATNI
Planning Area
Sitop Institute For Town Planning
Source: Ground Verification
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Vijay Raghavgarh
To Allahabad
To Mirjapur
To Panna
To Salaiya
To Bina
To Barhi
To Bilaspur
To Devri Hatai
To Jabalpur
NH-43
NH-7 (Old)
SH-10
Chaka
Puraini
Kuthla
Mudwara
Khirhani
Jhinjhari
Amkuhi
Kachagwan
Tikuri
Tikariya
Bilganwa
Hirwara
Pipariya
Chhahri
Imaliya
Gatakheda
Chitaperwari
Padarwara
Deori

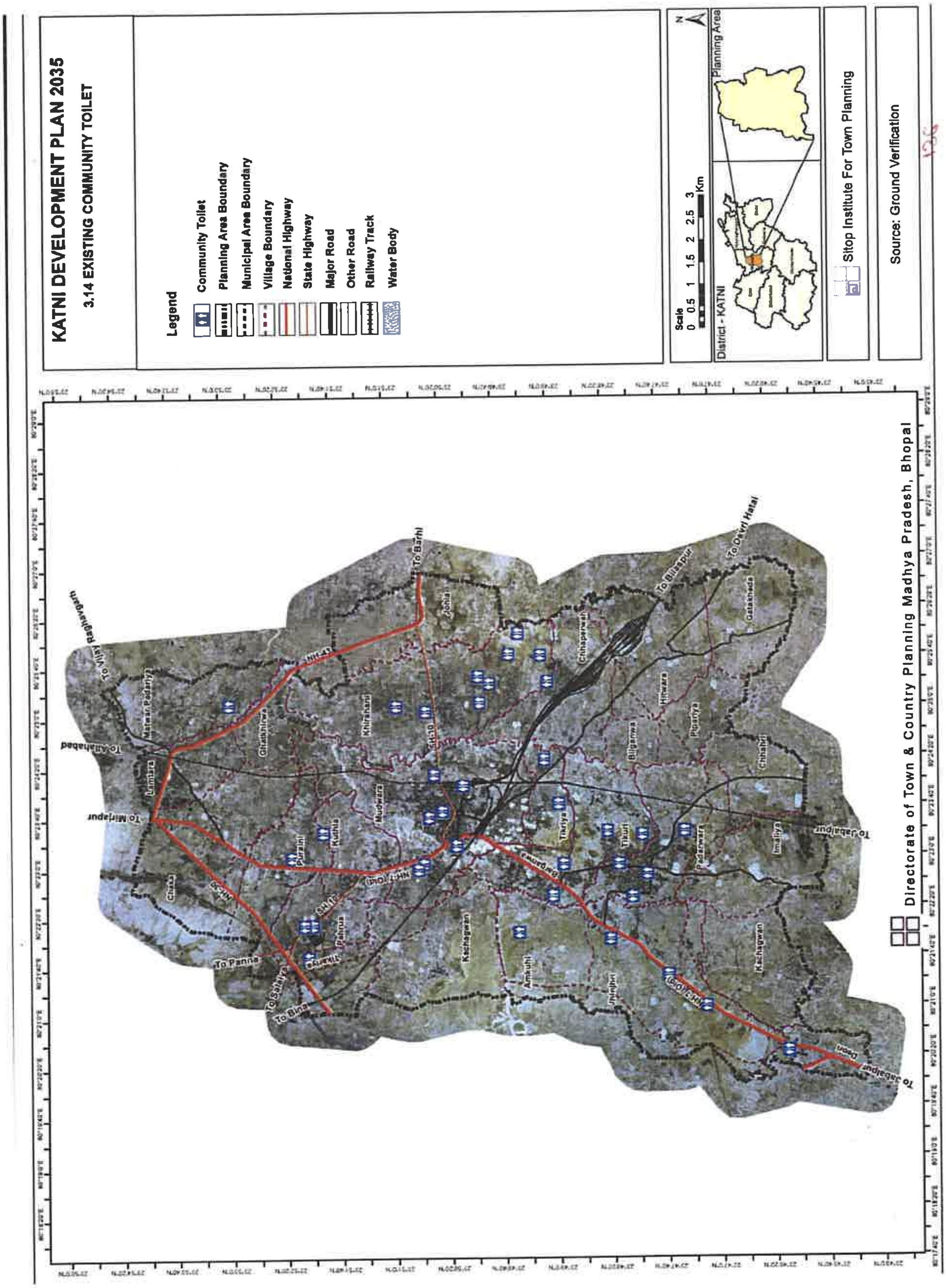
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
3.14 EXISTING COMMUNITY TOILET
Legend
Community Toilet
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Village Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Other Road
Railway Track
Water Body
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - KATNI
Planning Area
Sitop Institute For Town Planning
Source: Ground Verification
To Allahabad
To Mirzapur
To Panna
To Bina
To Barhi
To Bilaspur
To Devri Hatai
To Jabalpur
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियां होती है। नगर में समय–समय पर विभिन्न स्थानों पर मेले एवं उर्स लगते हैं, जिसका विवरण 3–सा–37 में दर्शाया गया है।

मेले एवं उर्स

सारणी 3–सा–37

क्रमांक	मेले/उर्स का नाम	स्थान	माह
1	2	3	4
1.	कटाये घाट	बरगवां कटनी	नवम्बर
2.	पीरबाबा	देवरी टोला निवार नदी के तट पर	मार्च–अप्रैल
3.	खजलईयां लल्लू भैया की तलैया	गणेश चौक कटनी	अगस्त

स्त्रोतः– नगर पालिक निगम कटनी

कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप)

अध्याय–4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव

4.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन

कटनी विकास योजना 2021 प्रस्तावित जनसंख्या 3.00 लाख हेतु दिनांक 19.06.2009 से प्रभावशील की गई थी एवं कटनी विकास योजना 2021 की समयावधि पूर्ण हो रही है। भारत सरकार द्वारा कटनी नगर को अमृत गाईड लाईन के अनुसार विकास योजना तैयार करने हेतु चयन किया गया। अतः नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 4.50 लाख हेतु विकास योजना तैयार की गई है। जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उंन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे।

4.2 योजना अवधारणा

कटनी का वर्तमान भौतिक स्वरूप एवं आकार नगर में स्थित तालाब, पहाड़ियों, नदियों, खनिज क्षेत्रों एवं रेल्वे लाइन पर आधारित है। भौतिक बंधनों के कारण नगर का वर्तमान स्वरूप निम्न क्षेत्रों में हो रहे विकास पर आधारित है।

1. पुराना नगर (मध्य क्षेत्र)।
2. जबलपुर मार्ग (झिंझरी ग्राम)।
3. रौशन नगर, दुबे कालोनी एवं न्यू कटनी जंक्शन– एन.के.जे. (खिरहनी ग्राम)
4. पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग–7 (पहरुआ एवं चाका ग्राम)

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुये नगर का भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को नगरीय सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी आवश्यकता है, ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह–संबंध एवं युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा। वर्तमान में मुख्य मार्गों को शहर से गुजरने के कारण यातायात एवं पर्यावरण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये प्रमुख मार्गों को प्रस्तावित बायपास मार्ग के द्वारा आपस में जोड़ा गया है, जिससे ईंधन व समय की बचत के अतिरिक्त सीधे यातायात का नगरीय यातायात से पृथक्करण संभव हो सके।

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्र में इस हेतु उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण

हो सके। नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है।

नगर के भावी औद्योगिक विकास को दिशा प्रदान करने की दृष्टि से विनिर्माण एवं कृषि आधारित उद्योगों हेतु उचित प्रावधान किया गया है।

4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

कटनी विकास योजना 2021 के अनुसार कटनी निवेश क्षेत्र की, वर्ष 2021 में जनसंख्या 3.00 लाख प्रक्षेपित की गई है एवं वर्ष 2035 तक वृद्धिगत जनसंख्या 4.50 लाख अनुमानित की गई है।

विकसित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसावर्जनिक, सुविधाएं एवं सेवाऐं, परिवहन एवं आमोद–प्रमोद क्षेत्र में सम्मिलित हैं। रिक्त भूमि, जलाशय, वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. (URDPFI) मानक में विभिन्न श्रेणियों के नगरों के लिए व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है। कटनी मध्यम श्रेणी का नगर है एवं यहां मुख्यतः कम एवं मध्यम ऊचांई के भवन निर्मित है। कटनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index" के माध्यम से विश्लेषण है।

4.4 भूमि उपयोग 2035

कटनी विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं सुनियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित क्षेत्र में 13.81 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भू–उपयोग दर से नगरीय विकास प्रस्तावित है। विकास योजना 2021 में 17.18 हेक्टेयर प्रति हजार भू–उपयोग दर प्रस्तावित की गई थी। जबकि वर्तमान में यह दर 11.10 हेक्टेयर प्रति हजार ही प्राप्त हुई है।

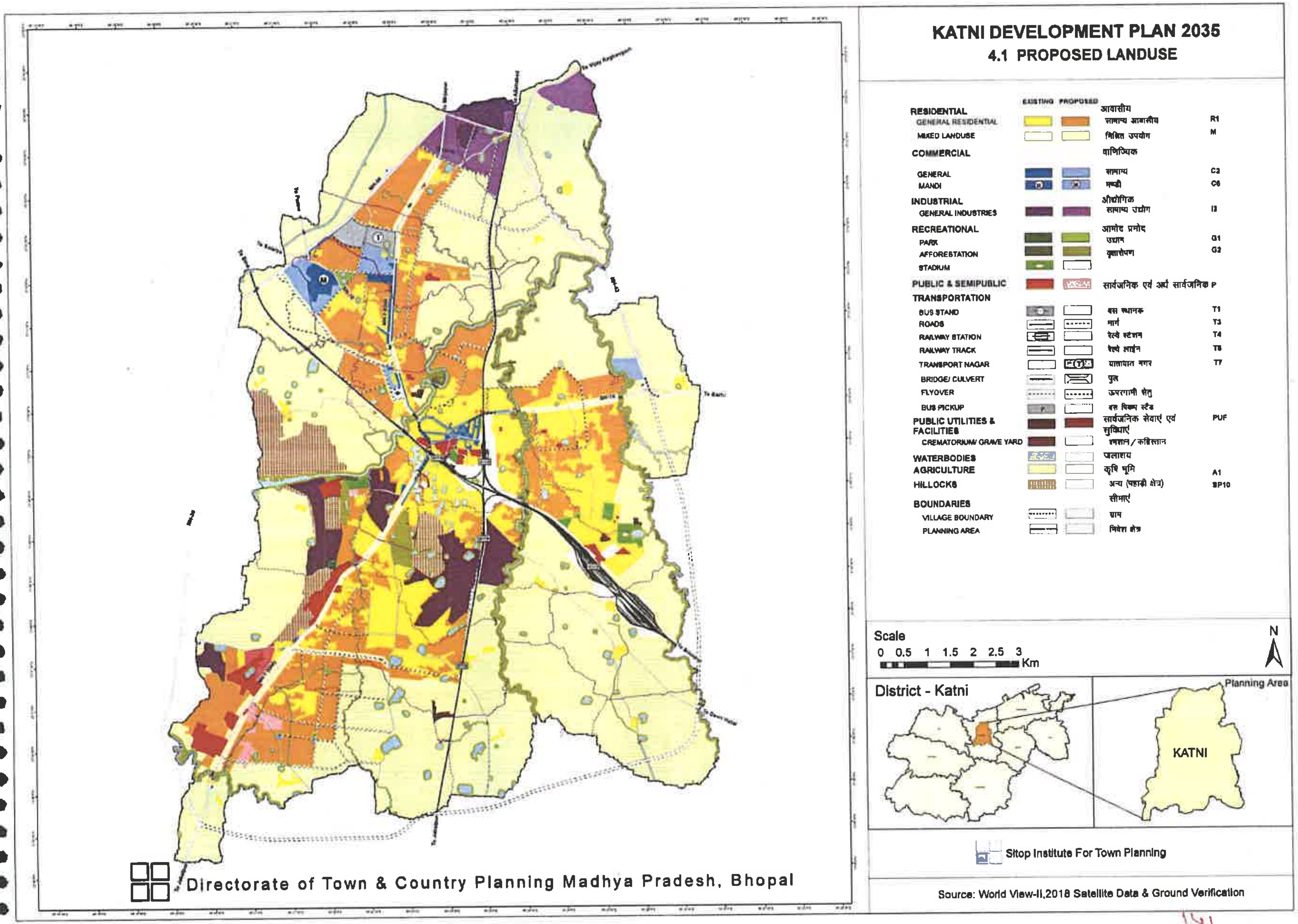
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
4.1 PROPOSED LANDUSE
EXISTING PROPOSED
RESIDENTIAL आवासीय
GENERAL RESIDENTIAL सामान्य आवासीय R1
MIXED LANDUSE मिश्रित उपयोग M
COMMERCIAL वाणिज्यिक
GENERAL सामान्य C2
MANDI मण्डी C6
INDUSTRIAL औद्योगिक
GENERAL INDUSTRIES सामान्य उद्योग I3
RECREATIONAL आमोद प्रमोद
PARK उद्यान G1
AFFORESTATION वृक्षारोपण G2
STADIUM
PUBLIC & SEMIPUBLIC सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक P
TRANSPORTATION
BUS STAND बस स्थानक T1
ROADS मार्ग T3
RAILWAY STATION रेल्वे स्टेशन T4
RAILWAY TRACK रेल्वे लाईन T5
TRANSPORT NAGAR यातायात नगर T7
BRIDGE/ CULVERT पुल
FLYOVER ऊपरगामी सेतु
BUS PICKUP बस पिकप स्टैंड
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं PUF
CREMATORIUM/ GRAVE YARD श्मशान / कब्रिस्तान
WATERBODIES जलाशय
AGRICULTURE कृषि भूमि A1
HILLOCKS अन्य (पहाड़ी क्षेत्र) SP10
BOUNDARIES सीमाएं
VILLAGE BOUNDARY ग्राम
PLANNING AREA निवेश क्षेत्र
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
N
District - Katni
Planning Area
KATNI
Sitop Institute For Town Planning
Source: World View-II,2018 Satellite Data & Ground Verification
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

सारणी 4–सा–1

क्र.	भू–उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टे. में)	विकसित क्षेत्र 2020			उच्चावचन / निम्नावन	प्रस्तावित क्षेत्र 2035		
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्रतिशत	भूमि उप–योगिता दर		कुल क्षेत्रफल वर्तमान सहित (हेक्टे.में)	प्रतिशत	भूमि उपयोगिता दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आवासीय	2713.99	1352.32	43.51%	4.83	1361.67	3077.85	49.52%	6.84
2.	वाणिज्यिक	228.94	103.21	3.32%	0.37	125.73	221.00	3.56%	0.49
3.	मिश्रित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.61	3.32%	0.46
4.	औद्योगिक	573.65	494.97	15.92%	1.77	78.68	682.65	10.98%	1.52
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	181.91	166.88	5.37%	0.60	15.03	228.79	3.68%	0.51
6.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	5.33	12.11	0.39%	0.04	-6.78	12.27	0.20%	0.03
7.	आमोद– प्रमोद	653.37	350.07	11.26%	1.25	303.30	757.83	12.19%	1.68
8.	यातायात एवं परिवहन	795.93	628.73	20.23%	2.25	167.20	1028.88	16.55%	2.29
	योग	**5153.11**	**3108.29**	**100%**	**11.10**	**2044.82**	**6215.87**	**100%**	**13.81**

4.4.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके। आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 3077.85 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 49.52 प्रतिशत है।

4.4.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 221.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 3.56 प्रतिशत है।

4.4.3 मिश्रित

आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। बाजार के आर्थिक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है, अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 206.61 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का 3.32 प्रतिशत है।

4.4.4 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास, स्थानीय खनिज, वनोपज एवं कृषि उपज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है। इन औद्योगिक इकाईयों के लिए पन्ना मार्ग के समीप एवं वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कुल 682.65 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 10.98 प्रतिशत है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों की सीमा पर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 228.79 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 3.68 प्रतिशत है।

4.4.6 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाए

सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं उपयोग के अन्तर्गत के अंतर्गत वर्तमान सहित 12. 27 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.20 प्रतिशत है।

4.4.7 आमोद–प्रमोद

विकास योजना में आमोद–प्रमोद के अन्तर्गत 757.83 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 12.19 प्रतिशत है। प्रस्तावित क्षेत्र में वर्तमान विकसित क्षेत्र भी सम्मिलित है। इस उपयोग के अन्तर्गत निर्मित ऐतिहासिक पर्यटन से संलग्न भवनों की बनावट के अनुरूप भू–दृश्यीकरण विकसित करना भी प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त नालों के किनारे भूमि विकास नियमानुसार निर्धारित सीमा तथा तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र के चारों ओर निर्धारित सीमा तक वृक्षारोपण भी प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टी से पहाड़ियों पर वृक्षारोपण प्रस्तावित है।

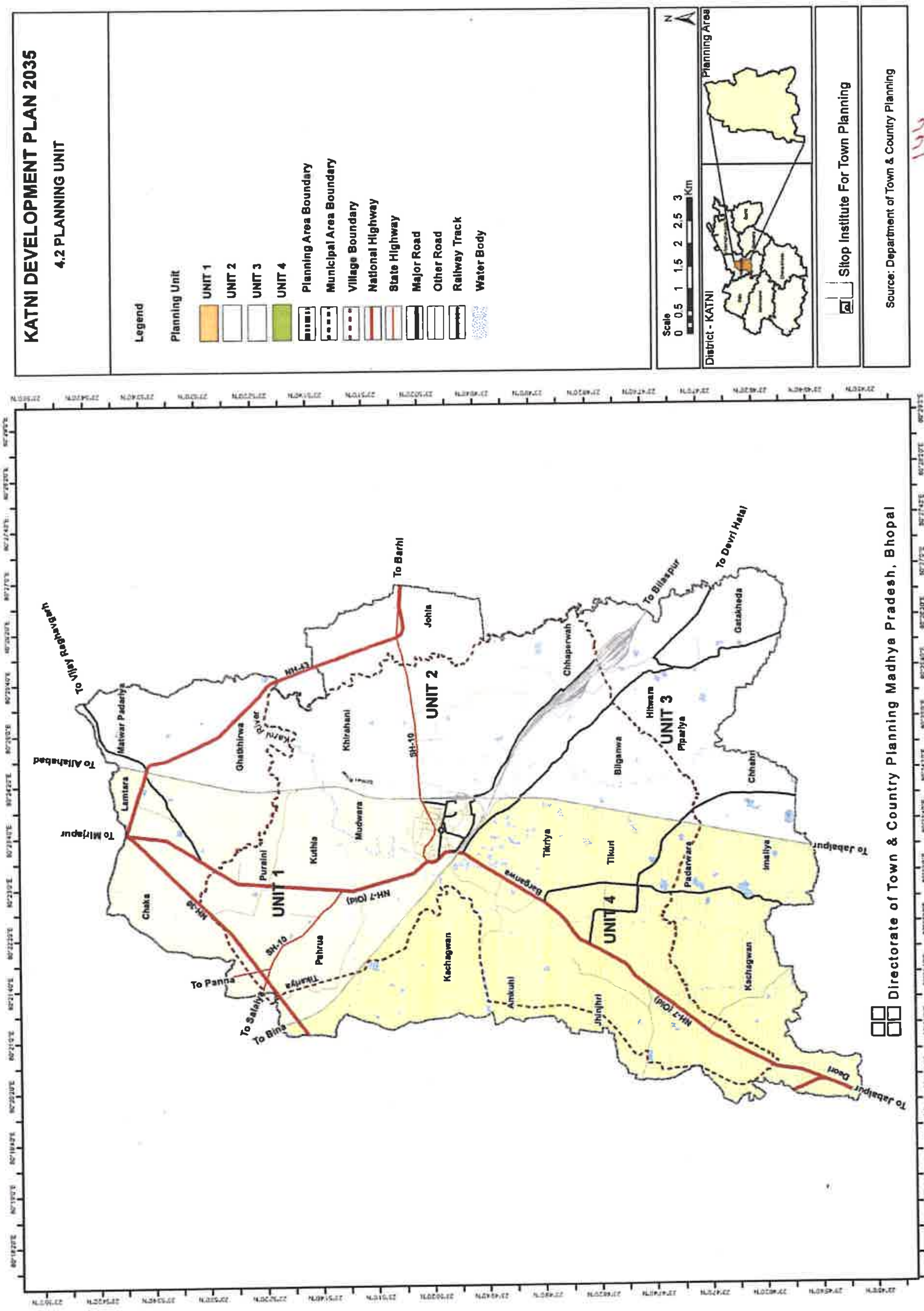
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
4.2 PLANNING UNIT
Legend
Planning Unit
UNIT 1
UNIT 2
UNIT 3
UNIT 4
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Village Boundary
National Highway
State Highway
Major Road
Other Road
Railway Track
Water Body
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Km
District - KATNI
Planning Area
Sitop Institute For Town Planning
Source: Department of Town & Country Planning
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UNIT 1
UNIT 2
UNIT 3
UNIT 4
To Vijay Raghavgarh
To Allahabad
To Mirzapur
To Barhi
To Bilaspur
To Devri Hatai
To Jabalpur
To Panna
To Salaiya
To Bina
NH-43
NH-7 (Old)
NH-30
SH-10
Matwar Padariya
Lamtara
Chaka
Ghatbhirwa
Puraini
Kuthla
Mudwara
Khirahani
Johla
Pahrua
Kachagwan
Amkuhi
Jhinjhri
Bargawa
Tikriya
Tikuri
Padarwara
Imaliya
Chhaperwah
Bilganwa
Hitwara
Pipariya
Chhahri
Gatakheda
Deori

144

4.4.8 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 1028.88 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसमें 360.21 हेक्टेयर रेलवे का क्षेत्र सम्मिलित है। यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 16.55 प्रतिशत है। यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों के विस्तार के साथ बायपास मार्ग के निर्माण तथा स्थानीय मार्गो की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है।

4.5 निवेश इकाईयाँ

कटनी विकास योजना 2021 में निवेश क्षेत्र को 4 निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया था। वाणिज्यिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के कार्य केन्द्रों के संबंध में प्रत्येक इकाई का एकात्मक कार्य सुनिश्चित किया गया था। उक्त निवेश इकाइयां मुख्यतः रेलवे लाइन को आधार मानते हुए विभक्त की गई थी। इसको आधार मानकर विकास योजना 2035 में भी पूर्व निवेश इकाईयों के क्षेत्र को यथावत रखा गया है। निवेश इकाई का विवरण सारणी 4–सा–2 में दर्शाया गया है।

निवेश इकाईयाँ

सारणी 4–सा–2

क्र.	निवेश इकाईयाँ	
	निवेश इकाईयाँ	**कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**
1	**2**	**3**
1	निवेश इकाई क्रमांक –1	2885.25
2	निवेश इकाई क्रमांक –2	3241.90
3	निवेश इकाई क्रमांक –3	2317.80
4	निवेश इकाई क्रमांक –4	4656.92
योग		**13101.87**

स्त्रोत :– नगर तथा ग्राम निवेश

- **निवेश इकाई क्रमांक –1**

इस निवेश इकाई में पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक –7 पर नगर का संपूर्ण उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र सम्मिलित है। इस इकाई में 2885.25 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है।

- **निवेश इकाई क्रमांक –2**

इस निवेश इकाई में प्रयागराज की ओर रेलवे लाइन के उत्तर–पूर्व का क्षेत्र सम्मिलित है। इस इकाई में 3241.90 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है।

- **निवेश इकाई क्रमांक– 3**

इस निवेश इकाई में जबलपुर की ओर रेलवे लाइन के दक्षिण–पूर्व का क्षेत्र सम्मिलित है। इस इकाई में 2317.80 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है।

- **निवेश इकाई क्रमांक– 4**

इस निवेश इकाई में पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7 पर नगर का संपूर्ण दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्र सम्मिलित है। इस इकाई में 4656.92 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है।

4.6 मध्यवर्ती क्षेत्र

अधिकांशतः नगरों में विभिन्न गतिविधियों का मुख्य केन्द्र पुराना/मध्य क्षेत्र होता है। जहां समय के साथ–साथ नगरीय गतिविधियाँ संचालित होती है। ऐसे क्षेत्रों में भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव भी सबसे अधिक होते है। अन्य नगरों की तरह कटनी नगर के मध्य क्षेत्र की अपनी अलग–अलग आवश्यकताएँ एवं समस्यायें है। कटनी नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा निम्नानुसार हैः–

1. उत्तर में: चांडक चौक से नई बस्ती तक
2. पूर्व में: खिरहनी फाटक से रेल्वे स्टेशन
3. दक्षिण में: रेल्वे कालोनी से मिशन चौक तक
4. पश्चिम में: चांडक चौक से मिशन चौक तक

4.7 अनौपचारिक सेक्टर

बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित है, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा आवासीय क्षेत्र के लिये सेवा जनसंख्या के रूप में भी कार्य करते हैं।

अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर, यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस–पास स्थापित हो जाती है। चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिये औपचारिक वर्ग के साथ–साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं।

अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित हैः–

- सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे – नगर केन्द्र खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र।
- थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना।
- संस्थागत क्षेत्रों, आमोद–प्रमोद, औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना।
- आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें।
- निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना।

अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित है:–

- परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना।
- अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।
- अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे।

4.8 गंदी बस्ती क्षेत्र

कटनी नगरीय क्षेत्र में नगर पालिक निगम द्वारा अधिसूचित 106 गंदी बस्तियां हैं। नगर पालिक निगम कटनी द्वारा इन गंदी बस्ती क्षेत्रों में मूलभूत सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया गया है। गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विक़ास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे। इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है।

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास।
3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास।
4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव नहीं हो, उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना।

4.9 आमोद–प्रमोद स्थल

4.9.1 खुला स्थल प्रणाली

विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है जो वर्तमान प्राकृतिक संरचनाओं के भू–दृश्यीकरण विकास के साथ–साथ आमोद–प्रमोद एवं पर्यावरणीय कार्यकलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखती है। योजना में शहर के प्रमुख खुले स्थलों को प्राकृतिक जल निकाय गलियारों के साथ और वर्तमान भू–दृश्यीकरण उप आकृतियों के नये विकास के साथ समाहित करते हुये प्रस्तावित किया है।

4.9.2 नगर उद्यान

नगर में वर्तमान में नगरीय उद्यान जागृति पार्क एवं मेला मैदान स्थित है। इसके अतिरिक्त अमृत योजना के अंतर्गत नगर स्तरीय पार्क एवं उधानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित है।

4.9.3 स्टेडियम तथा खेल परिसर

वर्तमान में कटनी नगर में एक स्टेडियम विद्यमान है। इसमें स्थानीय स्तर की खेल गतिविधियां आयोजित की जाती रही है। नगर की खेलकूद आवश्यकताओं अनुसार इसका जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित है।

4.10 पुनर्विकास नीति

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे इनका भू–मूल्य अधिक हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जावेगी :–

1. उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भू–उपयोग अंतर्गत भूमि/क्षेत्र जिस भूमि का अन्य सक्षम उपयोग हेतु मांग अधिक है, उन्हें पुनर्घनत्वीकरण/पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जावे।
2. पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा। इन परियोजनाओं का रूपांकन, नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात निवेश प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे।
3. उपयोग एवं गतिविधियों का निर्धारण, निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है, निर्धारित होगा जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

4. स्वीकार्य विकास का घनत्व उपयोगिता एवं अधोसंरचना का यातायात दबाव की वाहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा।

यदि मध्य क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुनर्विकास योजना तैयार की जाती है तो उस स्थिति में फर्शी क्षेत्र अनुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा।

भू–स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे–सड़क, फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि हेतु छोड़ता है तो उसे शेष भूखण्ड में सामान्य स्वीकार्य एफ.ए. आर. एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित किये गये भूखण्ड क्षेत्र की भूमि को दो गुना तक फर्शी क्षेत्र अनुपात में जोड़ा जा सकेगा।

4.11 ग्राम आबादी विस्तार

कटनी निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें ग्राम आबादी हेतु सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा।

4.12 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है। यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी ठेला, गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करता है। अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय–समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार्य होगा।

4.13 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

विभिन्न गतिविधियों की पुनर्स्थापना से रिक्त हुए स्थल के उपयोग के प्रस्ताव निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं।

असंगत/अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

सारणी 4–सा–3

क्र.	असंगत भूमि उपयोग	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4	5
असंगत भूमि उपयोग				
1.	मांस बाजार	मिशन चौक	ग्राम जुहला में शासकीय भूमि पर नि.इ.क्र. 2	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
2.	पत्थर फर्शी	भट्टा मोहल्ला माल गोदाम के पास	मण्डी के आगे, पन्ना मार्ग पर नि.इ.क्र.1	आवासीय, वाणिज्यिक
3.	आरा मशीन	आजाद चौक, भट्टा मोहल्ला, बरही रोड	पन्ना मार्ग बायपास के किनारे	आवासीय, वाणिज्यिक
4.	दाल मिल, तेल मिल, राईस मिल, पोहा मिल एवं अन्य उद्योग	माधव नगर क्षेत्र	बायपास, चाका एवं लमतरा निवेश नि.इ. क्र.1	आवासीय
5.	ट्रांसपोर्ट कंपनी	घंटाघर	ट्रांसपोर्ट नगर नि.इ.क्र. 1	वाणिज्यिक
6.	औद्योगिक क्षेत्र बरगवां	बरगवां	विजय राघवगढ़ मार्ग पर शासकीय भूमि नि.इ.क्र.2	आवासीय, आमोद– प्रमोद सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मिश्रित
7.	प्राइमर फैक्ट्री	न्यू कटनी जंक्शन क्षेत्र में	ग्राम चाका	आवासीय
8.	हड्डी गोदाम	गायत्री नगर अम्बेडकर वार्ड	ग्राम जुहला नदी के किनारे नि.इ.क्र.2	आरक्षित रेल्वे
अकार्यक्षम भूमि उपयोग				
1.	अनाज, किराना एवं थोक कपडा बाजार	आवासीय क्षेत्र गांधी गंज, झंडा बाजार, घंटाघर क्षेत्र	ग्राम पहरूआ मंडी के आसपास नि.इ. क्र.1	आवासीय, वाणिज्यिक एवं घंटाघर क्षेत्र में पार्किंग
2.	लौह वस्तु	ईश्वरीपुरा वार्ड चांडक चौक, बरही	ग्राम पुरैनी में ट्रांसपोर्ट नगर के	आवासीय, वाणिज्यिक

क्र.	**असंगत भूमि उपयोग**	**वर्तमान स्थल**	**प्रस्तावित स्थल**	**रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
		मार्ग, बस स्टेण्ड के पास	पास	
3.	वर्क शॉप	चिकित्सालय के पास एवं मिशन चौक के पास	ग्राम चाका में एन एच 7 मार्ग के किनारे नि.इ.क्र.1	अग्निशमन केन्द्र
4.	शंकर टॉकिज	रेल्वे स्टेशन के पास	—	मार्ग विस्तार, आवासीय
5.	गजानन टॉकिज	गोलबाजार के पास	—	वाणिज्यिक
6.	मोहन टॉकिज	तहसील कार्यालय के पास	—	वाणिज्यिक
7.	शंभू टॉकिज	नई बस्ती कटनी	—	मिश्रित उपयोग
8.	रेस्ट हाउस	सिविल लाइन, मुडवारा	—	वाणिज्यिक
9.	बस स्टैण्ड	ग्राम मुडवारा	ग्राम चाका में बायपास के पास शासकीय भूमि पर	पिकअप स्टेशन, वाणिज्यिक, पार्किंग

स्त्रोत : मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्/नगर तथा ग्राम निवेश

4.13.1 कार्यकेन्द्र

वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक गतिविधियां, नगर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। यह गतिविधियां यातायात के मुख्य उदित केन्द्र होने से इनका नियोजन इस प्रकार किया गया है कि जिससे आवासीय क्षेत्र से इनके मध्य न्यूनतम यात्रा समय द्वारा सुविधाजनक सुरक्षित एवं तीव्र गति द्वारा पहुँच सुनिश्चित हो सके।

4.13.2 व्यापार एवं वाणिज्यिक

वाणिज्यिक गतिविधि केन्द्रों का वर्गीकरण नगर एवं निवेश इकाई स्तर पर किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रमुख चयनित मार्गों को गतिविधि कोरीडोर के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें आवासीय उपयोग के साथ–साथ स्थल विशेष एवं भविष्य की आवश्यकता अनुसार अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ जैसे–शैक्षणिक, संस्थागत, वाणिज्यिक एवं सेवा उद्योग आदि स्वीकार्य होंगी।

4.13.3 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र

नगर स्तर की वाणिज्यिक गतिविधियां वर्तमान में मध्य क्षेत्र एवं उससे संलग्न क्षेत्र में केन्द्रित हैं। मध्य क्षेत्र में भीड़–भाड़ के कारण नगर स्तर की गतिविधियां नवीन नगरीय/उपनगरीय केन्द्रों एवं सामुदयिक केन्द्रों में प्रस्तावित की गई है। अग्रेषण अभिकरण तथा थोक वाणिज्यिक गतिविधियां भी मध्य क्षेत्र से यातायात नगर में प्रस्तावित की गई हैं।

4.13.4 कार्यालय

कुछ जिला स्तरीय एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय वर्तमान में सघन बहु आयामी विकसित क्षेत्र में कार्यरत है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में यातायात पार्किंग आदि समस्यायें पैदा होती है। अतः इन कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय–5 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना

प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना नगर के भावी आकार एवं स्वरूप का निर्धारण करती है, दक्ष यातायात एवं परिभ्रमण व्यवस्था के माध्यम से यात्रा समय, दूरी तथा वाहन चालन मूल्य, ईंधन की खपत आदि को कम किया जा सकता है, उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित परिभ्रमण निम्नलिखित अवधारणा पर आधारित हैः–

1. क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण।
2. नगर के दो भागों के मध्य नये मार्गों का प्रस्ताव एवं उन्नयन।

5.1 प्रस्तावित परिवाहन संरचना

कटनी नगर की परिवहन संरचना निम्न बिंदुओं पर आधारित हैः–

1. मार्गों का संयोजन, विकास एवं संवर्धन।
2. समुचित वाहन पार्किंग स्थलों का प्रावधान।
3. मार्गों का सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण।
4. नगरीय यातायात के दबाव को कम करने हेतु मार्गों का समुचित प्रावधान।
5. क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात का विभाजन।
6. मध्यवर्ती क्षेत्र एवं नगर के प्रमुख कार्य क्षेत्रों को भावी विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों के मार्गों में संयोजन।
7. सुगम यातायात हेतु नगर में दो भागों के मध्य नए मार्गों का प्रस्तावएवं उन्नयन।

5.2 अंतर्नगरीय यातायात

5.2.1 रेल यातायात

कटनी नगर रेल यातायात मध्य रेलवे के प्रयागराज–इटारसी लाइन का मुख्य जंक्शन है। यह से दिल्ली, मुंबई, सिंगरौली एवं मिर्जापुर के लिए सीधे रेल सुविधा उपलब्ध है।

5.2.2 सड़क मार्ग

कटनी नगर से सड़क यातायात द्वारा चार दिशाओं के लिये मुख्य मार्ग उपलब्ध है। जो कि मूलतः मिर्जापुर–जबलपुर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 30, एवं शहडोल मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 43 हैं। इन मार्गों द्वारा कटनी नगर मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के महानगरों से सीधे जुड़ा हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप यह नगर एक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है।

5.2.3 हवाई मार्ग

कटनी नगर से 100 किलोमीटर दूर जबलपुर में दुमना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है।

5.3 नगरीय यातायात

5.3.1 मार्गों की श्रेणी

- **क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना**

यह नगर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 एवं 43 पर स्थित है एवं इस प्रकार यह नगर भोपाल–इन्दौर–बिलासपुर–जबलपुर–प्रयागराज –मिर्जापुर एवं नई दिल्ली आदि से रेल एवं सड़क मार्ग से जुड़ा है। इस कारण नगर से गुजरने वाला यातायात अत्यधिक है। शहरी क्षेत्र में क्षेत्रिय यातायात का दबाव कम करने के लिए जबलपुर मार्ग से शहडोल मार्ग तक बायपास/फोरलेन मार्ग का विकसित किया गया है। नगर में यातायात को सुगम एवं सुविधाजनक करने हेतु शहडोल मार्ग से जबलपुर मार्ग तक बायपास का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। सड़क यातायात के अलावा नगर के लिए मुम्बई–हावड़ा, नई दिल्ली–इलाहबाद एवं अन्य मुख्य नगरों के लिए रेलवे सेवा नगर में उपलब्ध है।

क्षेत्रीय मार्गः– कटनी नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 एवं 43, प्रमुख जिला मार्ग शहडोल, पन्ना आदि मार्ग गुजरते हैं। इन मार्गों द्वारा क्षेत्रों के विभिन्न नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से सह–संबंध स्थापित होता है।

बायपास मार्गः–राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 एवं 43 एवं क्षेत्रीय मार्गों को आपस में जोड़ने हेतु 60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग प्रस्तावित है। वर्तमान में जबलपुर मार्ग से मिर्जापुर मार्ग एवं शहडोल मार्ग को जोड़ने वाला बायपास मार्ग विकासित है। विकास योजना में शहडोल मार्ग से जबलपुर मार्ग तक बायपास का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

- **नगरीय परिभ्रमण संरचना**

नगरी परिभ्रमण संरचना नगर के प्रमुख कार्य केन्द्र तथा यातायात अवसान केन्द्र को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित की गई है। इसके द्वारा क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण संभव हो सकेगा। इस प्रकार विकसित होने वाले नवीन क्षेत्रों का प्रमुख मार्गो एवं नगर के कार्य केन्द्रों से उचित सामंजस्य होने से यात्रा समय तथा दूरी एवं ईंधन की खपत कम करने हेतु नगर की परिभ्रमण संरचना प्रस्तावित की गई है।

नगर मार्गः–नगर का प्रमुख यातायात तथा नगर के प्रमुख कार्य केन्द्र नगर मार्गों पर स्थित होने के कारण इन मार्गो की यातायात क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये इनकी चौड़ाई विकास योजना प्रस्तावों में निर्धारित की गई है।

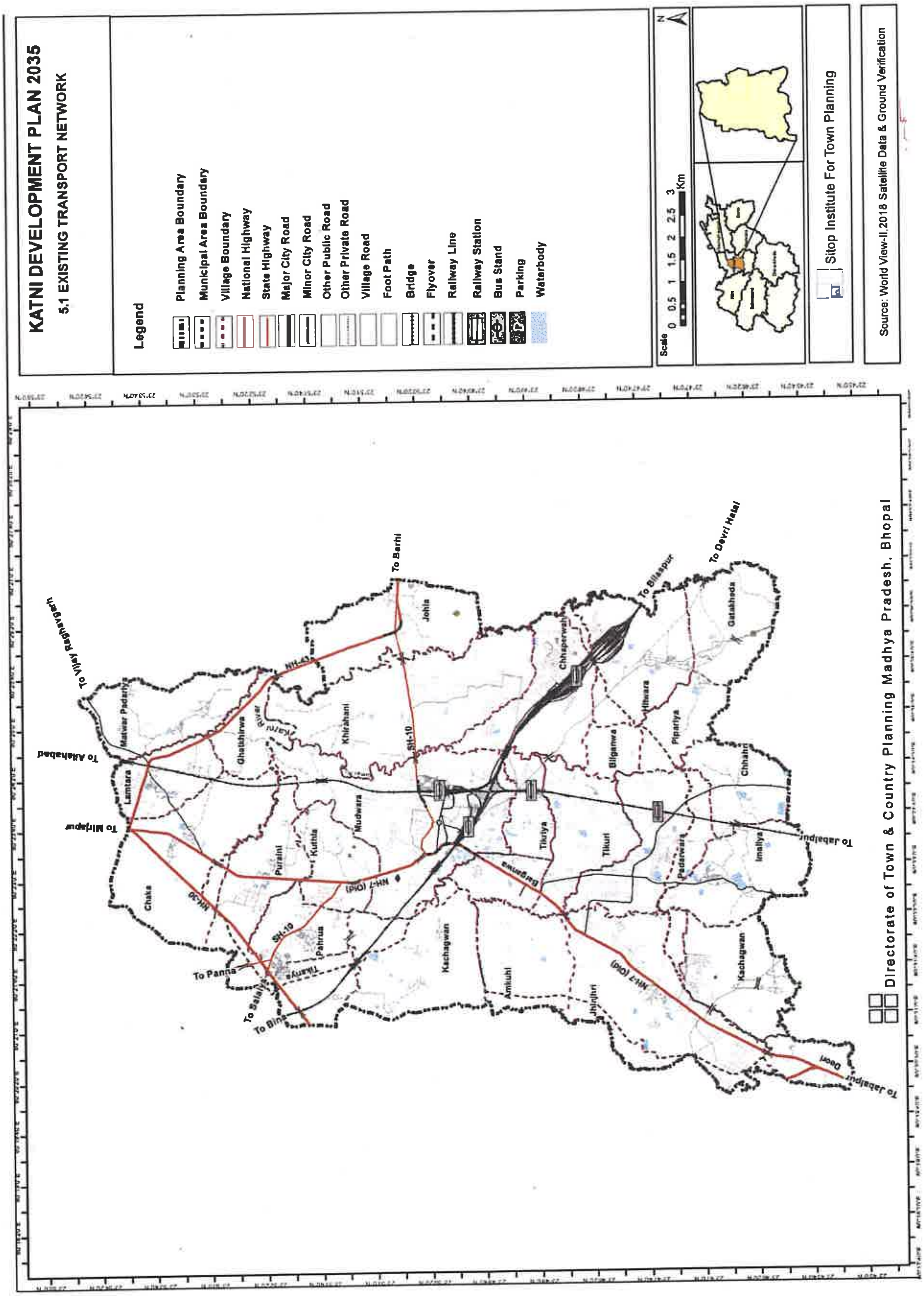
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
5.1 EXISTING TRANSPORT NETWORK
Legend
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Village Boundary
National Highway
State Highway
Major City Road
Minor City Road
Other Public Road
Other Private Road
Village Road
Foot Path
Bridge
Flyover
Railway Line
Railway Station
Bus Stand
Parking
Waterbody
Scale 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
Sitop Institute For Town Planning
Source: World View-II,2018 Satellite Data & Ground Verification
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Vijay Raghavgarh
To Allahabad
To Mirzapur
To Barhi
To Bilaspur
To Devri Hatai
To Jabalpur
To Panna
To Salaiya
To Bina
NH-43
NH-30
NH-7 (Old)
SH-10
Katni River
Matwar Padariya
Lamtara
Chaka
Ghatshirwa
Puraini
Kuthla
Mudwara
Khirahani
Johla
Pahrua
Tikariya
Kachagwan
Amkuhi
Jhinjhri
Bargawa
Tikuri
Chhaperwah
Bilganwa
Hirwara
Pipariya
Gatakheda
Chhahri
Imaliya
Padariwara
Deori

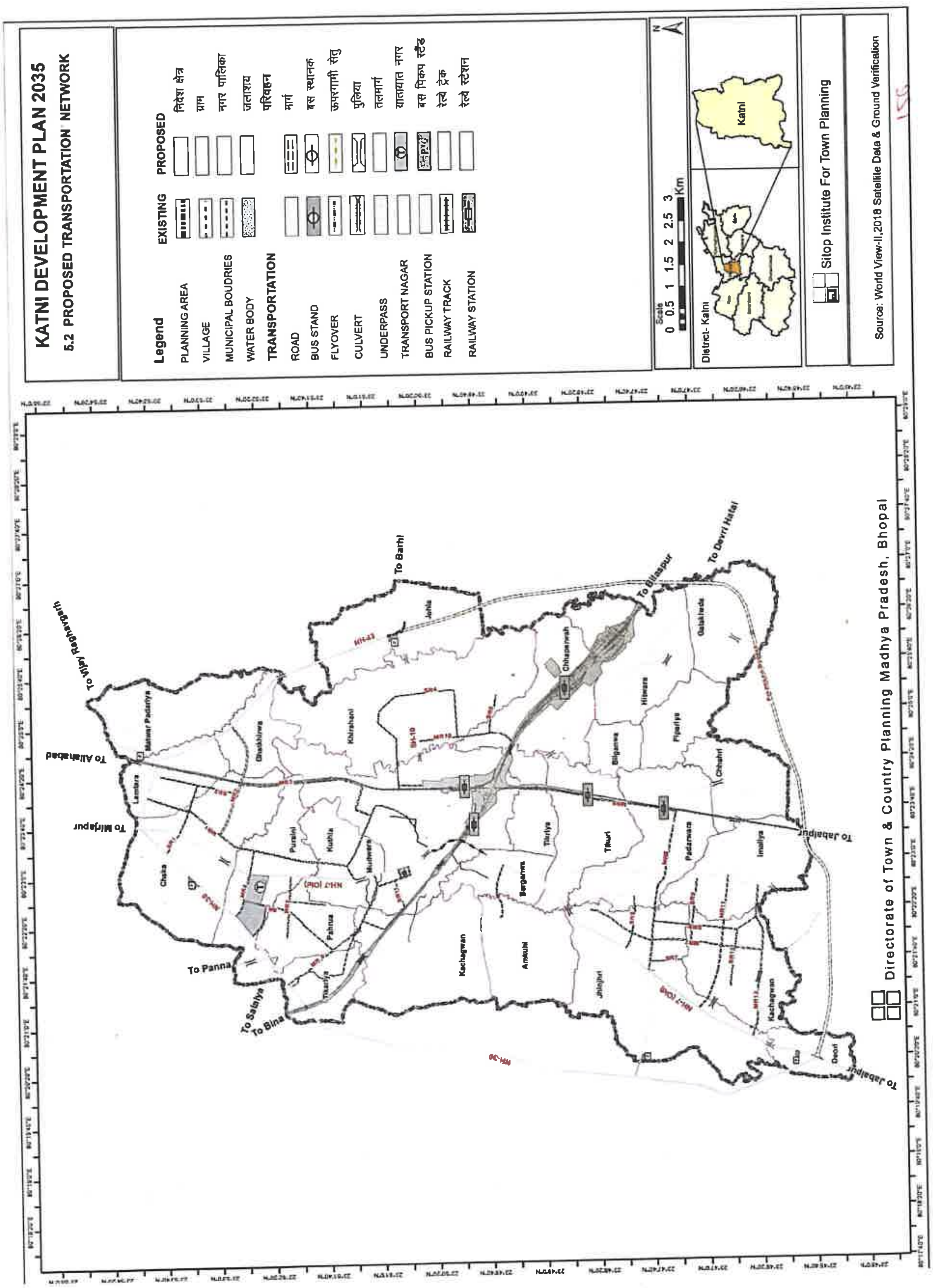
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
5.2 PROPOSED TRANSPORTATION NETWORK
Legend
EXISTING
PROPOSED
PLANNING AREA
निवेश क्षेत्र
VILLAGE
ग्राम
MUNICIPAL BOUDRIES
नगर पालिका
WATER BODY
जलाशय
TRANSPORTATION
परिवहन
ROAD
मार्ग
BUS STAND
बस स्थानक
FLYOVER
ऊपरगामी सेतु
CULVERT
पुलिया
UNDERPASS
तलमार्ग
TRANSPORT NAGAR
यातायात नगर
BUS PICKUP STATION
बस पिकप स्टैंड
RAILWAY TRACK
रेल्वे ट्रेक
RAILWAY STATION
रेल्वे स्टेशन
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District- Katni
Katni
Sitop Institute For Town Planning
Source: World View-II,2018 Satellite Data & Ground Verification
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
To Vijay Raghavgarh
To Allahabad
To Mirjapur
To Panna
To Bina
To Barhi
To Bilaspur
To Devri Hatai
To Jabalpur
To Jabalpur

वृत्त खण्ड मार्गः– यह मार्ग आवासीय खण्डों की सीमा पर इस प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किये गये हैं ताकि विभिन्न दिशाओं में स्थित कॉलोनियों का आवासीय क्षेत्रों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित हो सके। इनकी चौड़ाई 24.00 मीटर तक प्रस्तावित है।

स्थानीय मार्गः– स्थानीय मार्ग आवासीय खण्डों में परिभ्रमण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित है जिनसे उप वृत्तखण्ड मार्ग का संपक्र रहेगा। इनका प्रस्ताव आवासीय क्षेत्रों के अभिन्यास अनुमोदन के समय किया जावेगा तथा इनकी चौड़ाई 7.5 मीटर से 12 मीटर नियोजन की आवश्यकता अनुरूप प्रस्तावित की जावेगी। इनके साथ आवासीय क्षेत्रों की स्थानीय सेवायें जैसे– जलप्रदाय, जल–मल निकास, विद्युत प्रदाय आदि सुविधाओं का समावेश रहेगा। इन मार्गों को विकास योजना प्रस्ताव मानचित्र में नहीं दर्शाया गया है।

5.4 मार्गों की चौड़ाई

विकास योजना में वर्तमान नगर मार्गों की चौड़ाई को प्रस्तावित किया गया है। इन मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई सारणी 5–सा–1 में दर्शायी गई है।

मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 5–सा–1

क्रमांक	मार्ग का नाम	विकास योजना–2021 में प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में	पुनर्विलोकन पश्चात चौड़ाई मीटर में
1	**2**	**3**	**4**
1.	**बायपास मार्ग**		
	1. **वृत्तीय बायपास मार्ग** ग्राम जोहला बायपास से ग्राम देवरी पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 तक	60	60
2.	**मुख्य मार्ग (एम.आर.)**		
	1. एम.आर. क्रमांक 1 ग्राम लमतरा औद्योगिक केन्द्र से ग्राम कुठला राज्य राजमार्ग तक	24	24
	2. एम.आर. क्रमांक 2 पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से ग्राम घटखिरवा	–	36
	3. एम.आर. क्रमांक 3 रेलवे लाइन के निकट से ग्राम मुडवारा ग्राम कुठला तक	–	24
	4. एम.आर. क्रमांक 4 ट्रांसपोर्ट नगर से बायपास तक	24	24
	5. एम.आर. क्रमांक 5 ग्राम पुरैनी पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से पन्ना मार्ग कृषि उपज मंडी के पास तक	24	24
	6. एम.आर. क्रमांक 6 कृषि उपज मंडी के पीछे से बस स्टेण्ड तक	24	24
	7. एम.आर. क्रमांक 7 पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से जेल के पास से हाउसिंग बोर्ड कालोनी तक	24	24
	8. एम.आर. क्रमांक 8 झिंझरी नाका से माधव नगर स्टेशन तक	24	24

कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप)

क्रमांक	मार्ग का नाम	विकास योजना–2021 में प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में	पुनर्विलोकन पश्चात चौड़ाई मीटर में
1	**2**	**3**	**4**
	9. एम.आर. क्रमांक 9 माधव नगर स्टेशन से मंगल नगर मार्ग तक	24	24
	10. एम.आर. क्रमांक 10 एन.के.जे. मार्ग दुबे कालोनी तक	24	24
	11. एम.आर. क्रमांक 11 ग्राम इमलिया मार्ग से एस.आर. 7 तक	24	24
	12. एम.आर. क्रमांक 12 ग्राम इमलिया मार्ग से पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 तक	—	24
3.	**खण्ड स्तरीय मार्ग (एस.आर.)**		
	1. एस.आर. क्रमांक 1 एम.आर.क्रमांक 2 ग्राम लमतरा औद्योगिक क्षेत्र से बायपास तक	18	18
	2. एस.आर. क्रमांक 2 रेल्वे लाइन के पास विजयराघवगढ़ मार्ग से ग्राम लमतरा तक	18	18
	3. एस.आर. क्रमांक 3 ट्रांसपोर्ट नगर से एम.आर.क्रमांक 6 तक	18	18
	4. एस.आर. क्रमांक 4 तिलक कालेज के पीछे से ग्राम मुडवारा तक	18	18
	5. एस.आर. क्रमांक 5 एस.के.पी. कालोनी से एम.आर.क्रमांक10 तक	18	18
	6. एस.आर. क्रमांक 6 कलेक्ट्रेट के सामने से माधवनगर तक	18	18
	7. एस.आर. क्रमांक 7 एम.आर.क्रमांक 8 से देव प्रभाकर शास्त्री कॉलोनी तक	18	18
	8. एस.आर. क्रमांक 8 ग्राम कछगवां से एम.आर.क्रमांक 8 तक	—	18

कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप)

क्रमांक	मार्ग का नाम	विकास योजना–2021 में प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में	पुनर्विलोकन पश्चात चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
	9. एस.आर. क्रमांक 9 ग्राम इमलिया मार्ग से एम.आर.क्रमांक 7 तक	–	18
	10. एस.आर. क्रमांक 10 ग्राम कछगवां मार्ग से एस.आर.क्रमांक 8 तक	–	18
	11. एस.आर. क्रमांक 11 ग्राम कुठला में बस स्थानक के पीछे तक	–	18
4.	**ग्रामीण पहुँच मार्ग**	–	12
5.	**अन्य स्थानीय मार्ग**	–	12

नगर में वर्तमान प्रमुख मार्गों की जानकारी निम्न सारणी 5—सा—2 में दर्शायी गयी है।

क्षेत्रीय/नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 5—सा—2

क्रमांक	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
1.	चांडक चौक से घण्टाघर तक	09 मीटर	12 मीटर
2.	घण्टाघर से खिरहनी तिलक कॉलेज तिराहा तक	15 मीटर	18 मीटर
3.	तिलक कॉलेज तिराहा से ग्राम जोहला तक	24 मीटर	36 मीटर
4.	सिमरार नदी से तिलक कॉलेज तक	24 मीटर	30 मीटर
5.	मिशन चौक से बस स्टेण्ड (गुरूकृपा तक) बस स्टेण्ड के पहिले	18 मीटर	24 मीटर
6.	बस स्टेण्ड से बायपास तक	36 मीटर	45 मीटर
7.	आजाद चौक से सुभाष चौक	09 मीटर	12 मीटर
8.	पुराना रेस्ट हाउस नं. 2 से खिरहनी मार्ग तक	09 मीटर	12 मीटर
9.	रेलवे स्टेशन से मिशन चौक	21 मीटर	24 मीटर
10.	बरही मार्ग से शहीद द्वार (वीनस होटल)	12 मीटर	12 मीटर
11.	सुभाष चौक से तहसील तिराहा तक	09 मीटर	12 मीटर
12.	कोतवाली तिराहा से व्हाया लल्लू भैया की तलैया रेल्वे स्टेशन	12 मीटर	12 मीटर
13.	मिशन चौक से बरगवां नाला तक	24 मीटर	30 मीटर
14.	बरगवां नाला से रिलायंस पेट्रोल पंप (शांति नगर) तक	36 मीटर	36 मीटर
15.	रिलायंस पेट्रोल पंप (शांति नगर) से ग्राम देवरी बायपास तक	36 मीटर	45 मीटर
16.	रिलायंस पेट्रोल पंप (शांति नगर) माधव नगर स्टेशन तिराहा तक	16 मीटर	18 मीटर
17.	माधव नगर से (माधव नगर स्टेशन तिराहा) ग्राम इमलिया तक	18 मीटर	24 मीटर

क्रमांक	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
18	माधव नगर से माधव नगर रेल्वे स्टेशन तक	12 मीटर	18 मीटर
19.	माधव नगर से हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग तक से	18 मीटर	24 मीटर
20.	बिलहरी मार्ग	18 मीटर	24 मीटर
21.	बरगवां हनुमान मंदिर से कटाये घाट तक	18 मीटर	24 मीटर
22.	सुभाष चौक (यूनियन बैंक) से जयदयाल मार्ग (विश्वकर्मा फर्नीचर)	09 मीटर	12 मीटर
23.	मिशन चौक अण्डरब्रिज से मंगल नगर नदी तक	12 मीटर	18 मीटर
24.	मिशन चौक से (व्हाया मुडवारा स्टेशन) रेल्वे अण्डरब्रिज (नालंदा पब्लिक स्कूल) एन.के.जे. तक	12 मीटर	18 मीटर
25.	पन्ना तिराहा से कृषि उपज मंडी तक	24 मीटर	30 मीटर
26.	कृषि उपज मंडी से (बायपास) पन्ना सलैया मार्ग	24 मीटर	36 मीटर
27.	कोतवाली थाना से (रेस्ट हाउस नं.1) रेल्वे स्टेशन तक	12 मीटर	18 मीटर
28.	विजयराघवगढ़ तिराहा से ग्राम मतवार पडरिया तक	18 मीटर	24 मीटर
29.	शांति नगर से वेस्ट लेण्ड तक	16 मीटर	24 मीटर
30.	आयुध निर्माणी कारखाना से भारत चौक तक	9 मीटर	12 मीटर
31.	सिमरार नदी से देवरी हटाई तक	12 मीटर	18 मीटर

स्त्रोतः– नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण

नोटः– यदि मार्गो की चौड़ाई उनकी प्रस्तावित चौड़ाई से स्थल पर अधिक उपलब्ध होती है तो ऐसे मार्गो की चौड़ाई यथावत वर्तमान चौड़ाई के अनुसार ही मान्य रहेगी।

5.5 यातायात प्रणाली में सुधार

कटनी नगर के यातायात के वर्तमान अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि नगर में यातायात यांत्रिकी के सुधार की बहुत संभावना है, जिससे वर्तमान मार्ग पद्धति की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है एवं यातायात व्यवस्था में सुधार लाया जाकर यातायात प्रवाह की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। यातायात की क्षमता बढ़ाने हेतु मार्गों को चौड़ा बनाना, फुटपाथों का निर्माण करना आदि सम्मिलित है।

5.5.1 मार्ग संगमों में सुधार

मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित मार्ग संगम दुर्घटना की दृष्टि से खतरनाक है। इन चौराहों को यातायात की दृष्टि से सुनियोजित रूप से विकसित किया जाना प्रस्तावित है जो निम्नानुसार है :–

1. आजाद चौक।
2. सुभाष चौक।
3. झण्डा बाजार।
4. चाण्डक चौक।
5. मिशन चौक।

5.6 यातायात अवसान केन्द्र

5.6.1 बस स्थानक

कटनी नगर का क्षेत्रीय बस स्टैण्ड जबलपुर–मिर्जापुर पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग–7 पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण बस द्वारा विभिन्न शहरों से जुड़ा होने के कारण नगर में यातायात का अधिक दबाव होने से आने वाले यात्रियों एवं वाहनों की पार्किंग हेतु जगह की कमी होती है। नागरिकों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नवीन बस पिकअप स्टेशन का प्रावधान किया गया है।

5.6.2 पिकअप स्टेशन

नगर में वर्तमान में स्थानीय यातायात को सुगम बनाने हेतु पिकअप स्टेशन का प्रस्ताव निम्नलिखित स्थानों पर दिया गया है:–

1. ग्राम देवरी में पीरबाबा के समीप।
2. ग्राम जोहला में वर्तमान बायपास के समीप।
3. ग्राम चाका में बायपास के समीप।
4. ग्राम मतवार पडरिया में बायपास मार्ग संगम पर।
5. ग्राम झिंझरीकला औधोगिक क्षेत्र के समीप।

इसके अतिरिक्त स्थानीय संस्था के प्रस्ताव अनुसार पिकअप स्टेशन समस्त उपयोगों में मान्य होंगे।

5.6.3 यातायात नगर

नगर में वर्तमान में घण्टाघर पर यातायात नगर संचालित है। यह मध्य क्षेत्र में स्थित होने के कारण नगर की यातायात समस्या का प्रमुख कारण है। विकास योजना में जबलपुर–मिर्जापुर पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम पुरैनी में नवीन यातायात नगर प्रस्तावित किया गया है।

5.6.4 ओवर ब्रिज

नगर में रेलवे लाइन, नदी एवं बायपास विकास के परिणामस्वरूप ओवरब्रिज एवं अंडरपास की आवश्यकता है। नगर की यातायात संरचना को लागू करने के दौरान विकास योजना के प्रस्तावनुसार एवं आवश्यकतानुसार स्थानीय संस्था द्वारा उक्त निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। नगर के यातायात एवं रेल लाइन को द्रष्टिगत रखते हुए एक फ्लाईओवर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन है।

5.6.5 वाहन विराम स्थल

नगर के प्रमुख यातायात उदित केन्द्र एवं अवसान केन्द्र के आसपास वाहन विराम पार्किंग का होना आवश्यक है। नगर में मुख्य रूप से व्यापारिक, वाणिज्यिक तथा शैक्षणिक गतिविधियां संचालन करने हेतु यातायात की समस्याएं हैं, किन्तु नगर के मध्य में स्थल की कमी के कारण वाहन पार्किंग स्थलों का अभाव है। वर्तमान में निम्नलिखित स्थलों पर वाहन विराम किये जाते हैं।

1. मिशन चौक पेट्रोल पंप के पीछे
2. घण्टाघर से घण्टाघर क्षेत्र
3. बस स्टेण्ड के पीछे शासकीय भूमि पर
4. स्टेडियम के पास (वर्कशॉप के स्थान पर)

नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ वाहन, यातायात तथा परिवहन गतिविधियां बढ़ी हैं, इनको देखते हुये नगर में वाहन विराम स्थलों का अभाव है। नगर में उपयुक्त एवं पर्याप्त वाहन विराम स्थल का अभाव है तथा प्रत्येक जगह मार्ग पर वाहन खड़े किये जाते हैं। प्रस्तावित नगरीय क्षेत्रों में समुचित स्थल उपलब्ध न होने की दशा में पार्किंग हेतु स्थल नियत किया जाना प्रस्तावित है। इनके स्थल का निर्धारण स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किया जाना है।

अध्याय–6 विकास नियमन

6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :–

- निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
- भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है।
- समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
- किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो।
- ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर हैं, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे।

2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम हैं।

3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि किसी विवाद/विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा।

4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना

मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं।

5. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा।

6. आस–पास विद्यमान/निर्मित एवं धारा–30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा–27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग, जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप–दर्शित नहीं है अथवा उप–दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी।

7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे।

8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी।

9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जावेगा।

10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो।

11. ऐसे क्षेत्र जहां जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा।

12. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा।

13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी।

14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर/स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

15. विकास योजना में नदी/नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम–2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा, इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा।

16. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी–झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों के क्षेत्र, आमोद–प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी–झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा।

17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा/बड़ा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई–चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये। लंबाई–चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू–उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाये। विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण/अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग–अलग विकास नियमन–परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती हैकिन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी।

19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा।

20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे।

21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं। नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरों के आधार पर ही किया जायेगा।

23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे।

24. विकास योजना के प्रस्ताव नगर नियोजन के सिद्धांतों एवं विश्लेषण अनुसार दिये गये हैं, जिनका उद्देश्य नगर के सुनियोजित विकास को बढ़ावा देना है।

6.3 परिभाषायें

उपयोग परिक्षेत्र — मुख्य भू–उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।

उपयोग परिसर — उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।

अभिन्यास — अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।

भूमि उपयोग मानचित्र — सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि

	उपयोग मानचित्र कहलायेगा।
परिक्षेत्रिक योजना	निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधित हो।
नगरीय ग्राम	भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे।
नगरीय विरासत का क्षेत्र	नगरीय विरासत से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।
विकसित क्षेत्र	विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग।
एकल/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकास	अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप–विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।
मिश्रित उपयोग	मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है। इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी।
ऊँचे भवनों का विकास	ऊँचे भवनों का विकास,म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा।
फर्शी क्षेत्र अनुपात	फर्शी क्षेत्र अनुपातसे तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।
भवन की ऊँचाई	अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाईसे तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।
संवेदनशील क्षेत्र	परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा। इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के

निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।

अन्य परिभाषायें व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू–उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा। निर्धारित मुख्यभू–उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, आमोद–प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6–सा–1 में दिया गया है।

भू उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6—सा—1

क्र.	भू—उपयोग परिक्षेत्र	भू—उपयोग उप—परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
1	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू—तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
		मध्यम घनत्व	(आर 3)
		निम्न घनत्व	(आर 4)
2	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
3	मिश्रित	आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय, गैर वाणिज्यिक एवं गैर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधि	(एम)
4	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)
5	आमोद—प्रमोद	उद्यान	(जी 1)
		हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र	(जी 2)
		क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्र या वनस्पतिशास्त्र उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू—दृश्य क्षेत्रोंका संरक्षण	(जी 4)
		खेल मैदान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)
		झील के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
6	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक/संस्थागत गतिविधियां	(पी)

क्र.	भू–उपयोग परिक्षेत्र	भू–उपयोग उप–परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
7	विशेष प्रयोजन	पर्यटन प्रबर्धन परिक्षेत्र	(एस पी 1)
		संरक्षित परिक्षेत्र	(एस पी 2)
		शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो	(एस पी 3)
		तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 4)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 5)
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 6)
		सेज (एस.ई.जेड)	(एस पी 7)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 8)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 9)
		अन्य	(एस पी 10)
8	परिवहन	बस स्टैण्ड या टर्मिनर्स	(टी 1)
		बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेल्वे स्टेशन	(टी 4)
		रेल्वे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
		ट्रांसपोर्ट नगर	(टी 7)
		हैलीपेड/हवाई अड्डा	(टी 8)
क्र9	सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाए	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र/आक्सीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेचिंग ग्राउण्ड्	(पीयूएफ 4)
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल/मल/अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें/ गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएं	(पीयूएफ 5)
		रेडियो/टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
		जल शोधन संयंत्र जल–मल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1) (पीयूएफ 2)

क्र.	भू–उपयोग परिक्षेत्र	भू–उपयोग उप–परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
		विद्युत सब स्टेशन ट्रेचिंग ग्राउण्ड ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र /अपघटन संयंत्र कब्रिस्तान/श्मशान घाट	(पीयूएफ 3) (पीयूएफ 4) (पीयूएफ 9) (पीयूएफ 10)
10	जल निकाय	नदियां	(डब्ल्यू 1)
		झील/तालाब/जलाशय	(डब्ल्यू 2)
		नाला/नहर	(डब्ल्यू 3)
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 4)
11	कृषि	कृषि भूमि ग्राम आबादी विस्तार	(ए 1) (ए 2)

टीप :– उपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम, 2012 में दर्शित समस्त भू–उपयोग परिक्षेत्र एवं उप–परिक्षेत्र वर्णित है, जिनमें से कटनी नगर की आवयश्यकता के अनुसार लिये गये हैं।

6.4.1 आवासीय

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे।आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6–सा–2 में दिए गए हैं।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल–मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू–तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे

दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शायें भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है।

4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप अल्प आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जाएँगे।

5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट–ञ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।

6. पहुँच मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के पुनर्निमाण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे।

आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

सारणी 6–सा–2

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू–आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए.आर. अधि-कतम	एम.ओ.एस. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में)	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय इकाईयां
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4.0X8.0	32	पंक्ति	60	1.25	3.00	0.0	0.0	0.0	7.5	9	2
2	4.0X12.0	48	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9	2
3	5.0X15.0	75	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9	2
4	7.0X15.0	105	पंक्ति	50	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9	2
5	9.0X15.0	135	अर्द्ध पृथक्कृत	50	1.25	3.00	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10X18.0	200	अर्द्ध पृथक्कृत	50	1.25	3.00	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5	4
7	12.0X18.0	216	अर्द्ध पृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5	4
8	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	5
10	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	5
11	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	7
12	20.0X30.0	600	पृथकृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	7
13	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7
14	30.0X33.0	990	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7

नोटः–

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे। (आवासीय इकाई छोड़कर)
3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।
4. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. (MOS) में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी। किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी।
5. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा।
6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।
7. झुग्गियों की पुर्नस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।
8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय इकाईयां मान्य होंगी।
9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंगहेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6–सा–3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित होगाः

आवासीय विकास हेतु भू–खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

सारणी 6–सा–3

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रनुपात
1.	2.	3.
90 वर्गमीटर से कम	75%	1.25
90 से 180 वर्गमीटर तक	66%	1.25
180 वर्गमीटर से अधिक	60%	1.25

टीप: मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से कम होने की दशा में फर्शी क्षेत्रानुपात 1.00 तक अनुज्ञेय होगा।

आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6–सा–4

क्र.	भूखण्ड का आकार (मीटर में)	क्षेत्र (वर्गमीटर में)	मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	भवन रेखा (मीटर में मार्ग के मध्य से)	अग्र कॉरीडोर	भू–आच्छादन	F.A.R
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	6.0 X 9.0	54	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
2.	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
3.	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
4.	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
5.	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
6.	18.0 X 30.0	540	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
7.	30.0 X 33.0	990 से अधिक	12 या अधिक	9.0	3.0	40	1.5

टीप :–

1. 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा।

- 18 मीटर तक 1.75
- 24 मीटर या अधिक 2.00

2. यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांको के मानक लागू होंगे।

3. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी।

4. भवन रेखा मार्गों की चौड़ाई निम्नानुसार निर्धारित की जा सकेगी।

मार्ग चौड़ाई	भवन रेखा (मार्ग मध्य से)
12.0 मीटर	09 मीटर
18.0 मीटर	13.5 मीटर
24.0 मीटर	15.0 मीटर

5. अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा।
6. वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6–सा–5 में वर्णित हैं।

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 6–सा–5

क्र.	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1.	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत (8 : 2)
4.	मार्गों की चौड़ाई – बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई – दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई – दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम चौड़ाई	 12 मीटर 18 मीटर 6 मीटर
5.	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
6.	विराम स्थल	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निमाण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

1. मार्गों की चौड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो।
2. फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा।
3. वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

- 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भू–खण्ड 100 प्रतिशत
- 25 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाले भू–खण्ड 80 प्रतिशत
- 200 वर्गमीटर से अधिक एवं 400 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाले भू–खण्ड 75 प्रतिशत

• 400 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भू–खण्ड	70 प्रतिशत
• फर्शी क्षेत्र अनुपात	1 : 1.50

टीप :–

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी।
2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू–खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू–खण्ड का निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।
3. 200 वर्गमीटर से अधिक वाले भूखण्ड के सामने न्यूनतम 4.50 मीटर खुला क्षेत्र पार्किंग हेतु खुला छोंडना होगा।
4. 500 वर्गमीटर से अधिक वाले भूखण्ड के सामने न्यूनतम 6.00 मीटर खुला क्षेत्र पार्किंग हेतु खुला छोंडना होगा।

वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियां मार्गों पर संचालित हैं। अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है :–

(1) वाणिज्यिक मार्ग (सी)

(2) वाणिज्यिक–सह–आवासीय मार्ग (सी.आर)

इन उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत मार्ग चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6–सा–6 में दर्शाए गए हैं।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

सारणी 6–सा–6

क्र.	मार्ग का नाम	वर्गीकरण	प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई (मीटर)	अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4	5
1.	मिशन चौक से रिलायंस पेट्रोल पंप तक (शांतिनगर) पुराना रा.राजमार्ग	सी	30–36	2.00
2.	मिशन चौक से ट्रांसपोर्ट नगर तक	सी	24–45	2
3.	पन्ना तिराहा से कृषि उपज मण्डी तक	सी	24	2
4.	चांडक चौक से सिमरार नदी तक	सी	18	2
5.	चांडक चौक से रेल्वे स्टेशन तक	सी	24	2
6.	आजाद चौक से सुभाष चौक तक	सी	12	1.75
7.	सुभाष चौक से तहसील तिराहा तक	सी	12	1.75
8.	तहसील तिराहा से लल्लू भैया की तलैया	सी.आर.	18	1.75
9.	लल्लू भैया की तलैया से हनुमान मंदिर तक	सी.आर.	12	1.75
10.	चांडक चौक से आदर्श नगर तक	सी.आर.	12	1.75
11.	खिरहनी फाटक से पुराना रेस्ट हाउस नं. 02 तक (रेल्वे स्टेशन)	सी.	12	1.75
12.	मिशन चौक से अण्डरब्रिज तक (मंगलनगर)	सी.आर.	12	1.75
13.	सुभाष चौक से (जयदयाल मार्ग) विश्वकर्मा फर्नीचर तक	सी.आर.	12	1.75
14.	रिलायंस पेट्रोल पंप से माधव नगर रेल्वे स्टेशन तिराहा तक	सी.आर.	18	2
15.	शांति नगर से दुगाड़ी नाला तक	सी	25	2

1. उपरोक्त मार्ग खण्डों के वर्तमान उपयोग के आधार पर कॉलम 3 अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है। अतः निर्धारित मापदण्ड अथवा वाणिज्यिक सह–आवासीय उपयोग अन्तर्गत वर्तमान मार्ग खण्ड के लिये ही लागू होंगे।
2. भू–खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा।
3. वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक–सह–आवासीय मार्गों एवं वाणिज्यिक उपयोग, प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई से दो गुना या 30 मीटर गहराई तक, जो भी कम हो स्वीकार होगा।

निर्मित क्षेत्र :– वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू–तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी।

क्र.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भू–तल पर निर्मित क्षेत्र अधिकतम
1	2	3
1.	अधिकतम 200 वर्ग मीटर तक	66 प्रतिशत
2.	200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत
3.	400 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत

6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

मिश्रित उपयोग

आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक क्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय / गैर वाणिज्यिक / गैर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियां।

मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है।

टीपः मिश्रित भू–उपयोग क्षेत्र अंतर्गत विकास हेतु नियमन प्रस्तावित गतिविधियों के आधार पर लागू होंगे जिसमे गैर–आवासीय गतिविधि के नियमन को नियोजन की दृष्टि से महत्व दिया जावेगा।

निर्मित क्षेत्र :– मिश्रित उपयोग अंतर्गत भू–तल एवं अन्य तलों हेतु स्वीकार्य गतिविधियों का अधिकतम निर्मित क्षेत्र के प्रतिशत की गणना निम्नानुसार की जायेगी।

क्र.	भू–उपयोग परिक्षेत्र	भू–उपयोग उप–परिक्षेत्र	नाम पद्धति	प्रतिशत (अधिकतम)
1	2	3	4	5
1	मिश्रित	आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय, गैर वाणिज्यिक एवं गैर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधि	(एम)	गैर–आवासीय गतिविधियों के निर्मित क्षेत्र का प्रतिशत प्रस्तावित गतिविधियों एवं मार्ग चौड़ाई के आधार पर मान्य किया जावेगा।

मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय, गैर वाणिज्यिक एवं गैर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधि किये जाने से है।
2. ऐसे कार्य कलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है।
3. मिश्रित उपयोग से, अलग–अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़–भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा।

मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए. आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि), मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे।
2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगें, तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे।
3. 12.0 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर–आवासीय गतिविधियां जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी।

6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक

सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक हेतु विकास नियमनसारणी 6–सा–7 में दर्शाए गए हैं।

सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड

सारणी 6–सा–7

क्र.	विवरण	कवरेज	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4
1	महाविद्यालय	40 प्रतिशत	1.5
2	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	40 प्रतिशत	1.25
3	प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.25
4	पूर्व प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.25
5	चिकित्सालय	40 प्रतिशत	1.5
6	स्वास्थ्य केन्द्र	50 प्रतिशत	1.5
7	पुलिस थाना	50 प्रतिशत	1.5
8	अग्निशमन भवन	50 प्रतिशत	1.5
9	सामुदायिक भवन	40 प्रतिशत	1.0
10	शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय कार्यालय	40 प्रतिशत	1.5

टीपः– 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन, गैरेज तथा साइकल स्टैण्ड के लिये स्वीकार्य एवं अनिवार्य होगा।

6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट–ञ में दिए गए अनुसार होगी।
3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित धनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है। अतः धनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे ।
4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट–छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6–सा–8 में दर्शाए गए हैं।

सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन

सारणी 6–सा–8

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ.ए. आर.	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	**शैक्षणिक भवन**					
	1. नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.25	12.0	6.0	3.0
	2. प्राथमिक विद्यालय	50 प्रतिशत	1.25	12.0	7.5	3.5
	3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	40 प्रतिशत	1.25	18.0	12.0	5.0
	4. महाविद्यालय	40 प्रतिशत	1.50	24.0	15.0	6.0
2	**स्वास्थ्य**					
	हास्पिटल – 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हास्पिटल – 30 से 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हास्पिटल – 0 से 30 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नेच्रोपेथी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	हेल्थ सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नर्सिंग होम	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पालीक्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पेट क्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
	ब्लड बैंक/पैथालाजी सेन्टर इत्यादि	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
	फिजियोथेरेपी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
3	**जनउपयोगिता एवं सेवायें**				म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।
	पुलिस चौकी	35 प्रतिशत	1.00	–		
	पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	सामुदायिक भवन	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	उप अग्निशमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	अग्निशमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	डाक एवं तार	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	विद्युत सब स्टेशन	–	–	–		
4	**धार्मिक भवन**	30 प्रतिशत	1.00	12.0		
5	**शासकीय/अर्द्ध–शासकीय कार्यालय**	35 प्रतिशत	1.00	18.0		

नोट – उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू–आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे। जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त

सारणी में उल्लेखित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार रहेंगे, किंतु ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है। उनके लिये यहां मापदण्ड लागू न होकर केवल आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3) के अनुसार रहेगी, जिसे आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है।

6.5 अन्य नियमन

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6–सा–9

क्रमांक	विवरण	मानक
1	2	3
1.	फुटपाथ व्यापार – वृत्त खण्ड केन्द्र – उपवृत्त खण्ड केन्द्र – सुलभ शॉपिंग	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्पलेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
5.	विद्यालय – प्राथमिक – माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	3 से 4 इकाई 5 से 6 इकाई
6.	उद्यान – नगर उद्यान – स्थानीय उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2 से 3 इकाई
7.	आवासीय	1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
8.	बस स्थानक/रेल्वे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीपः– प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह–सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव/कंज्यूमर पंप एवं ईंधन भराव सह–सेवा केन्द्र के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई–वाहन/बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर/लॉजिस्टिक हब/निजी बस स्थानक

इस उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी– ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशॉप, स्पेयर पार्टस एवं सुधार की दुकानें रात्रि विश्राम गृह बोर्डिंग/लाजिंग, बैंक, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं अनुषांगिक गतिविधियां।

यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैं।

1. मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18.00 मीटर से कम नहीं होगी।
2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा।
3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है। स्थल के आधार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी।

6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक, मिश्रित एवं आवासीय भू–उपयोग में मान्य होगी। खुला माल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे।

6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू–आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक जोनल प्लान लागू नहीं होगा तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।
2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्विकास की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी।
3. भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1 : 1.0
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	33 प्रतिशत
अधिकतम ऊँचाई	12.00 मीटर
सीमांत खुला क्षेत्र –	
(अ) सम्मुख	6.0 मीटर
(ब) अन्य तीन ओर	4.50 मीटर
अन्य नियंत्रण –	
भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	12.0 मीटर

पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार।

6.5.10 मैरिज गार्डन

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार ।

6.5.11 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल

बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि उपयोग में स्वीकार्य होंगे। विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :–

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1 : 0.5
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	15 प्रतिशत
न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग	25.0 मीटर
सीमांत खुला क्षेत्र –	
सम्मुख	6.0 मीटर
अन्य तीन ओर	4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण :–

- भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर।
- भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा।
- इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जायेगी।

टीप– शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी।

6.5.12 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण

- भू–खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल– 1000 वर्गमीटर
- अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात– 1:0.40
- अधिकतम निर्मित क्षेत्र– 40 प्रतिशत
- भू–खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई– 12.0 मीटर
- सीमांत खुला क्षेत्र – 6.0 मीटर

6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) के प्रावधान लागू होंगे।

6.5.14 मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे। जो आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू–उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो।

6.5.15 उद्यान

1. समस्त प्रकार के आमोद–प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुषांगिक स्वीकार्य होगी।
2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे।

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं :–

1. नदी के दोनों ओर 50.0 मीटर तथा नाले के दोनों ओर 9.0 मीटर क्षेत्र खुला रखा जावेगा एवं उसमें सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण किया जावेगा।
2. तालाबों के किनारे न्यूनतम 30 मीटर दूरी तक का क्षेत्र खुला रखा जावेगा। इस सीमा के अंतर्गत आने वाली संरचना में किसी प्रकार का बदलाव या नव निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जावेगी।
3. नहर/शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों/जल निकायों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम–से–कम खुला क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा।
4. नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 3.0–3.0 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र रख–रखाव हेतु खुला रखा जाएगा। जिसका खुला क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा।
5. कटनी निवेश क्षेत्र में स्थित चूने एवं अन्य खदानों में जल भराव होने के कारण जन सुरक्षा की दृष्टि से खदानों के आस–पास न्यूनतम 9.00 मीटर तक का क्षेत्र खुला रखा जावेगा।
6. प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।
7. जलाशय/जल स्त्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टेंक को सीवर लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए से जोड़ना होगा।
8. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र एवं एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
9. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
10. नियंत्रित क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं बैठक की व्यवस्था स्वीकार्य की जा सकती है।

11. प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं विरासत महत्व के स्मारकों को सुरक्षित रखा जायेगा। इन स्मारकों के रख–रखाव को प्रोत्साहित किया जावेगा।
12. नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विरासत महत्व के स्मारकों के संरक्षण एवं सुधार को दृष्टिगत रखते हुए एवं स्थल का अध्ययन कर विकास अनुमतियाँ दी जा सकेंगी।
13. नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के परोक्ष मनोरंजन, आमोद–प्रमोद को प्रोत्साहन या दर्शनीय स्थकलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे।
14. नियंत्रित क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों में आच्छादित क्षेत्र या फर्शी क्षेत्रानुपात में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
15. संवेदनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख–रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे

- ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र
  - नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन।
  - प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी।
  - समय–समय पर उत्खनित / खोजे गए विरासतीय भवन।
- नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन
- प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी आधिपत्य में हों तो भी समय–समय पर उत्खनित / खोजे गये विरासतीय भवन।

16. नगर के पुराने आबादी क्षेत्र में अनेक छोटी बड़ी चूने की खदानें है, जो वर्तमान में बंद है। इन खदानों के चारों ओर 9.00 मीटर की परिधि में किसी प्रकार की विकास अनुज्ञा दिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही खदानों की स्थिति को राजस्व अभिलेख अनुसार निर्धारित किया जावेगा।

6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

सारणी 6–सा–10

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
1	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेटस, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हॉल, मेरिज गार्डन, बाल सुधार गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/ नेवरहुड पार्क, झूलाघर/डे–केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय/संस्थान, समस्त विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय/सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र गृह, मनोरंजन क्लब, खेल मैदान/स्टेडियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, कर्मचारी आवास, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, मिश्रित उपयोग।
2	वाणिज्यिक	
	(अ) सामान्य वाणिज्यिक	आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, प्रिटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर–संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र,

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर–संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब, मिश्रित उपयोग।
	(ब) वर्गीकृत वाणिज्यिक	आवासीय एवं सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियां तथा थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब।
3.	**मिश्रित**	आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय, गैर वाणिज्यिक एवं गैर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधि।
4.	**औद्योगिक**	औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह / रेस्ट हाउस, होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक / डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनीकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फ्लैटेड फैक्टरी, स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव–विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय, दूर–संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर–संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, कर्मचारी आवास, बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, यातायात नगर।
5.	**सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक**	अतिथि गृह / रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक / डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर / डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		–ध्यान–अध्यात्मिक केन्द्र, ईधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ–मानसिक विकलांगता, ब–शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर–संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, मिश्रित उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी' एवं गैर–प्रदूषणकारी उद्योग''।
6.	**सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं**	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर–संचार टावर /स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव–दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य।
7.	**यातायात एवं परिवहन**	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन/ रेल्वे साइडिंग/ यार्ड/ आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल–नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप, अनुषांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल, होटल, ईधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र।

कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप)

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
8.	आमोद–प्रमोद	
	(अ) क्षेत्रीय / नगर उद्यान / मनोरंजन	खेल का मैदान, पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय बोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक / कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट उद्यान, सक्रस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, पम्प हाउस, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं।
	(ब)स्टेडियम / खेल मैदान	स्टेडियम / खेल मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, क्लब / रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण, जिम्नेजियम, बोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईग, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, .अन्य विशिष्ट उद्यान, सकर्स, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं।
	(स) मेला मैदान	मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब, घुड़सवारी, जिम्मेजियम, बोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम–अस्थाई प्रकृति के, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक / कुटीर–अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सक्रस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं।
	(द) हरित क्षेत्र	खेल का मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण, बोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईग, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, खेल उद्यान, पम्प हाउस, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान।

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
	(इ) वृक्षारोपण	पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, बोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट–अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक/कुटीर–अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सक्रस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
10.	**कृषि**	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। श्मशान घाट/कब्रिस्तान, जल–मल शोधन केन्द्र, ईंट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, फार्म हाउस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/ अर्द्ध–शासकीय/ पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक/संचार गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बालगृह, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव–सह–सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ–मानसिक विकलांगता ब–शारीरिक विकलांगता), पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव–विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव–दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयत्र, समस्त खेल गतिविधियां/लॉजिस्टिक हब, बस स्टैण्ड, यातायात नगर सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर–प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा***ए समस्त प्रकार के भण्डारण।

नोट :–

(1) *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।

(2) **गैर–प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

(3) ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार मान्य होगा।

6.8 अन्य सुविधाएँ

कटनी निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार।

अध्याय–7 विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन हैं, यदि इसके प्रभावशील एवं क्रियान्वयन करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किए जाते। यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि का विकास करके योगदान दिया जाएगा। यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जाए जिससे कि विकास एवं निर्माण विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सकें। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य, चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त कर किया जाए।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः कटनी नगर पालिक निगम द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधी निर्माण कार्य से विकास योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। यह अपेक्षित है कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु समस्त शासकीय, अर्द्ध–शासकीय निकाय विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

कटनी विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक की कालावधि के लिए हैं। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग रुपये 221489.81 लाख का व्यय अनुमानित है। इसमें विभिन्न उपयोग हेतु 945.36 हेक्टेयर भूमि, अर्जन हेतु मुआवजा एवं कुल भूमि के 60 प्रतिशत विकास पर व्यय, नए मार्गों का निर्माण, आदि शामिल हैं। भूमि अर्जन की औसत दर रुपये 50.00 लाख प्रति हेक्टेयर मानी गई है। जहाँ तक विकास व्यय का प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के अनुसार अलग–अलग माना गया है। कटनी विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7–सा–1 में दर्शाया गया है। क्रियान्वयन की लागत की गणना सांकेतिक स्वरूप की है, वास्तविक गणना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय की जाएगी।

कटनीः योजना क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7–सा–1

क्र	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्र (हेक्टेयर में)		भू–अर्जन लागत (रू. 50 लाख प्रति हे. की दर से)	विकास हेतु उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत विकास			कुल लागत (रू. लाख में)
		विकास हेतु उपलब्ध भूमि	भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र		क्षेत्र हे. में	विकास दर प्रति हे. (रू लाख में)	लागत (रू. लाख में)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	आवासीय	1725.53	172.55	8627.65	1035.32	100.00	103532.00	112159.42
2	वाणिज्यिक	117.79	11.78	588.93	70.67	100.00	7067.00	7655.93
3	मिश्रित	206.61	20.66	1033.04	123.96	100.00	12396.00	13429.04
4	औद्योगिक	187.68	131.37	6568.69	112.61	100.00	11261.00	17829.69
5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	61.91	43.34	2166.92	37.15	100.00	3715.00	5881.92
6	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	0.16	0.11	5.51	0.09	100.00	9.00	14.51
7	आमोद–प्रमोद	407.76	285.43	14271.72	244.66	50.00	12233.00	26504.72
8	यातायात एवं परिवहन	400.15	280.11	14005.35	240.09	100.00	24009.00	38014.35
	योग	**3107.58**	**945.36**	**47267.80**	**1864.55**	**-**	**174222.00**	**221489.81**

टीप :– भू–अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा।

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगीः

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू–स्वरूप।
2. भूमि का कुशलतम उपयोग।
3. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारणा।
4. भूमि प्रदाय तथा संरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव।
5. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना।
6. संसाधनों का संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग।

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है:

1. पर्यावरण प्रबंधन एवं सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम।
2. नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम।

मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू–उपयोग विकास हेतु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जाएगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है जो प्रमुख रूप से नदी के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्टता, भू–स्वरूप तथा जल स्त्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित हैं। अन्य पर्यावरण समस्याएँ जैसे नगरीय अपशिष्ट का उपचार, निराकरण, इनके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं।

1. नदी एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल–मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू–उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।
3. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टाप डेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध।
4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण।
5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्त्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।
7. खदान क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों का विनियमित विकास।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा–

1. संस्था का गठन
2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन
3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
4. नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्वः

1. नियंत्रित विकास
2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना
4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण
5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा हेतु तंत्र उपलब्ध कराना

7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू–स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा। यहाँ समन्वय संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवाएँ, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी।

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढाँचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए होगा।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा–सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि को समय पर उपलब्ध कराना होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी।
इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढाँचे के अन्तर्गत किया जाकर लक्ष्य पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है:

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजना की प्राथमिकता का निर्धारण।
4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना।
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास का दृष्टिकोण रखते हों।
6. समन्वय अधिकारियों और वृत्त खण्डीय/एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ–साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि विकास नियमों को पुर्नभाषित किया जाए। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्धेश्य से अध्याय–6 में विकास नियमन दिए गए हैं।

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

1. आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए 3 चरणों में प्रावधान हैं। प्रथम चरण सन् 2025 तक की आवश्यकताओं हेतु, द्वितीय चरण 2026

से 2030 तक की आवश्यकताओं हेतु तथा तृतीय चरण 2031 से 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।

2. योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है।

3. योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। उपरोक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास किया जाएगाः

- भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
- मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी रूपये मिल सके।
- भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की नीति तैयार करना।
- योजना के दोनों चरणों के लिए आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्त्रोतों का विकास।
- नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास।
- भूमि विकास कार्यक्रम नगरीय विकास परियोजनाएँ साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए।
- एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है। ताकि सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके।
- मुख्य जल स्त्रोतों की वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

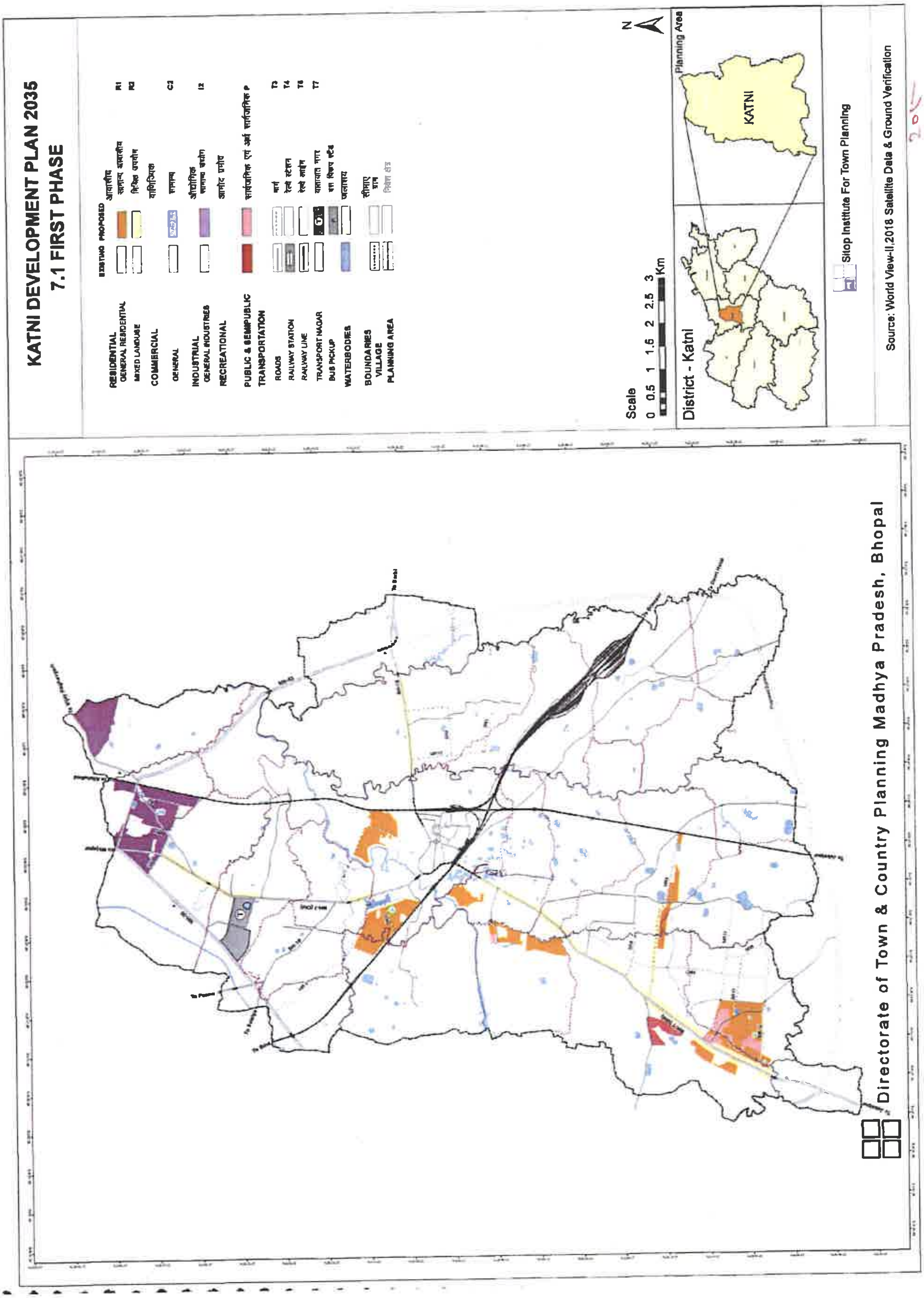
KATNI DEVELOPMENT PLAN 2035
7.1 FIRST PHASE
EXISTING PROPOSED
RESIDENTIAL
GENERAL RESIDENTIAL
MIXED LANDUSE
COMMERCIAL
GENERAL
INDUSTRIAL
GENERAL INDUSTRIES
RECREATIONAL
PUBLIC & SEMIPUBLIC
TRANSPORTATION
ROADS
RAILWAY STATION
RAILWAY LINE
TRANSPORT NAGAR
BUS PICKUP
WATERBODIES
BOUNDARIES
VILLAGE
PLANNING AREA
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Km
District - Katni
Planning Area
KATNI
Silop Institute For Town Planning
Source: World View-II,2018 Satellite Data & Ground Verification
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धान्त निम्नानुसार हैं–

1. यह सुनिश्चित करना कि संसाधन उपलब्धता तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
2. उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
3. बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध कराना।
4. अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
5. भू–स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7–सा–2

क्र.	विकास के घटक	प्रस्तावित स्थल
1.	2.	3.
1.	आवासीय	निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 4
2.	वाणिज्यिक	निवेश इकाई क्रमांक 1, 2 एवं 4
3.	मिश्रित	निवेश इकाई क्रमांक 1, 2 एवं 4
3.	औद्योगिक	निवेश इकाई क्रमांक 2
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 4
5.	सार्वजनिक सेवाएँ– सुविधाएँ	निवेश इकाई क्रमांक 4
6.	आमोद–प्रमोद	निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 4
7.	यातायात	निवेश इकाई क्रमांक 1, 2 एवं 4

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को सारणी 7–सा–2 में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं। तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है। नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संशाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा। विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास

मुख्यतः निजी संस्थओं के द्वारा किया जाता है। इस हेतु भू–अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 283.61 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 66447.34 लाख होगी। विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण सारणी 7–सा–3 में दिया गया है।

कटनीः प्रथम चरण लागत

सारणी 7–सा–3

क्र	भूमि उपयोग विवरण	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	भू–अर्जन की लागत (रू. 50.0 प्रति हेक्टेयर) (रू. लाख में)	विकास व्यय			कुल लागत (रू. लाख में)
				क्षेत्र (हेक्टेयर में)	विकास दर प्रति हेक्टेयर (रू. लाख में)	लागत (रू. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	51.77	2588.294	310.60	100.00	31060.00	33647.82
2	वाणिज्यिक	3.53	176.6778	21.20	100.00	2120.00	2296.81
3	मिश्रित	6.20	309.9115	37.19	100.00	3719.00	4028.85
4	औद्योगिक	39.41	1970.608	33.78	100.00	3378.00	5348.79
5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	13.00	650.0767	11.14	100.00	1114.00	1764.49
6	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	0.03	1.653687	0.03	100.00	3.00	4.49
7	आमोद–प्रमोद	85.63	4281.515	73.40	50.00	3670.00	7951.38
8	यातायात एंव परिवहन	84.03	4201.604	72.03	100.00	7203.00	11404.35
योग		**283.61**	**14180.34**	**559.37**	-	**52267.00**	**66447.34**

7.8 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। पूर्व में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग–अलग प्रयास नहीं किए गए, जिसके

परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय हुआ। नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिहिन्त किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगी।

7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है:
पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण।

1. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
2. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अधोसंरचना विकास में निवेश निर्धारण।
3. आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण।
4. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
5. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
6. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।
7. योजना पर्यवेक्षण लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

1. स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
2. कटनी विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
3. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
4. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना।

विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण, समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संस्थानों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित है।

7.9.1 पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व कटनी विकास प्राधिकरण एवं स्थानीय प्राधिकरण का होगा। अपितु इन प्रस्तावों क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएँ एवं विभाग भी सहभागी होंगी। अतः क्रियान्वयन संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–3/55/32/98 दिनांक 12.08.1998 द्वारा जिलाध्यक्ष कटनी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुये नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

7.9.2 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

विकास प्राधिकरण/नगर पालिक निगम द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.10 योजना की व्याख्या

कटनी विकास योजना 2035 मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ–साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6–सा–10 विकास नियमन में वर्णित अनुसार होगी। नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित हैं। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग/गतिविधियाँ जो प्रमुख भू–उपयोग वर्ग (Major Land Use Zone) में परिभाषित नहीं हैं, भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकृत/ स्वीकार्य भू–उपयोग सारणी में शामिल हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे।
4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकीय आवश्यकता के

आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जाएगा।

5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के है। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी।

6. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि की आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना/परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित की जा सकती है।

7.10.1 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है, इसमें अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी घटकों के कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है। इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि के आधार का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर ही नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित मानकर भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। कटनी नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक की कालावधि नियत की गई है। अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया गया है। इसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि नगर का विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं यह विकास योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी। अतः कटनीविकास योजना2035 के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना पुनर्वलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

परिभाषाएँ

001 आवासीय भू–खण्ड भू–खण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो।

002 आवासीय भू–खण्ड समूह आवास

न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों

003 आवासीय फ्लेट

एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो।

004 आवासीय–सह–कार्य भू–खण्ड

एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे।

005 आवासीय परिसर – विशेष क्षेत्र

विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान।

006 छात्रावास (होस्टल)

दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर।

007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह

अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों ।

008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष

वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो।

009 बारात घर

सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान।

010 रैन–बसेरा (नाइट शेल्टर)

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों।

011 फुटकर दुकानें

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।

012 मरम्मत दुकान

गृहसामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।

013 व्यक्तिगत सेवा दुकान

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों।

014 बेंडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह।

017 साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।

019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर।

023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय–विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर।

024 वाणिज्यिक कार्यालय

लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर।

025 बैंक

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों।

026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर।

027 छविगृह

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर।

028 पेट्रोल पंप

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो।

029 रेस्टॉरेंट/उपहार गृह

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो।

030 होटल

ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो।

031 मोटल

ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो।

032 फ्लेटेड समूह उद्योग

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं।

033 सेवा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें।

034 औद्योगिक भूखण्ड – हल्के उद्योग

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर।

035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग

ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो।

036 उद्यान (पार्क)

आमोद–प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू–दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे।

037 क्रीड़ांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर,इसमें भूदृश्यीकरण ,वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों।

041 शूटिंग रेंज

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।

043 आमोद–प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो।

044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों।

045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों।

046 पक्षी अभ्यारण्य

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर।

047 वनस्पति उद्यान

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर।

048 पिकनिक हट/केम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद–प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो।

049 फ्लाईंग क्लब

ऐसा परिसर जहां ग्लाईडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों।

050 माल एवं टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण केलिए किया जाता हो।

051 रेल माल गोदाम

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो।

052 रेल टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकिट घर के रूप में किया जाता हो।

053 सड़क परिवहन टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो।

054 वाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो।

055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं।

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख–रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।

058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

1. पानी की टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
2. भूमिगत टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
3. आक्सीकरण पौंड – ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो।
4. सेप्टिक टेंक – ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो।
5. जल–मल पंपिग स्टेशन – ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल–मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो।
6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।
7. विद्युत उपकेन्द्र – ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।
8. घूरा एवं कचराघर – ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्ढों को भरने हेतु लदान किया जाता हो।
9. धोबीघाट – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।

059 केन्द्र शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

060 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।

061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।

064 चिकित्सालय

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।

065 स्वास्थ्य केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर–व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है।

066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है।

067 औषधालय

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो।

068 क्लीनिक/चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा वाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।

069 उपचार प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो।

070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

071 झूलाघर एवं दिवस देख–रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो। यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है।

072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों।

073 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो।

074 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं।

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो।

076 एकीकृत शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो। इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं।

078 महाविद्यालय

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो। इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं।

079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण–सह–कार्य केन्द्र शामिल हैं।

080 सामाजिक कल्याण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो। यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है।

081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो।

082 पुस्तकालय

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो।

083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है।

084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो।

086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

088 बाल यातायात उद्यान

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा–सह–उद्यान की सुविधा हो

089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो।

090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनीस्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो।

091 सभागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।

092 खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।

093 सामुदायिक भवन

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक– सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो।

094 मेला मैदान

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों।

095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों।

096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

ऐसा परिसर जिसमें गैर–वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों।

097 सुधार गृह

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।

098 अनाथालय

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।

100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों।

101 पुलिस चौकी

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।

102 पुलिस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।

103 जिला पुलिस कार्यालय

अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर।

104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर।

105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो।

106 जेल

ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।

107 अग्निशमन पोस्ट

ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।

108 अग्निशमन पोस्ट

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।

109 डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर।

110 डाक एवं तार घर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

111 मुख्य डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

112 टेलीफोन एक्सचेंज

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो।

113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन

समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर। जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं।

114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो।

115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो।

116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सूविधा उपलब्ध हो।

117 बाग (ओरचर्ड)

सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।

118 डेरी फार्म

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो। जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

119 कुक्कुट फार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

120 सुअर पालन

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

121 ग्रामीण केन्द्र

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर।

122 मल्टीप्लेक्स

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद–प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर।

"परिशिष्ट"

परिशिष्ट–1

नियम 17 (1)

किसी भवन के विकास, निर्माण पुनर्निमार्ण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने क लिए प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति..

महोदय,

मैं एतद् द्वारा यह सूचना देता हूं कि मैं नगर..........................मोहल्ला बाजार ....सड़क......................................बस्तीय मार्ग..में भवन क्रमांक................................ अथवा प्लाट क्रमांक ....में पर तथा मध्यप्रदेश भूमि विका नियम, 1984 के नियम 17 के .... अनुसार विकास निर्माण, पुनर्निमार्ण अथवा परिवर्तन क़रना चाहता हूं, मैं इसके साथ मेरे तथा .... वास्तुविद इंजीनियर, पर्यवेक्षक, नगर निवेशक, अनुज्ञप्ति क्रमांक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) ....जो उस निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित रेखांक और विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूं–

1.मुख्य रेखांक
2.स्थल रेखांक
3. उप विभाग–अभिन्यास योजना
4. भवन मानचित्र
5. सेवा आयोजना
6. विशिष्टियां सामान्य तथा विस्तृत
7. स्वामित्व संबंधी हक

मैं निवेदन करता हूं कि विकास निर्माण को अनुमोदित किया जाए और मुझे कार्य निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

स्वामी के हस्ताक्षर
स्वामी के नाम.......................................
(स्पष्ट अक्षरों में)..................................
स्वामी का पता.......................................

तारीख..

प्राधिकारी द्वारा सीधे उपयोग के लिये......................................रूपरेखा तैयार की जा सकती है।

परिशिष्ट–2

(नियम 49)(3) देखिये
विकास योजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्रारूप

प्रति,

....
....
....

मध्यप्रदेश
महोदय,

मैं एतद्द्वारा नगर .... मोहल्ला बाजार................. .... बस्ती / कालोनी / गली... भू–खण्ड क्रमांक.. खसरा क्रमांक .... की भूमि के विकास / पुनर्विकास करने का इच्छुक हूं। क्षेत्र में संबंधित विकास योजना / परिक्षेत्रिक विकास योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर उल्लेखित भूमि के लिये उपखण्ड आयोजना तैयार करने के लिये उपलब्ध किये जा सकेंगे। योजना / परिक्षेत्रिक विकास योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक भुगतान किया जा चुका है तथा रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

भूमि स्वामी के हस्ताक्षर
भूस्वामी का नाम
....
(स्पष्ट अक्षरों में)
भू–स्वामी का पता
....
....

स्थान.................................
दिनांक..............................

नामः–नगर / नगर निगम / नगर पालिका / विकास प्राधिकरण / नगर निवेश अधिकारी

परिशिष्ट–3

विशेष विवरण पत्रक

प्रस्तावित भवन का विशेष विवरण

1 भूखण्ड् का कुल क्षेत्रफल .... वर्ग फुट/वर्ग मीटर

2 कुल निर्मित क्षेत्र ....

विद्यमान भूतल क्षेत्र.....................वर्गफुट/वर्गमीटर, प्रस्तावित........................ वर्गफुट/वर्गमीटर

विद्यमान प्रथम मंजिल.................वर्गफुट/वर्गमीटर, प्रस्तावित........................ वर्गफुट/वर्गमीटर

विद्यमान द्वितीय मंजिल...............वर्गफुट/वर्गमीटर, प्रस्तावित........................ वर्गफुट/वर्गमीटर

3 उद्देश्य कार्य जिसके लिये भवन का उपयोग प्रस्तावित है।

4 विशेष विवरण जो निम्नलिखित के निर्माण में उपयोग में लाया जायेगा।

(एक) नींव

(दो) दीवारें

(तीन) फर्श

(चार) छत

5 भवन में अंतर्विष्ट होने वाली मंजिलो की संख्या...

6 ऐसे व्यक्तियों की लगभग संख्या, जिन्हें वास स्थान दिया जाना प्रस्तावित है।

7 उन शौचालयों की सख्या जिनकी कि व्यवस्था की जायेगी।

8 क्या स्थल में पूर्व में निर्माण हुआ है, यदि ऐसा हुआ है तो पूर्ववर्ती भवन रहने के लिये कब से उपयुक्त नहीं रहा। ....

9 भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने वाले जल का स्त्रोत।

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–4

मध्य प्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय

आदेश

भोपाल दिनांक 20 जनवरी

क्रमांक एफ–3/130/32/97, राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनाएं अनुमोदित है, की विकास योजनाओं के क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये निम्नानुसार "नियोजन एवं पर्यवेक्षण" समिति का गठन करता है–

1.	संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर	**अध्यक्ष**
2.	नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
3.	म.प्र.गृह निर्माण मंडल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
4.	संबंधित आयुक्त नगर पालिक निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका	सदस्य
5.	लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
6.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
7.	म.प्र. विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
8.(अ)	संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है।)	सदस्य सचिव
(ब)	संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित नहीं है।)	सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ताक्षर/–
(जी.व्ही.उपाध्याय)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट–5

कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, कटनी कटनी दिनांक 29 मई 2000

कमांक 876/ब.भू.उ./न.ग्रा.नि/2000 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(कमांक सन् 1973) की धारा 15(1) के अनुसरण में कटनी निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये निम्नलिखित ग्रामोंः–
(1) लमतरा, (2) घटखिरवा (3) बिलगवां (4) हिरवारा (5) इमलिया (6) मतवार पडरिया (7) गाताखेड़ा (8) छेहरी (9) कछगवां (10) देवरी (11) पिपरिया के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र पर सर्व साधारण से उनकी आपत्ति एवं सुझावों को आमंत्रित कर अधिनियम की धारा 15–(2) के अनुसरण में उन्हें युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर विधिवत सुनवाई कर ली गई है। अतः एतद् द्वारा अधिनियम की धारा 15(3) के अंतर्गत कटनी निवेश क्षेत्र के उक्त 11 ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते है।

इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में म.प्र. ाासन के राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। जो इस बात का साक्ष्य होगी कि, मानचित्र सम्यक रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है।

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर की एक प्रति दिनांक 9 जून 2000 से 23 जून 2000 तक जिलाध्यक्ष, जिला कटनी, नगर निगम तथा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी के कार्यालयों में कार्यालयीन समय में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध होगी।

पी.पी.सक्सेना
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश कटनी

सूचना– म.प्र. राजपत्र दिनांक 9 जून 2000 भाग तीन एक कमांक–380–381 में प्रकाशित

परिशिष्ट–6

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 1998

क. एफ–3–133–बत्तीस–98.–मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 कमांक 23 सन् 1973 की उपधारा(2)(क) अर्ध राज्य सरकार एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कटनी निवेश क्षेत्र जो, इस विभाग की अधिसूचना क. 3195–एफ–1–88–तैंतीस73, दिनांक 14.10.73 द्वारा गठित किया गया था, की सीमाओं में परिवर्तन करती है, जिसकी पुनरीक्षित सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई है:–

अनुसूची

कटनीः पुनरीक्षित क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में– ग्राम चाका, लमतरा, मतवार पडरिया की उत्तरी सीमा तक

पूर्व में– ग्राम मतवार पडरिया, घटखिरवा, खिरहनी, जोहला, छपरवाह, हिरवारा एवं गाताखेड़ा की पूर्वी सीमा तक

दक्षिण में– ग्राम गाताखेड़ा, पिपरिया, छहरी, इमलिया, कछगवां, देवरी से दक्षिणी सीमा तक

पश्चिम में– ग्राम देवरी, झिंझरी, अमकुही, कैलवारा, टिकरिया, पुरैनी, पहरूवा तथा चाका की पश्चिमी सीमा तक

हस्ता.
बी.एन.त्रिपाठी
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 26 नवंबर 1998

क. एफ.–3–33–बत्तीस–98–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) के अनुसरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.3–133–32–98, दिनांक 26 नवम्बर 1998 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता.
बी.एन.त्रिपाठी,
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट–7

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल

कमांक 2876/ननि/वि.यो./98 भोपाल, दिनांक 15 मई, 1998

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   विकास प्राधिकरण/ विशे । क्षेत्र विकास प्राधिकरण
2. आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी
   नगर निगम/नगर पालिका

वि ाय:– विकास योजना के कियान्वयन हेतु ाासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूपरेखा।

मध्यप्रदेश ाासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक एफ–3/130/32/97 दिनांक 20.01.1998 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के कियान्वयन संबंधी गठित की गई नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है:–

(1) पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में कियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेंगी।
  (अ) नगरीय अंधोसंरचना का विकास
  (ब) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास
  (स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों/उपकेन्द्रों का विकास
  (द) आमोद प्रमोद क्षेत्रों का विकास

(2) समिति निम्नलिखित कार्यो की प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी।
  (अ) कार्यकम का चयन
  (ब) परियोजना तैयारीकरण
  (स) परियोजना कियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था
  (द) कार्यकम कियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरूप वांछित सुधार

(3) समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वा ि क विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

विकास प्राधिकारी/स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वा ि क विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। जिसमें नियोजन कियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश के विचारार्थ वा ि क प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य ाासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

हस्ताक्षर/–
(के.के.सिंह)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–8

मध्यप्रदेश ाासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

संशोधन

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 1998

कमांक एफ–3/55/32/98– राज्य ाासन एतद् द्वारा नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के कियान्वयन एवं कियान्वित की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क. एफ–3/130/32/97 दिनांक 20.01.1998 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:–

(1) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में ाामिल किये जाते है:–

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र
2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
4. महापौर, संबंधित नगर पालिक निगम
5. अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका
6. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ताक्षर/–
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट–9

कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना समिति)

कटनी

क्रमांक 144 / जि.यो.स. / 2000 कटनी, दिनांक
25 / 1 / 2001
आदेश

मध्यप्रदेश ाासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–3–25 / 32 भोपाल, दिनांक 20 मार्च 1999 द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क. 23 सन् 1973) की धारा 75 की उपधारा (1) सहपठित मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 (क. 19 सन्1995) की धारा 17–क के अंतर्गत जिला योजना समिति को प्रत्यायोजित ाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17–क(1) के तहत कटनी विकास योजना 2011 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है यह समिति अधिनियम की धारा 17–क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

अधिनियम की धारा 17(1) की उपधारा	पद / व्यक्ति का नाम	संस्था / पता
(क)	महापौर	नगर पालिका निगम, कटनी
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, कटनी
(ग)	1. संसद सदस्य	खजुराहो
	2. संसद सदस्य	शहडोल
(घ)	1. विधायक	कटनी (मुडवारा)
	2. विधायक	बड़वारा
(ड़)	अध्यक्ष	वि.क्षे.वि.प्रा. / वि.प्राधिकरण गठित न होने के कारण
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, कटनी
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, मतवार पडरिया
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, पिपरिया
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, छहरी
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, कछगवां
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, चाका
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, हिरवारा
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, इमलिया
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, जुहला
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत, कैलवारा खुर्द
(ज)	1. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लान इण्डिया श्री ए.बी. लाल. ए–266, शाहपुरा भोपाल
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया)कलकत्ता
	3. प्रतिनिधि	कौंसिल ऑफ आर्किटेक्ट नई दिल्ली

कटनी विकास योजना 2035 (प्रारूप)

4. प्रतिनिधि कलेक्टर, जिला कटनी
5. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग कटनी
6. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कटनी
7. प्रतिनिधि जिला वनमंडलाधिकारी, जिला वन मंडल कटनी

(झ) समिति का संयोजक संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(शहजाद खान)
कलेक्टर एवं सदस्य सचिव
जिला योजना समिति, कटनी
पदेन अपन सचिव, म.प्र. शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग.

पृ.क./45/जि.यो.स./2000 कटनी, दिनांक 25/01/2000

प्रतिलिपिः–
1. संसद सदस्य खजुराहो/शहडोल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. ाासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
3. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
4. विधायक, कटनी/बड़वारा की ओर कृपया सूचनार्थ।
5. महापौर, नगर पालिक निगम, कटनी की ओर सूचनार्थ।
6. अध्यक्ष, जिला पंचायत कटनी की ओर कृपया सूचनार्थ।
7. अध्यक्ष, जनपद पंचायत कटनी की ओर कृपया सूचनार्थ।
8. सरपंच, ग्राम पंचायत, मतवार पड़रिया/पिपरिया/छहरी/कछगवां/चाका/हिरवारा/इमलिया/जोहला/कैलवारा खुर्द/की ओर कृपया सूचनार्थ।
9. प्रतिनिधि, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लान इण्डिया, भोपाल।
10. प्रतिनिधि, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया)कलकत्ता।
11. प्रतिनिधि, कौंसिल ऑफ आर्किटेक्ट, नई दिल्ली।
12. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कटनी।
13. जिला वनमंडलाधिकारी, कटनी
14. समिति के संयोजक, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जबलपुर की ओर कृपया सूचनार्थ।

परिशिष्ट–10

सूचना

क्र. एफ.3–18–2006–बत्तीस, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा कटनी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(1) कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

(2) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी, मध्यप्रदेश

(3) आयुक्त, नगर निगम कटनी, मध्यप्रदेश

यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 की धारा 19 की उपधारा 5 के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
वर्षा नावलेकर, उपसचिव